राजस्थान विधान सभा

तृतीय बैठक, बुधवार, दिनांक २६ सितम्बर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर में प्रातः ११ बज कर १३ मिनिट पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २०

टोंक शहर के अस्पताल में डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, नर्सेज़ एवं कम्पाउन्डर्स

राव राजा श्री सरदारसिंह—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

टोंक शहर की जन संख्या कितनी है व वहां के हास्पिटल में कितने डाक्टर, लेडी डाक्टर, नर्स व कम्पाउन्डर आदि हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद (स्वास्थ्य मंत्री)—टोंक शहर की जनसंख्या ४२८३३ है। टोंक शहर में दो अस्पताल हैं, मर्दाना व जनाना। मर्दाना अस्पताल में २ डाक्टर प्रथम श्रेणी के, ४ डाक्टर द्वितीय श्रेणी के, २ स्टाफ नर्स व १५ कम्पाउन्डर्स हैं और जनाने अस्पताल में एक डाक्टरनी प्रथम श्रेणी की, एक द्वितीय श्रेणी की, १३ स्टाफ नर्स, मिडवाइफ व नर्स-दाइयां व २ कम्पाउन्डर्स हैं।

श्री सरदारसिंह—क्या यह सच है कि मेडिकल स्टाफ की कमी होने से मरीजों की देख-भाल अच्छी तरह से नहीं होती है ?

श्री बद्रीप्रसाद—ऐसी बात सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

श्री सरदारसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि रामचन्द्र बांटली वहां पर जेर इलाज था ?

श्री बद्रीप्रसाद—अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के लिये पूछेंगे तो जानकारी हांसिल करके बतादी जायगी।

श्री सरदारसिंह—क्या यह सही है कि उसका इलाज अच्छी तरह से न होने के कारण वह रात को ११ बजे से चिल्लाता रहा और सुबह तक चिल्लाता रहा, मगर किसी भी स्टाफ ने उसकी परवाह नहीं की और देख-रेख नहीं की ?

श्री बद्रीप्रसाद—आप बतावें कि किसके खिलाफ स्टाफ ने लापरवाही की है तो उसके लिये जानकारी की जावेगी। मगर मैं खुद टोंक जाकर देख कर आया हूं। मैं समझता हूं कि वहां पर स्टाफ ज्यादा है। स्टाफ मरीजों के साथ लापरवाही बरते, यह दूसरी बात है।

श्री सरदारसिंह—आपके हिसाब से इन्तजाम बहुत अच्छा है लेकिन जनता की सुविधा के हिसाब से देखिये। जनता को सुविधा मिलने की व्यवस्था ठीक करदी जाएगी या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद—स्टाफ की कमी नहीं है। स्टाफ लापरवाही बरतता है, तो वह दूसरी बात है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २१

अतिवृष्टि के कारण पिछले पांच वर्षों में नये बनाये बांधों के टूटने से हानि एवं इस संबंधी जांच

श्री जगतसिंह झाला—क्या सिचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में अतिवृष्टि के कारण कौन २ से जिलों के कौन २ से बांध जो इन पांच वर्षों में बन पाये थे या बनाये जा रहे थे, टूट गये ?

(ख) सरकार को इन बांधों के टूटने से कितना नुकसान हुआ ?

(ग) किन कारणों से यह बांध टूटे ? क्या सरकार जांच कराने के लिये कोई कमेटी बनाने का विचार रखती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिचाई मंत्री)—(क) निम्नलिखित १० बांध जो पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनवाये गये या बनवाये जा रहे थे अतिवृष्टि के कारण टूट गये।

प्लान वर्क्स

	तालाब	जिला
१.	सूरवाल	सवाई माधोपुर
२.	मामचारी	”
३.	नागतलाई	”
४.	गुढा	बूंदी
५.	अरवट	भीलवाड़ा
६.	राहुवास	जयपुर
७.	बिडोली	टोंक
८.	सुरपुरा	”
	माइनर वर्क्स	
९.	रामपुरा	जिला अलवर
१०.	भीमलत	जिला बूंदी

[श्री रामनिवास मिर्धा]

(ख) इन तालाबों के टूटने से २,५०,००० रु० के लागत के कामों की क्षति हुई।

(ग) इनमें से अधिकांश बांध अतिवृष्टि के कारण टूटे हैं। जहां क्षति और कारणों से हुई है उसकी जांच की जा रही है।

श्री भैरूं सिंह—क्या इन बांधों में ऐसी भी बांध हैं जो बिलो एवरज वर्षा से भी टूट गये ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मैंने बताया कि और कारणों से भी जो बांध टूटे हैं उनकी जांच हो रही है। जैसे २ हमारे नोटिस में, जांच में आयेगा उस पर मुनासिब एक्शन लिया जायेगा।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि इन बांधों के टूटने के कारण किसी इंजीनियर को सस्पेन्ड कर दिया गया है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—एक बांध जो बूंदी में गुढ़ा बांध था, उसके इंजीनियर को सस्पेन्ड किया गया है।

श्री भैरूं सिंह—क्या सरकार ने इसके लिये कोई इन्क्वायरी कमेटी मुकर्रर कर दी है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के लिये कमिश्नर कोटा के पास कागजात भेज दिये गये हैं।

श्री भैरूं सिंह—डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी का मतलब यह समझें कि उनको चार्ज शीट दे दिया गया ?

श्री जगतसिंह झाला—शाहपुरा का बांध जो उदयपुर में है वह भी टूटा है, मगर उसका नाम यहां पर नहीं सुना।

श्री रामनिवास मिर्धा—आपने पूछा कि इन पिछले ५ वर्षों में बन पाये थे या बनाये जा रहे थे, टूटे हैं, उनमें यह नहीं है; इसलिये इसका नाम नहीं है।

श्री भैरूं सिंह—क्या सरकार ने इस संबंध में प्राइमरी इन्क्वायरी कर ली है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—दो-तीन केसेज में हो गई है और बाकी में चल रही है। जैसे २ तसल्ली होती जायेगी कि किस २ की गलती है और किसके खिलाफ चार्ज शीट बनता है, कार्यवाही की जावेगी।

श्री भैरूं सिंह—क्या उन बांधों से संबंधित अधिकारियों को सस्पेन्ड किया गया या नहीं ?

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि इन बांधों के अलावा और भी बांध हैं जो टूटे हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इनके अलावा कई पुराने तालाब भी टूटे हैं।

श्री जगतसिंह झाला—उन सबका नुकसान सरकार को कितना हुआ ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह अलग से प्रश्न है ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या ऐसे भी बांध है जो कम्पलीट होते ही टूट गये ?

श्री रामनिवास मिर्धा—ऐसे भी वर्क है जो कम्पलीट नहीं होने से टूट गये ।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि बूंदी में जब बांध बन रहा था उस समय पब्लिक ने शिकायत की कि यह ऐसा बांध बन रहा है जो थोड़ी सी वर्षा होते ही टूट जायगा ?

श्री रामनिवास मिर्धा—सरकार के सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं है ।

श्री एच० के० व्यास—प्रिलिमनरी इन्क्वायरी में इनके टूटने का क्या कारण निकलता है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसके अलग २ कारण हैं । गढ़ी में तसल्ली हो गई कि इंजीनियर की गलती से यह टूटा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया गया । इसी तरह से इन्क्वायरी में और भी रिपोर्ट मिलती रहेगी ।

श्री एच० के० व्यास—इंजीनियर की गलती बताई गई, स्पेसिफिकली ।

श्री रामनिवास मिर्धा—मेरे ख्याल से इन्क्वायरी चल रही है, इसलिये कहना अच्छा नहीं होगा ।

श्री मानसिंह—जांच में जो बात पाई गई वह कह दें ।

श्री रामनिवास मिर्धा—यह सब जांच के बाद कहा जा सकता है ।

श्री मानसिंह—प्रिलिमनरी इन्क्वायरी में यह बात साबित हुई है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी नहीं ।

श्री एच० के० व्यास—क्या स्पेसिमेन के माफिक काम नहीं होने से इस बांध के टूटने की स्थिति पैदा हुई ?

श्री रामनिवास मिर्धा—सब जगह यह नहीं कहा जा सकता ।

श्री एच० के० व्यास—गढ़ी के बारे में मैं यह पूछता हूं ।

श्री रामनिवास मिर्धा—मैंने, अध्यक्ष महोदय, कहा है कि इन्क्वायरी की जा रही है जब तक इन्क्वायरी पूरी नहीं हो जाए कुछ कहना संभव नहीं ।

श्री एच०के० व्यास—यह बांध मिडिल पोइन्ट पर टूटा है । इसलिये जो लोग काम कर रहे थे वे ही नहीं बल्कि जिनका सुपरविजन का जिम्मा था वे सब इसके जिम्मेदार हैं ।

I want to know whether one of the reasons for this is lack of work as per specifications. If so, other questions will follow.

श्री रामनिवास मिर्धा—अभी तो प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी हो रही है। कुछ फेक्ट्स मालूम हुए हैं उन्हीं के मुताबिक आगे डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी होनी चाहिये। उसके बाद ही पता चलेगा कि स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम हुआ है या नहीं।

श्री एच० के० व्यास—किसी न किसी चार्ज के बाद ही तो सरकार ने प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी का निर्णय लिया होगा ?

श्री रामनिवास मिर्धा—चार्ज की सूची तो मेरे पास नहीं है किन्तु जहां तक मुझे याद है दो चार्जेज लगाये गये हैं, अगर इसके लिये माननीय सदस्य अलग से पूछेंगे तो बता सकता हूं।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि इस प्रकार बांध टूट जाते हैं इसके कारण राजस्थान की जनता में अब यह धारणा बन गई है कि आयन्दा बांध बनाये ही न जायं ?

(घंटी)

श्री मानसिंह महार—उन इन्जीनियर का नाम क्या है जिनको सस्पेन्ड किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—अभी बताया कि बून्दी के इन्जीनियर हैं।

श्री महार—Name of the Engineer.

श्री रामनिवास मिर्धा—श्री बक्शी।

श्री महार—क्या यह वे ही बक्शी हैं जिनका नाम एक माननीय मंत्री महोदय के खिलाफ चुनाव याचिका के वक्त आया था ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २२

टोंक, मालपुरा व टोडारायसिंह की नगरपालिका को सरकार द्वारा दी गई धनराशि से किया गया व्यय

राव राजा श्री सरदारसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) टोंक, मालपुरा और टोडारायसिंह की नगरपालिका में कितने कितने सदस्य हैं व उनके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कौन कौन हैं ?

(ख) अध्यक्षों के चुनाव के पश्चात् अब तक कौनकौन से जन-हित के कार्य वहां पर हुये हैं और उन कार्यों में कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

(ग) क्या उक्त कार्यों के लिये सरकार की ओर से सहायता दी गई है, यदि हां, तो कितनी ?

(घ) उपरोक्त धनराशि किस आधार पर खर्च की गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—उक्त नगरपालिकाओं की सदस्यों की संख्या निम्न प्रकार है :—

टोंक २३
मालपुरा १०
टोडारायसिंह १०

उक्त नगरपालिकाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों के नाम निम्नलिखित हैं :—

	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष
टोंक	हबीबुर रहमानखां थे जिन्होंने ता० ११-९-५६ से त्याग-पत्र दे दिया और उपाध्यक्ष ही कार्य कर रहे हैं।	श्री सुजानमल
मालपुरा	श्री चन्द्रबिहारी लाल	चुनाव नहीं हुये
टोडारायसिंह ..	श्री प्रहलाददास	श्री रामस्वरूप

(ख) अध्यक्षों के चुनाव के पश्चात् किये गये जन-हित कार्यों की सूची सदन की मेज पर दी गई है। (कृपया परिशिष्ट देखिये)।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री सरदारसिंह—मालपुरा नगरपालिका के चुनाव नहीं होने के क्या कारण हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो सुनाई नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष—इनको तो सुनाई दिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हमें भी सुनाई देना चाहिये सप्लीमेन्टरी प्रश्न पूछने का हमें भी तो अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष—जरूर।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय मंत्री इतने दबदब कर क्यों बोलते हैं ?

रावराजा श्री सरदारसिंह—मालपुरा के चुनाव अब तक नहीं होने के क्या कारण हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नगरपालिका के चुनाव हो गये हैं, उसका नतीजा भी निकल गया और अध्यक्ष का भी चुनाव होगया।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या जो नगरपालिका के अध्यक्ष हैं वे ही व्यक्ति वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मेरी जानकारी में नहीं है, हो सकता है नई नगरपालिका ने उन्हीं को अध्यक्ष चुना हो।

राव राजा श्री सरदारसिंह—अभी आपने फरमाया था कि अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ यह कहा था।

राव राजा श्री सरदारसिंह—उपाध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हमने तो चुनाव के लिये कह दिया है, क्यों नहीं हुआ इसका कारण मुझे मालूम नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि वहां की नगरपालिका के और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एक ही व्यक्ति चेयरमेन हैं, क्या आप इस प्रश्न का जवाब देने की स्थिति में हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमेन कौन है, मैं कई बार कह चुका हूं यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सरकार के ध्यान में है कि जो शहर के वाशिन्दे हैं, होते हैं वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमेन नहीं हो सकते, अतएव ये ही एक विशेष व्यक्ति हैं जो दोनों म्युनिसिपेलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमेन हैं क्या इस सिलसिले में जांच की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आप बारबार दोहराकर वही सवाल पूछते जा रहे हैं जिसके लिये मैंने कह दिया यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री एच० के० व्यास—क्या यह सही है कि वे व्यक्ति राजस्थान के एक मंत्री महोदय के रिश्तेदार हैं ?

(घंटी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे ख्याल से कम्युनिस्ट हैं।

राव राजा श्री सरदारसिंह—यहां का म्युनिसिपल बोर्ड कब से कायम है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बहुत अरसे से कायम है।

राव राजा श्री सरदारसिंह—अभी तक वहां कोई सार्वजनिक कार्य नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो म्युनिसिपेलिटी की मरजी पर है।

राव राजा श्री सरदारसिंह—जैसा आपने कहा आर्थिक संकट की वजह से कोई कार्य नहीं हुआ, जब कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो चेयरमेन हैं उनके पास पैसा है रूलिंग घराने के हैं फिर क्या वजह है कि कोई कार्य नहीं हुआ ?

Page No 8

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वे रूलिंग घराने के नहीं हैं, लेकिन वहां काम क्यों नहीं होता म्युनिसिपेलिटी के पास जितना पैसा होता है उतना काम कर सकते हैं।

राव राजा श्री सरदारसिंह—राजस्थान में क्या यही एक ऐसी म्युनिसिपेलिटी है जो किसी प्रकार का टैक्स नहीं लती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—टैक्स का मुझे मालूम नहीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २३

विभिन्न पंचायतों द्वारा भेजे गये समन्स को तामील करवाने के लिये एस० डी० ओ० राजगढ़ द्वारा प्रोसेस फीस की मांग

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Local Self-Government be pleased to state:—

(*a*) Is the Government aware that the S.D.O. Rajgarh (Alwar) has been demanding process fees in respect of summons sent to him by the various Panchayats for proper service ?

(*b*) Has the Government received any representation against the said S.D.O. in this respect ?

(*c*) Is the Government aware that the S.D.O. in question has recovered such process fees from Panchayat Sarpanch personally as arrears of land revenue and a representation in this matter was also sent to the Divisional Panchayat Officer, who has forwarded it to the S.D.O. in question for action ?

(*d*) Is the Government also aware that the S.D.O. has proceeded against the Sarpanch for having made such representation ?

(*e*) What action does the Government propose to take in this case ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जी हां।

(ख) जी हां ! पंचायत विभाग में प्राप्त हुआ है।

(ग) एस० डी० ओ० ने सरपंच से वसूली की है परन्तु ऐसी कोई सूचना नहीं है कि डी० पी० ओ० को कोई आवेदन-पत्र दिया गया और वह इस एस० डी० ओ० को भेजा गया हो।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) इस विषय में जांच हो रही है और उसके हो जाने पर उचित आदेश जारी किये जायेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने यह उत्तर दिया, इस भाग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता; तो कौन से का उत्तर दिया है आपने, मैंने तो यह पूछा था भाग डी में क्या इसका प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एस० डी० ओ० ने सरपंच से वसूली की हो ऐसी सूचना नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एस० डी० ओ० के खिलाफ कन्टेम्प्ट ओफ कोर्ट की प्रोसीडिंग की है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसकी जांच हो रही है ।

श्री अध्यक्ष—"(*d*) Is the Government aware that the S. D. O. has proceeded against the Sarpanch for having made such representation ?"

He asks whether contempt proceedings have been drawn by the S.D.O. against the person who has complained aginst him.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Exactly.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी बात मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसी बात ही नहीं है या ऐसी बात आपकी जानकारी में नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—It means the same thing.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I know it for certain that there is something. यह तो कहें कोई बात तो है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एस० डी० ओ० ने प्रोसीड किया हो ऐसी कोई बात मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि एस० डी० ओ० के पास जो रिप्रेजेन्टेशन डी० पी० ओ० ने भेजा था उस रिप्रेजेन्टेशन का बेसिस बनाकर कन्टेम्प्ट ओफ कोर्ट का मामला माना जाय, क्या इस सम्बन्ध में रिप्रेजेन्टेशन सरकार के पास आया या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सरकार के पास नहीं आया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस विभाग के इमीजियेट अधिकारी चीफ पंचायत ओफिसर हैं, क्या उनके पास इस स्पेसिफिक केस के सिलसिले में कोई रिप्रेजेन्टेशन आया या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वसूली जो की गई उस सिलसिले में सी० पी० ओ० के पास रिप्रेजेन्टेशन आया था । इसके अलावा और विशेष डिटेल्स की मुझे जानकारी नहीं उसकी इन्क्वायरी कलेक्टर द्वारा की जा रही है ।

Page No 10

श्री हरिकृष्ण व्यास—कन्टेम्प्ट ओफ कोर्ट की कार्यवाही करने के लिये रिप्रेजेन्टेशन सी० पी० ओ० को किया गया उस पर सी० पी० ओ० ने एक डी० ओ० लेटर लिखा है कलेक्टर को सिर्फ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कलेक्टर को इसी बेसिस पर जांच करने के लिये लिखा गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is not in respect of the recovery. In addition to the recovery the question of S.D.Os.' starting the contempt proceedings is there.

मैं इसी बारे में पूछ रहा हूं आपकी जानकारी में है या नहीं कि इस सिलसिले में रिप्रेजेन्टेशन सी० पी० ओ० के पास आया या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने निवेदन किया एक रिप्रेजेन्टेशन आया है उसकी डिटेल्स क्या है यह मुझे पता नहीं। रिप्रेजेन्टेशन को वापिस जांच के लिये भेजा है कलेक्टर के पास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब इस सिलसिले में सरकार क्या करने के लिये तैयार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कलेक्टर जांच कर रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—रिकवरी की या कन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करने की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सारे मामले की जांच के लिये कलेक्टर के पास भेजा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस सिलसिले में उस एस०डी०ओ० को सस्पेन्ड करने की कार्यवाही की गई है ? जब उसकी जांच के लिये भेजा है तो जब तक जांच न हो जाय उसको सस्पेन्ड रखा जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— I think you know the Rule.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी तो प्रिलिमिनरी जांच हो रही है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—He has proceeded under certain Rules of the High Court.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जांच का हुक्म किसने शाया किया ? (Who has ordered this enquiry?)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रिप्रेजेन्टेशन आने पर भेजा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं यह नहीं पूछ रहा हूं। आपने कहा कि जांच हो रही है तो जांच करने का भी किसी न किसी ने हुक्म तो दिया होगा न, तो मैं पूछ रहा हूं वह जांच का हुक्म किसने दिया ? I want to know who has ordered this enquiry.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—चीफ पंचायत आफीसर ने।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि कोई इन्क्वायरी का आर्डर नहीं दिया गया ? चीफ पंचायत आफीसर ने तो सिर्फ एक डी० ओ० लेटर लिखा है कि इस पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाना चाहिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जांच के लिये लिखा है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप फिर अपने कागजों को देख लें । जांच का आर्डर नहीं दिया गया है । Is that the definite position?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरी जानकारी में है यह । इसकी जांच होने पर आवश्यक आदेश दिये जायेंगे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में है, अब इस जानकारी में गलत है सही है क्या है ? 'इस मेरी जानकारी में है' इसका कोई इलाज है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद—मेरी जानकारी के अलावा और किसी की जानकारी चाहते हैं क्या ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—कई मामलों में दूसरों की जानकारी ज्यादा फायदे की हो सकती है, पर आपकी जानकारी के सम्बन्ध में आप निश्चित बताएं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—निश्चित ही तो बता रहा हूं कि रिप्रेजेन्टेशन इस प्रकार का आया यह सही है, उसे जांच के लिये कलेक्टर के पास भेजा गया, जांच होकर आने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

श्री अध्यक्ष—This is one aspect of the answer. Now the other question is whether any contempt proceedings by the S.D.O. have been drawn against the man who has complained against him? He is asking about that.

श्री बद्रीप्रसाद—रिप्रेजेन्टेशन की जांच के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दोनों के बारे में पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय, और मेरा यह कहना है कि जांच के आर्डर चीफ पंचायत आफीसर ने नहीं दिये हैं । इसकी कापी भी उस सरपंच के पास में है । अब आप सोच समझ कर जवाब दें तो ज्यादा अच्छा है । नहीं तो आप अपना उत्तर सदन की टेबल पर रख दें ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा वह बिलकुल ठीक है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कि चीफ पंचायत आफीसर ने जांच के लिये आदेश दिये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं जवाब दे चुका हूं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या जवाब दिया मैंने सुना नहीं । आप इसका हां या ना में जवाब दें तो अच्छा हो, मैं "हां" या "ना" में जवाब चाहता हूं । Is it a fact that the C.P.O. has ordered the Collector, Churu, to enquire into the case?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं इसका जवाब पहले दे चुका हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पहले कोई जवाब नहीं दिया। मेरी जानकारी है कि जांच का आर्डर चीफ पंचायत आफीसर ने दिया ऐसा आपने कहा है तो मेरी जानकारी की बात नहीं है, आप इसका निश्चित उत्तर दे दें कि आर्डर जांच का किसी ने दिया या नहीं। इस के बाद जो कुछ करना है मुझे कर लूंगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रिप्रेजेन्टेशन पर जांच चल रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं पूछ रहा हूं जांच करने की आज्ञा प्रदान कर दी है क्या ?

श्री अध्यक्ष—The reply will not come unless the Hon'ble member sits.

श्री हरिकृष्ण व्यास—लीजिये बैठ गया साहब मैं।

श्री अध्यक्ष—The reply has been made.

श्री हरिकृष्ण व्यास—जांच करने की आज्ञा प्रदान की जा चुकी है क्या ?

श्री अध्यक्ष—The facts which were in his knowledge have been stated and if the hon'ble member finds any evasiveness in the reply, he can table notice for half an hour discussion.

(विराम)

Next.

प्रश्न संख्या २४

कस्बा उनियारे के एक बाड़े में बैल काटने सम्बन्धी सूचना पर पुलिस कार्यवाही

राव राजा श्री सरदारसिंह—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या हाल में ही तहसील उनियारा, कस्बा उनियारा से एक मील दूरस्थ बाड़े में किसी ने बैल को काट दिया था ?

(ख) क्या यह सच कि इस बैल काटने की सूचना पुलिस स्टेशन, उनियारा में दी गई थी और वहां रोजनामचे में भी दर्ज की गई थी ?

(ग) यदि हां, तो पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) कोई बैल स्लॉटर नहीं किया गया। यद्यपि एक रिपोर्ट पुलिस स्टेशन, उनियारा में अब्दुलरहमान द्वारा अवश्य पेश हुई थी कि एक बैल, जिसकी टांग कटी हुई है, छीतरखां के बाड़े के सामने पड़ा हुआ है।

[श्री रामकिशोर व्यास]

(ख) जी हां, उपरोक्त सूचना दी गई थी।

(ग) केस रजिस्टर किया गया। तफतीश के बाद छीतरखां का तारीख १२-५-५६ को सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, टोंक की अदालत में चालान किया गया। यह केस अदालत में जेर तजवीज है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २५

जोधपुर शहर में म्युनिसिपेलिटी के शीघ्र निर्वाचन कराने सम्बन्धी शासकीय कदम]

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Local Self Government be pleased to state:—

(*a*) On what date was the Jodhpur Municipal Committee superseded and Administrator appointed and for what period?

(*b*) Has the Administrator been given any extension? If so, when and for what period?

(*c*) When does the Government propose to order Municipal Elections for Jodhpur city?

(*d*) What steps have been taken to see that elections are held at an early date?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) १-११-५५ को जोधपुर नगरपालिका के लिये एडमिनेस्ट्रेटर रक्खा गया है। शुरू में ६ महीने की अवधि के लिये वह रक्खा गया है।

(ख) २-२-५६ को वह ६ महीने समाप्त होते हैं तो छः महीने की वृद्धि और दी गई जो कि ३१-१०-५६ को खत्म होगी।

(ग और घ) इस नगरपालिका की सीमा बढ़ाने की मांग काफी समय से चल रही है। अब इसमें महामन्दिर का एरिया मिला दिया गया है और इसके आधार पर चुनाव सम्बन्धी कार्यवाही, वार्ड बनाना, मतदाता सूची तैयार करना आदि चल रही है। कुछ और एरिया भी इसमें मिलाने का प्रश्न है। इस बारे में एडमिनिस्ट्रेटर को आदेश दिये गये कि वह इलेक्शन की तैयारी करे और जल्दी से जल्दी यहां इलेक्शन करा दिया जावेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या एरिया को इन्क्लूड करने न करने का प्रश्न अभी तक फाईनेलाइज नहीं हुआ है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—महामन्दिर के एरिया का फाइनल हो गया है और कुछ एरिया के बारे में रिप्रेजेन्टशन आये हैं जैसे मन्डोर। तो इसके बारे में विचार हो रहा है।

Page No 14

श्री हरिकृष्ण व्यास—इलेक्टोरल रोल्स तैयार करने के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हमने इलेक्शन कराने का जनरल ऑर्डर सब जगह दे दिया है उसी के मुताबिक कार्यवाही हो रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह ध्यान में है आपके कि इलेक्टोरल रोल तैयार करने के बारे में कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जब लिमिट्स की बात फ़ाईनल होगी तब लिया जावेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह बात आपके ध्यान में है कि गवर्नमेन्ट की ओर से और दूसरे आदमियों की ओर से ऐसा अन्दाज दिया जा रहा है कि आम चुनाव से पहले इस नगरपालिका के चुनाव नहीं होंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने निवेदन किया कि हमारे यहां से एक जनरल सर्कूलर सभी जगह सम्बन्धित अधिकारियों को भेजा हुआ है और उसके मुताबिक सभी जगह काम हो रहा है। अब तो यह इलेक्शन का प्रोसेस कम्पलीट होने की बात है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—३१-१०-५६ को एडमिनिस्ट्रेटर की अवधि समाप्त हो रही है, क्या इसके बाद भी उसकी अवधि को बढ़ाने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अगर आवश्यकता हुई तो।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी विचार कर रही है या नहीं ?

Is it under the consideration of the Government to-day ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस समय कोई फाइल आई नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, फाइल किसके पास नहीं आई है? मंत्री महोदय के पास आई या नहीं, यह मैं नहीं पूछ रहा हूं, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं; मैं तो यह पूछ रहा हूं कि सरकार के विचाराधीन है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद—विचाराधीन तो हर बात हर समय रहती है। पर इस पर अभी फ़ैसला नहीं हुआ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार इस बात को बताने की स्थिति में है कि कौनसी अवधि तक वह यह चुनाव पूरे करा देगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जब सारे प्रोसेस खत्म हो जावेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस सिलसिले में कुछ महीने अथवा कुछ अवधि के रूप में यह प्रोसेस खत्म करने की बात बताने की स्थिति में सरकार नहीं है ?

Page No 15

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस प्रोसीजर में छः महीने का समय तो लगता ही है। वह तो कानून की बात है मैं इसमें रद्दोबदल नहीं कर सकता ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो ३१-१०-५६ के कम से कम ६ महीने बाद चुनाव होंगे, ऐसी सरकार की मंशा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सरकार की मंशा तो जल्दी से जल्दी चुनाव कराने की है और ऐसे ही आदेश दे भी दिये गये हैं। जैसे जयपुर में हमने ऐसे ही आदेश दिये थे, माननीय सदस्य को मालूम होगा । इसी तरह सब जगह दिये गये हैं। अब कहीं पर कुछ नई दिक्कतें आ जाती हैं और उनमें समय लग जाता है तो वह तो फिर अनिवार्य है ऐसे एरिया के बारे में। इसमें लिमिटेशन फिक्स होने के बाद उसे गजट में देना पड़ता है, दो महीने का समय इसमें लगता है फिर बोर्ड फिक्स होते हैं, सिंगल या डबल कान्स्टीट्यूएन्सी का तय होता है तो इन सारे प्रोसेस में समय तो लगता ही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वहां के वार्ड की तालिका जहां तक याद है कई दिन पहले सरकार को भेजी जा चुकी है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह तो गजट में शाया कर दिया। पर लिमिटेशन्स पर दुबारा रिप्रेजेन्टेशन आ रहे हैं इसलिये समय लग रहा है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास– वार्ड फाइनल करके सरकार के पास भेजा जा चुका है, इस बात के बारे में स्पष्ट उत्तर दीजिये कि आपके पास आये या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने निवेदन किया कि आये और उन्हे गजट में शाया भी कर दिया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो अब जो रिप्रेजेन्टेशन आये हैं उनका निर्णय कब तक कर देंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और नियमानुसार कार्यवाही उस पर की जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस पर निर्णय कब तक कर सकने की स्थिति में सरकार होगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की जावेगी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस महीने के अन्त तक इसका निर्णय करना सम्भव हो सकेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह आप ही सोच सकते हैं। आप भी समझते हैं और मैं भी यह समझता हूं कि इसमें कितना समय लगना चाहिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास– क्या सरकार इस स्थिति में है कि निर्णय अधिक से अधिक कितने समय में कर लेगी यह बता दे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आवश्यक जो प्रेसेस है वह पूरा होने पर निर्णय कर दिया जावेगा। रिप्रेजेन्टेशन आने पर उसे कलक्टर एस. डी. ओ. आदि के पास उनकी इस पर रिपोर्ट देने के लिये कहा गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि कलेक्टर की रिपोर्ट पहुंच चुकी है आपके पास और इसे पहुंचे कई दिन हो चुके हैं।

श्री बद्रीप्रसाद—यह सही है। अब भी जो कुछ प्रोसेस हैं वे पूरे हो जाने के बाद निर्णय हो जावेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब सरकार इस पर निर्णय लेने में कितने दिन और लेने का इरादा रखती है ?

श्री बद्रीप्रसाद—अभी जाब्ते की कार्यवाही की जा रही है, बेजाब्तगी की कोई बात नहीं करेंगे यह आप विश्वास रखिये। अभी दो महीने का समय और लोगों के ऐतराज इस पर इन्वाइट करने के लिये देना है। इसके बाद निर्णय हो जावेगा।

प्रश्न संख्या २६

प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाई जाने वाली टोंक, उनियारा, अलीगढ़ इत्यादि सड़कें

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत टोंक, उनियारा, अलीगढ़, सवाईमाधोपुर की व टोंक, उनियारा, इन्द्रगढ़, लाखेरी की सड़कें स्वीकृत की गई हैं ?

(ख) यदि हां, तो इन सड़कों का कहां तक निर्माण हो चुका है और यह अब किस अवस्था में हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इन सड़कों को प्राथमिकता दी गई थी ?

(घ) इन सड़कों के निर्माण कार्य में देरी होने का क्या कारण है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (निर्माण मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) इन सड़कों का निम्न प्रकार अब तक निर्माण हो चुका है और शेष हिस्सों में कार्य चालू है:—

(१) टोंक, उनियारा, अलीगढ़, सवाईमाधोपुर की सड़क:—

१. मील १ से ५ तक में मिट्टी का कार्य व कलेक्शन का कार्य पूरा हो गया है। कुटाई का कार्य इन्जिन मिलने पर निर्भर है।

Page No 17

[श्री रामचन्द्र चौधरी]

२. मील ६ से ९ व १० से १३ व १४ से १९ में मिट्टी का व कलेक्शन का कार्य पूरा होने के बाद कुटाई का कार्य जारी है और ९ मील कुट चुकी है।

३. मील २० से २५ में मिट्टी का व कलेक्शन का कार्य चालू है।

(२) टोंक, उनियारा, इन्द्रगढ़ लाखेरी की सड़क:—

१. मील ० से १३ तक की पूरी हो चुकी है।

२. मील १४ से १८ तक कलेक्शन व मिट्टी का कार्य पूरा होने के बाद कुटाई का कार्य चालू है।

(ग) नहीं। किसी सड़क को प्राथमिकता नहीं दी गई। कार्य योजनानुसार किये गये हैं।

(घ) उपर्युक्त सड़कों के हिस्से में काली मिट्टी होने के कारण बरसात में कार्य बन्द रहता है और फिर खान ढूंढने में देरी लग गई इसलिये इस काम को थोड़ी देर से लिया गया।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि रोड रोलर्स की कमी भी एक प्रमुख कारण है, निर्माण कार्य में देरी होने का ?

श्री चौधरी—कहीं २ रोड रोलर्स की कमी के कारण भी काम थोड़ा रुका है।

श्री गोयल—क्या सरकार पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण को देखते हुए अधिक रोड रोलर्स उपलब्ध हो सकें, ऐसी कोई व्यवस्था सोच रही है ?

श्री चौधरी—हां, ज्यादा रोड रोलर्स मंगाये हैं।

श्री सरदारसिंह—क्या यह भी कारण है कि ठेकेदारों का पेमेन्ट नहीं होने की वजह से वे इन कार्य में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं ?

श्री चौधरी—ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं है।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—प्रश्न समाप्त हुए।

सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री अर्जुनसिंह, डिविजन संख्या ४, ने दिनांक २४ सितम्बर, १९५६ से २८ सितम्बर, १९५६ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

अधिक अनुदान की मांग संख्या ६८–का विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री अध्यक्ष—Yes, P.W.D. Minister's reply.

श्री रामचन्द्र चौधरी (निर्माण मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, कल दो माननीय सदस्यों ने कट मोशन पेश किये, उनमें सिर्फ यह था कि ११ लाख रुपये थर्मो इलेक्ट्रिक स्कीम के लिए मन्जूर हुए और उसमें सन् ५२–५३ में ५,२२,४५९ रुपये ज्यादा खर्च हुए।

इस छोटे से मसले पर बहस नहीं होकर एक माननीय सदस्य ने तो सारे जितने महकमे गवर्नमेन्ट के हैं उन सबको क्रिटीसाईज़ किया और कुछ ने कुछ व्यक्तियों की शिकायतें की हैं। इससे पूर्व कि मैं उनके एतराजात का जवाब दूं मैं यह बतला देना चाहता हूं कि यह ५,२२,४५९ रु० जो ज्यादा खर्च हुए हैं उनमें से कुछ तो नाना पॉवर हाउस, जयपुर में ४१,५०९ रु० और कुछ जयपुर पॉवर हाउस में ४६-४७ में टरबाईन्स आये थे उनकी कस्टम ड्यूटी या इम्पोर्ट ड्यूटी अभी तक पे नहीं की गई थी उसके ७६,१२६ रु० ३ आ० दिये। ग्रो मोर फूड केम्पेन जब कि ५२-५३ में बहुत जोर से शुरू हुआ था तो उसके लिए हाई टेन्शन और लो टेन्शन लाइन्स डाली गई थीं, उसके लिए ४९,३६२ रु० १० आ० ३ पा० खर्च किया गया था। टोंक में २१० किलोवाट्स के दो सेट्स लगाये गये थे जिसके १,९०,६८२ रु० २ आ० खर्चे के हुए थे। इस तरह से यह ज्यादा खर्चा हुआ है। बहुत सी चीजें तो बजट में शामिल कर ली गई थीं लेकिन कुछ बातें बाकी रह गई थीं। जो अचानक बहुत ज्यादा खर्च होगया है उसको रेग्युलेराइज़ करने के सिवाय केवल और कोई बात नहीं थी।

अब मैं श्री एच. के. व्यास ने जो कुछ एतराजात किये उनके जवाब देना चाहता हूं। एक बात उन्होंने यह कही कि बिजली विभाग में बहुत फिजूलखर्ची है और कोयले मंगाने में ३६ रु० ३ आ० का टेन्डर किसी फर्म ने दिया उस पर गवर्नमेन्ट इतनी महरबान हुई कि ३६ रु० ३ आ० के बजाय ३७ रु० २ आ० पर कोयला मंगाने की मन्जूरी दी, यानी १५ आने फी टन ज्यादा उसका पेमेन्ट किया गया, मेरे खयाल से अगर कोई दूसरा आदमी, जिसको कि बहुत से भेद मालूम नहीं हैं, वह ऐसी बात कहता तो ठीक था, लेकिन मैं उन माननीय सदस्यों से ऐसी उम्मीद नहीं रखता था कि इस तरह के एतराजात जानते हुए भी करेंगे, क्योंकि पहले जो टेन्डर दिया गया था उसमें रेलवे स्टेशन से पॉवर हाउस तक ले जाने का हॉलेज यानी खर्चा जो था वह चीफ इन्जीनियर को बोर्न (borne) करना था। और उसके अलावा कोल में जो ट्रान्जिट में वजन में कमी होती है क्योंकि पहले वह ब्रोड गेज में आता है और बाद में मीटर गेज में लाते हैं तो उसमें जितनी कमी हो जाती है और फिर बाद में यह कहा गया कि अपने पॉवर हाउस के साईडिंग में उतरेगा और उसका जितना वजन होगा उसका ही पेमेन्ट करेंगे। इस पर तखमीना लगाया गया और यह कहा गया कि ३ परसेन्ट इसमें खर्चा ज्यादा पड़ेगा यानी दो आना फी रुपये के करीब। उस तीन परसेन्ट के हिसाब से वह एड किया गया और यह उनकी मांग उचित थी। इसलिये ३ परसेन्ट का ज्यादा खर्च करके जितने भी टेन्डर आये थे उन पर सब पर बढ़ाया गया....

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या आपके ध्यान में यह भी बात है कि उस फर्म ने जो टेन्डर दिया था ३६ रु० ३ आ० का वह per ton F.O.R. Power House Way Bridge, Jaipur था। अब उसको ध्यान में रखते हुए अपने उत्तर को दोहरायें।

श्री चौधरी—मैंने आपको बतलाया कि कोल की बड़ी जबरदस्त एन्क्वायरी हुई जिसमें रेवेन्यु बोर्ड के चेयरमेन, चीफ इन्जीनियर और एक शख्स और थे। उन्होंने एन्क्वायरी की, उसके मुताबिक फेक्ट्स हैं वह रख रहा हूं। उसमें आपको मालूम है कि यह चीज नहीं थी कि साइडिंग एफ. ओ. आर. रिसीट होती है उसके मुताबिक पेमेन्ट होता है। अब पॉवर हाउस में जितना वजन होगा उसका पेमेन्ट देंगे। उसमें ५ परसेन्ट लॉस जाता है अमूमन। उसके बाद हॉलेज आता है। It will be borne by the Chief Engineer. यह उसमें लिखा है। आप देखिये टेन्डर को।

इसमें १५ आने का ज्यादा रेट उनको दिया गया।

दूसरा एतराज यह किया कि जो भी पॉवर हाउस में सामान इशू होता है उसमें पूरा खर्च हो जाता है या उससे जो बचता है उसकी एन्ट्री का कोई इन्द्राज नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसकी पूरी जांच की है और मुझे बतलाया है कि साल भर से तो कम से कम जो सामान इशू होता है और जो बाद में वापिस होता है उसकी बाकायदा एन्ट्री होती है। एकाउन्टेन्सी में पहले पूरा इन्द्राज नहीं होता था शुरू शुरू सन् ५२ में पहले कुछ गडबड रहती हो तो मुमकिन है।

फिर आपने एतराज किया है, एतराज तो नहीं किया है उन्होंने तारीफ की कि पहले यहां पर ६॥ पौंड फी युनिट जनेरेशन का खर्चा था वह अब घट कर साढ़े तीन पौंड तक आगया है। तो उन्होंने कहा कि मशीन में कोई खराबी नहीं होती है। लेकिन आपको मालूम है कि ब्वॉईलर पर यह डिपेन्ड करता है कि कोयला कितना खर्च हो। यदि ब्वॉईलर की अच्छी तरह मरम्मत हो, वह अच्छे आर्डर रहे तो कोयले का कन्जम्पशन कम आयेगा और ब्वाईलर में गड़बड़ रहेगी, साफ नहीं होगा तो कोयला का ज्यादा खर्चा होगा। हमारे यहां राजस्थान में पावर हाउसेज़ में ब्आईलर्स की इतनी कमी है कि जितने भी ब्आईलर्स हैं उन्हें भी २४ घन्टे रन करना पड़ता है। और कोई ऐसा टाइम नहीं मिलता है कि ब्आईलर्स को खोलकर रिपेअर्स कर सकें। दो घन्टे के लिए खोलेंगे तो आप लोग चिल्लाने लगेंगे कि बिजली बन्द होगई। ब्आईलर्स की मरम्मत नहीं होने के कारण कोयले का कन्जम्पशन ज्यादा होता है।

आपने यह भी एतराज किया था कि नये चीफ इन्जीनियर पेराशूट से उतर कर आये हैं वे सिवाय खरीदने खरीदने के ही और कोई बात नहीं करते हैं।

यह भी मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि राजस्थान में बिजली के सामान की कितनी कमी है और बिजली का सामान अपने देश में नहीं मिलता है और वह ज्यादातर बाहर के देशों से मगांना पड़ता है। जिन चीजों का आज हम आर्डर करते हैं उनकी डिलिवरी १८ महीने से २४ महीने के बाद आती है। जो सामान हम आज मंगा रहे हैं वह १८ महीने के बाद मिलेगा और फिर उसके इन्स्टालेशन में भी तीन महीने का समय लग जाता है। तो इस तरह से आज का सामान का आर्डर दिया हुआ वह दो साल में जाकर लग सकेगा। हम इसमें

Page No 20

[श्री रामचन्द्र चौधरी]

बहुत पीछे हैं। जितने थर्मल स्टेशन्स राजस्थान में पांच वर्षों में कायम करने के उनके लिए आर्डर्स दिये जा चुके हैं और जयपुर जोधपुर में जितने टरबाइन लगेंगे उनके आर्डर्स किये जा चुके हैं। आपको यह मालूम होगा कि चीफ इन्जीनियर का इसमें कोई हाथ नहीं है, यह सब सामान के आर्डर्स तो डी. जी. एस. डी. और सेन्ट्रल परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को जाते हैं, वे ही ऑर्डर करते हैं। इसमें चीफ इन्जीनियर या सतसंगी क्या खायेंगे और कमायेंगे, ये तो सब एतराज करने के ही हैं, लेकिन फिर भी यों ही एतराज करते हैं तो मुझे थोड़ा दुःख होता है। किसी ऑफिसर को क्रिटिसाइज करने के पहले यह जांच करनी चाहिए जब कि इस सभा जैसी बड़ी जगह में क्रिटीसाइज कर रहे हैं। ६-८ महीने में नये चीफ इन्जीनियर आये हैं उनके बाबत तो मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं सुनी है कि उन्होंने कोई गड़बड़ी की हो और मैं समझता हूं कि आपके पास भी कोई कान्क्रीट प्रूफ नहीं है कि गड़बड़ी की। अगर आप बतायें तो मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं।

एक मित्र ने कहा कि श्री सतसंगी ने बड़ी गड़बड़ी की है और मैं चेलेन्ज करता हूं कि इन्क्वायरी बैठायें तो मैं साबित कर सकता हूं। अच्छा हो कि वे साबित करें। हम भी यही चाहते हैं कि कोई सज्जन आगे आये और कोई स्पष्ट चीज रखे। गवर्नमेन्ट की मदद करें और इमदाद दें। लेकिन बहुत सी दफा यह होता है कि कोई इन्क्वायरी इन्स्टीच्यूट करते हैं, जिसके खिलाफ इन्क्वायरी होती है वे उनके पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मैं बालबच्चेदार आदमी हूं और फिर वे ही उसकी सिफारिश करने चले आते हैं। यह दिक्कत है। गवर्नमेन्ट नहीं चाहती है कि जो रहने लायक नहीं है उसको एक मिनिट भी रखे। लेकिन गवर्नमेन्ट की भी मजबूरियां हैं कि कांस्टिट्यूशन के अन्तर्गत उनका जवाब लेना पड़ता है और बिना प्रूफ के हटाया नहीं जा सकता। गवर्नमेन्ट तो चाहती है कि कड़ा कदम ले और रियायत नहीं बरते, लेकिन आप लोग ही फिर कोई कार्यवाही नहीं कराते तो फिर गवर्नमेन्ट की उसमें मजबूरी है।

श्री एच. के. व्यास ने कहा था कि गंगानगर पॉवर हाउस से शुगर फेक्टरी को कुछ कोल दिया गया था जो आज तक नहीं दिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—शार्दूल टेक्सटाइल मिल्स से।

श्री रामचन्द्र चौधरी—शार्दूल टेक्सटाइल मिल्स से गंगानगर पॉवर हाउस से कोई कोल उधार लिया है दिया नहीं गया। आपकी जो जानकारी है वह गलत है। मैंने इसका पता लगाया है।

तो ये सब बातें अर्ज करके मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने कटौती मोशन को वापिस ले लें और इसको पास करें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, जिस टोन में मंत्री महोदय ने मुझे कट मोशन वापिस लेने के लिये कहा है वह तो काफी इर्रेजिस्टेबल है, लेकिन जो तथ्य उन्होंने कहे वह मैं समझता हूं कि इसको वापिस लेने के बजाय इसको बढ़ाने की नौबत आ जाय, इस स्थिति के तथ्य उन्होंने कहे। काफी चर्चा सदन में इस बारे में हो चुकी है और यह आवश्यक नहीं है कि उन सब चीजों को दोहराया जाय। लेकिन दो या तीन बातों का जवाब अभी मंत्री महोदय ने दिया और जवाब देने की कोशिश

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

में वे और दो चार गलत बातें यहां कह गये, उनके बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। अभी अभी उन्होंने यह कहा कि कोयले की खरीद के मामले में अगर कोई ऐसा आदमी कहता तो बात दूसरी थी लेकिन मेरी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने यह कहा कि उनकी ओर से ऐसी बात आना यह उन्होंने बड़ी ताज्जुब पैदा करने वाली चीज है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिये तुरन्त तैयार हूं कि जो बातें सदन में कही जाय वे पहले पूरी जानकारी उपलब्ध करके कही जायं। मैं इस सिद्धान्त को भी पूरी तरह मानने के लिये तैयार हूं कि यदि यहां जो बातें कही जाती हैं उनमें कोई खामी या कमी रहे तो वे भी जिस किसी सदस्य द्वारा कही जाती हैं वह सदन के प्रति गैर इन्साफी और गैर-जिम्मेदारी करता है। लेकिन यह बात एक तरफा नहीं है। यह कानून एक तरफा नहीं है। यह कानून उधर बैठने वालों पर भी लागू होता है और इधर बैठने वालों पर भी लागू होता है और यह कानून मैं समझता हूं कि कम ज्यादा नहीं तो बराबर बराबर तो दोनों पर ही लागू होना चाहिये। अतएव इस सिलसिले में जिसने जो बात कही उसमें किसी की बात तथ्यों से परे है, यह तो निर्णय सदन खुद कर पायेगा। मैं इस सिलसिले में सार्वजनिक लेखा समिति की सेकिन्ड रिपोर्ट के पेज ३३ की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। उसमें कोयले की पर्चेजेज के केस को डिस्कस करते हुये ये शब्द दर्ज किये गये हैं: "When rates are once put down in the tender, no revision of such rates subsequent to the opening of the tenders could or should be permitted. The Department has, however, given a go by to this very important and vital principle of store purchases through tenders and the reason given for the revision of rates made in respect of Messrs S. N. Sunderson and Company is simply ridiculous." यह शब्द कहे हैं, कमेटी ने। "Is simply ridiculous."

"When the tender notice stipulated that the supplies will have to be made F.O.R. destination and the firm also quoted rates F.O.R. Power House Weigh Bridge, it is presumed that all losses during transit have been included by the tenderers in the rates tendered by them. Contrary to this clear-cut position however the department went out of its way to permit an addition of 3% to the rates quoted by them in the tender."

मंत्री महोदय ने लम्बी चौड़ी दलीलें यहां पर दीं। इसमें लम्बी चौड़ी दलीलों की जरूरत नहीं है और यदि इस सिलसिले में वे चाहें तो फाइलें शायद यहां होंगी। मैं उनसे कहता हूं, दरख्वास्त करता हूं, कि वे एक मिनिट के लिये जाकर के ओरिजिनल टेन्डर को देख लें जो मेसर्स एस. सुन्डरसन एण्ड कम्पनी ने दिया है। टाइप किया हुआ है, मैं आप को बता दूं। छोटी साइज का कागज है यह भी मैं आपको बता दूं। पहले तो एफ. ओ. आर. क्लीयर की रेट्स दी हैं पहले कालम में और दूसरे में दी हैं एफ. ओ. आर. पावर हाऊस, वे ब्रिज, जयपुर। वो रेट्स हैं ३६ रुपया ३ आना और आपने आर्डर्स प्लेस किये हैं उनमें दर्ज किये हैं आपके विभाग की फाइल में ३% दिया जावे to cover losses during transit) अतः ३७ रुपयों २ आनों की रेट मंजूर करनी चाहिये।

अब आप मुझे यह समझा दीजिये एफ. ओ. आर. पावर हाऊस वे ब्रिज की रेट में लोसेज ड्यूरिंग ट्रान्जिट आता है या नहीं। इन फेक्ट्स में या जो फेक्ट्स कह रहे हैं उनमें अंश मात्र भी इधर उधर हो

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो आप अभी बता दें और यदि ये फैक्ट्स सही हैं तो फिर कन्क्लूजन पर आप कैसे आ सकते हैं ? आपकी सूचना के लिये अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से सार्वजनिक लेखा समिति का कनक्लूजन जो था वह भी पढ़ कर सुना देता हूं। उन्होंने सारे फैक्ट्स का अध्ययन करने के बाद यह निर्णय दिया है: "Each one of the facts stated in the preceding paragraph would be sufficient to raise suspicions, but all these put together hardly leave any doubt as to the possible reasons for the conduct of the officers dealing with this matter. We have come to the definite conclusion that during this whole transaction the officers concerned exhibited a flagrant disregard of the interests of the Government and all this for reasons which could not be considered bona fide." यह राय जिन माननीय सदस्यों की है उनमें स्वर्गीय श्री कपिलदेवजी हैं, श्री नाथूरामजी मिर्धा हैं, मौजूदा वित्त मंत्रीजी श्री बृजसुन्दरजी शर्मा हैं, श्री हजारीलालजी शर्मा हैं, और भी कई माननीय सदस्य हैं, तो यह स्थिति है अध्यक्ष महोदय, यहां इतने जोर से जवाब दिया गया उसके बारे में। अब यह तो मंत्री जी इसके बारे में खुलासा कर पायेंगे, यदि नहीं तो सदन खुद निर्णय कर लेगा। यहां जो बात कही जाती है वह किधर से अधूरी कही जाती है या किधर से मुगालता दिया जाता है यह देखने की बात है।

अब दूसरा प्रश्न जो है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय, और एक दो शब्द मैं उसके बारे में कह दूं। वह प्रश्न यह है कि इस विभाग के काम काज के सिलसिले में मैंने कुछ विशेष बातों की ओर संकेत किया था। वैसे तो यह एक पुराण है लम्बा चौड़ा। लेकिन कुछ विशेष बातों का संकेत किया था उनमें से एक भी बात का जवाब मंत्रीजी ने नहीं दिया। इस विभाग का स्टोक्स और स्टोर्स अकाउन्ट है उनका सालाना वेरिफिकेशन होता है या नहीं ? हकीकत यह है कि राजस्थान बनने के बाद से अब तक जयपुर पॉवर हाउस को छोड़कर एक भी पावर हाउस के स्टोक का वेरिफिकेशन नहीं हुआ। जयपुर पॉवर हाउस का वेरिफिकेशन हुआ वह भी अधूरा हुआ। मौजूदा बेलेन्स को रजिस्टर में दर्ज किया लेकिन पुराने बुक अकाउन्ट और आज के बेलेन्स में जो डिस्क्रिपेन्सी या फर्क है उसका क्या हुआ ? आज तक इसका पूरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ इसका मतलब यह है कि फिजीकल वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ। आप उत्तर देते और बताते कि कौनसी विशेषताएं हैं जिनके कारण सालाना वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। ८ साल से अब तक कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। आप कहते हैं कि इसमें कठिनाइयां और परेशानियां हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जान बूझ कर वेरिफिकेशन नहीं करवाया जा रहा है। इसमें कौनसी ऐसी बात है जिससे वेरिफिकेशन नहीं हो सकता ? सरकार के द्वारा इतने बड़े बड़े काम किये जाते हैं लेकिन यह नहीं किया जाता है। क्यों नहीं ऐसा आर्डर दिया जाता कि ३ महीनों में वेरिफिकेशन पूरा होना चाहिये। लेकिन यह काम नहीं किया जाता क्योंकि लिस्ट कम्पेयर होगी तो न मालूम कितने सामान का गबोला होगा।

आपने इस बात का भी उल्लेख किया कि ६॥ पाउन्ड से ३। पाउन्ड होना बहुत अच्छी बात है। बोईलर के कारण यह हुआ है यह दुरुस्त है। असल बात बोइलर पर मुनसर है लेकिन बोइलर तो वे के वे हैं ४ महीनों में ही कैसे फर्क पड़ा ? ज्यादा से ज्यादा ६ महीने में फर्क पड़ा है। क्या आप बता सकते हैं कि इन ६ महीनों में कोई नये बोइलर लगाये गये हैं या वे ही पुराने बोइलर हैं ? यह सही

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बात है कि जब टाइटनिंग होना शुरू हुआ तब इधर से उधर आना जाना बंद हुआ और फरजी कंजम्पशन जो दिखाया जाता होगा वह बंद हो गया होगा। यह है असलियत। यदि असलियत को नहीं देखेंगे तो यकीन मानिये कि बिजलीघर का सुधार नहीं हो सकेगा, जब तक इस बारे में बिल्कुल साफ कट्टर दृष्टिकोण नहीं रखा जायगा तब तक कोई सुधार नहीं हो सकेगा। ऐसी हरकतें की जाती हैं कि यदि किसी अधिकारी की गड़बड़ियों की शिकायत की जाती है तो शिकायत करने वाले को ट्रान्सफर का हुक्म हो जाता है उस अधिकारी की जांच करने के बजाय, ऐसी आज भी सूरत है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके विभाग में मस्टररोल तक गायब हो जाते हैं। यदि आपको यकीन न हो तो नया पॉवर हाउस के पिछले अक्तूबर माह के मस्टररोल देख लीजिये वहां से मस्टररोल गायब हो गये और आज तक किसी के भी खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। यदि ऐसी ही स्थिति चलती रही तो कोई सुधार नहीं हो सकता।

किसी आदमी की शिकायत करनी हो तो उसके बारे में पूरी तरह से पता हो तब शिकायत करनी चाहिये, ऐसा आपका कहना है। लेकिन क्या मंत्रीजी के ध्यान में वह बात नहीं आई जो कल मैंने कही थी कि नये चीफ इंजीनियर हैं उनके काम के बारे में आप दरियाफ्त करेंगे तो पता चलेगा कि वे केवल परचेजेज की चार छः फायलों के और कोई काम नहीं देखते। आपका चीफ इंजीनियर केवल मिनिस्टरों के रिक्वीजेशन और परचेजेज की फाइलों को ही देखे और दूसरा काम नहीं देखे ऐसा हो रहा है इस बात की छानबीन करने की स्थिति में होना चाहिये। क्या आप इस स्थिति में हैं कि मैंने जो बात कही है उसको कोन्ट्राडिक्ट करें? यदि नहीं, तो गड़बड़ी करने वालों के बारे में लाग लपेट नहीं करना चाहिये। मैं कहता हू कि ऐसा दृष्टिकोण अपनाना तो दूर रहा, लेकिन मंत्रीजी का जो मौजूदा दृष्टिकोण है, चाहे वह किसी भी कारण से हो, उससे इस विभाग में गड़बड़ करनेवाले लोग खुशियें मनायेंगे और वे कहेंगे कि ऐसा ही चलता रहा तो पो-बारह हैं। इसलिये इस कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने के बजाय यदि अध्यक्ष महोदय, आप आज्ञा प्रदान करें, हालांकि रूल्स में इस बात के लिये गुंजायश नहीं है कि अपनी कटौती की रकम को बढा सकूं। यदि यह रकम नहीं बढ़ाई जा सकती है तो मैं अपना कटौती प्रस्ताव उसी रूप में पेश करके अपना स्थान लेना चाहता हूं। यदि मंत्री महोदय मेरे कथन को कोन्ट्राडिक्ट करना चाहें और ३६ रु० २ आने के बारे में बोलना चाहें तो बोलें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो मांग सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने रखी है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ६८ शीर्षक ८१-का-विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में संघनित निधि

Page No 24

[श्री अध्यक्ष]

में से ३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाली अवधि में किये गये व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रुपये ५,२२,४५९ तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

हां, मांग स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान के लिए मांग संख्या ५३–तार-राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम-

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)–माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ५३, लेखे का शीर्षक तार-राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ अक्तूबर, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रु० ३००० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, जो मांग प्रस्तुत की गई है, मांग संख्या ५३-राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम के सम्बन्ध में, इसमें मेरा प्रस्ताव है कि १०० रुपयों की कटौती कर दी जाय ।

इन मांगों के सिलसिले में जो एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम प्रस्तुत किया है उसमें इस मांग के एक्स-प्लेनेशन में दो कारण दिये गये हैं अध्यक्ष महोदय । एक तो भरतपुर जिले के बाढ़ पीड़ितों के बारे में और दूसरा कारण दिया गया है राजस्थान के राज्य वित्तीय निगम के ५५-५६ के वर्ष के लिये सहायता देने के बारे में उल्लेख है ।

राजस्थान का जो स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन बना है उसके हिस्सेदारों को साढ़े तीन प्रतिशत लाभांश देने की गारन्टी दी जा चुकी है और चूंकि इस गारन्टी को पूरा करने की स्थिति में निगम के हिसाब किताब में से निकली नहीं इसलिये जितनी आमदनी उसमें हुई उसको देने के बाद लगभग एक लाख रुपये का लाभ इस निगम को रह जाता है और साढ़े तीन प्रतिशत की दर से लाभांश देने के लिये लगभग २,८७,००० रुपये की धनराशि की जरूरत रहती है, इसलिये सरकार को इस निगम की सहायता के तौर पर १,७८,९९३ रु० ११ आ० देने पड़ेंगे, ऐसा उल्लेख किया गया है ।

तात्पर्य इसका यह है अध्यक्ष महोदय, कि करीब करीब यह पौने दो लाख की मंजूरी है, पर मंजूरी टोकन रूप से मांगी गई है, वह पैसा तो बचा हुआ रहेगा राज्य सरकार के पास में । मंजूरी जो मांगी गई है वह असली धनराशि को प्रदर्शित करे यह बात नहीं है, मंजूरी मांगी गई है ३००० रुपये की । असली धनराशि मंजूर कराई जा रही है वह एक भाग में करीब पौने दो लाख की है । यह पौने दो लाख रुपया अकेले एक व्यक्ति को भेंट किया जा रहा है । राजस्थान में राजस्थान सरकार ने एक पहली गलती की और वह यह गलती की कि स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन के तहत फाइनेन्शियल कारपोरेशन के चेयरमेन को मनोनीत करने का अधिकार था उसका ठीक से प्रयोग नहीं किया गया और इसका नतीजा यह हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति को ला कर इस कारपोरेशन का चेयरमेन बना दिया जिसकी देख-रेख में सिवाय इसके कुछ भी नहीं हुआ कि इस कारपोरेशन

Page No 25

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

को तो घाटा लगाता जावे और सरकार से सहायता लेते जावें और न मालूम सरकार से किस रूप से उस व्यक्ति का मेलजोल है, मुख्य मंत्री का मेल जोल है या वित्त मंत्री का मेल जोल है, पर है जरूर और ऐसा मेल जोल है जिसके कारण उनके आगे जुबान जा कर रुक जाती है। तो ऐसे हाथ में कारोबार देने का नतीजा यह हुआ कि यह कारपोरेशन साल भर से ज्यादा चली लेकिन किसी को कर्ज देने की कार्यवाही नहीं हो पाई है, जो एप्लीकेशन्स आई उसमें से साल भर में दो एप्लीकेशन्स मंजूर हो पाई हैं और जो फंड्स थे वे भी ठीक रूप से रखे जांय इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है, जो इसके चेअरमेन हैं वे ही जयपुर बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेअरमेन हैं। तो इस तरह मेल जोल करने से इस फाइनेन्शियल कारपोरेशन को जितना लाभ होना चाहिये था वह लाभ भी नहीं हो पाया है। यह पहले ही वर्ष की बात हो यह बात नहीं है अध्यक्ष महोदय! अभी जो ऋण दिया जा रहा है इस कारपोरेशन के द्वारा वह ऐसे लोगों को दिया जा रहा है और गारन्टीज भी पूरी नहीं ली जा रही हैं कि आगे जा कर ऐसे गलत इन्तजाम के कारण सालोंसाल ऐसी रकम मंजूर कराने की नौबत आने वाली है। और धन्यवाद है वित्त मंत्रीजी को और उनके मित्र पोद्दारजी को कि पौने दो लाख की चपत तो राजस्थान सरकार को एक साल में ही दे दी और मांगों पर बोलने का मौका आने पर बताया जायगा कि और भी चपतें दी हैं। और मांगें आयेंगी तो बताऊंगा कि उनके कमिशन्स को बड़ी चढ़ी कीमतों में खरीदा जाता है। बिजलीघर की मांग आयेगी तो बताऊंगा अध्यक्ष महोदय, कि सरकार का हुक्म हो जाता है ऑडिट ओब्जेक्शन्स के बाद कि २ आने के भाव से बिजली की रकम वसूल की जाय पर वसूल नहीं की जाती, ना मालूम कैसा जादू का डंडा फेर रखा है। आडिट ओब्जेक्शनन्स होते हैं, सेक्रेटरी टू दी राजस्थान गवर्नमेन्ट के नाम से वसूल करने का हुक्म निकलता है फिर भी वसूल नहीं होता। ये कार्यवाहियां हैं यह उनका नमूना है फाइनेन्शियल कारपोरेशन का। आवश्यकता तो इस बात की है कि इस जयपुर बैंक, जिसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है उसकी देख भाल कराई जाय और जब डिमनीटाइजेशन हुआ था और एक हजार के नोट सर्कुलेशन में से निकाल दिये गये थे, उस समय किस किस के खाते इस बैंक में खुले जिसके बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के चेअरमेन वही सज्जन हैं। वैसे ही फाइनेन्शियल कारपोरेशन में राजस्थान सरकार की खुद की पूंजी लगी हुई है, इतना होते हुए भी जो असावधानी बरती है उसके चेअरमेन मुकर्रर करने में, जो पक्षपात एक विशेष व्यक्ति के साथ किया गया है, एक सौदेबाजी का रुख अपनाया गया है, अपनी खुद की पार्टी या दल के हितों के लिये या अपने निजी हित के लिये या अपने दल के स्वार्थों के कारण यह रुख अपनाया है उसके कारण ये पौने दो लाख का घाटा हो रहा है। यह पौने दो लाख रुपया जो मेल जोल ज्यादा बढ़ाते हैं उनसे ही वसूल किया जाय और वित्त मंत्रीजी में और मुख्य मंत्रीजी में यह होड़ रखी जाय कि उन दोनों में से कौन ज्यादा इस तरह का मेल जोल बढाता है और देखा जाय कि ज्यादा कौन क्लेम करता है और फिर जो ज्यादा क्लेम करें उन्हीं से कहा जाय कि आप ही आप इस घाटे का भुगतान करें क्योंकि आप ही के कारण घाटा हुआ है। और फिर इसके काम काज के बारे में यह देख करके रिपोर्ट पेश करें कि साल भर तक चुपचाप कैसे बैठे रहे। फण्ड के लिये कार्यवाही क्यों नहीं की गई जब तक यह बात ठीक नहीं होगी तब तक यह १।।। लाख की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिये और इसी नीयत से मैंने यह प्रस्ताव रखा है। मुझे आशा है कि वे इसको मंजूर करेंगे।

श्री भैंरू सिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मांग के सम्बन्ध में मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं।

"(१) तो यह कि मांग संख्या ५३ विषय—राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम में १) रु० की कटौती कर दी जाय (राज्य में फाईनेन्शियल कारपोरेशन द्वारा अपेक्षित कार्य करने में असफलता पर बहस करने के लिये)।"

दूसरा है :—

"(२) कि मांग संख्या ५३ विषय—राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम में १) रु० की कटौती कर दी जाय (बाढ़ पीड़ितों को अपर्याप्त सहायता दिये जाने पर बहस करने के लिये)" और तीसरा है :—

"(विकास खण्डों की असंतोषजनक प्रगति पर बहस करने के लिये)।"

माननीय अध्यक्ष, अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस संबंध में (वित्तीय निगम के बारे में) जिन बातों पर प्रकाश डाला है, मैं समझता हूं कि उन कार्यों में एक ही बाधा है और वह यह कि इस कारपोरेशन के निर्माण में कुछ व्यक्तियों के इन्ट्रेस्ट्स की बातें आती हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि जो बातें जोधपुर से आने वाले सदस्य ने अभी कही हैं उनको दोहराऊं और कहूं। लेकिन मैं इस बात की ओर सदन का ध्यान अवश्य आकर्षित करूंगा कि जिस मकसद को लेकर इस कारपोरेशन का निर्माण हुआ था वह मकसद पूरा होता है या नहीं।

माननीय अध्यक्ष, आज से कुछ समय पहले जब इस कारपोरेशन का निर्माण हुआ था उस समय राजस्थान में लोगों ने इस बात की अपेक्षा की थी कि राज्य सरकार द्वारा ऋण मिलने पर लोग काम में जुट कर गरीब जनता की बेकारी और बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने की चेष्टा करेंगे। मगर इन सब लोगों को राज्य सरकार किस प्रकार ऋण देगी, उन लोगों को किस प्रकार रुपया मिलेगा, कितना मिलेगा आदि सारी बातों को तय करने के लिये फाइनेन्शियल कारपोरेशन का निर्माण कराया। मैं समझता हूं कि जिस समय फाईनेन्शियल कारपोरेशन का निर्माण हुआ था उस समय लोगों को बहुत आशाएं थी कि हम लोन लेकर देश में फैली हुई गरीबी और बेकारी को दूर कर सकेंगे। लेकिन जब लोगों ने दरख्वास्तें दी और अपनी यह इच्छा प्रकट की कि अमुक उद्योग धन्धे को चालू करने के लिये उनको इतने फाइनेन्शियल मदद की आवश्यकता है तो उनको मालूम हुआ कि इसके लिये इतने कड़े नियम बना दिये गये हैं कि जिसके कारण यदि कोई सदस्य किसी व्यक्ति को रकम नहीं देने में इन्ट्रेस्टेड हो तो मामूली सी टेक्नीकल मिस्टेक पर यह कह सकता है फलां फलां काम अनुचित है और इस कारण से ऋण के रूप में राशि नहीं दी जा सकती। मैं समझता हूं कि अनेक बार इस प्रकार की कठिनाइयों के बारे में लोगों ने, उद्योग धन्धों में भाग लेने वाले लोगों ने भारत सरकार से मांग की कि नियम बहुत कड़े हैं कि लोग आसानी से धन नहीं उपलब्ध कर सकते हैं। भारत सरकार ने राजस्थान सरकार से भी इसके बारे में लिखा कि उद्योग धन्धों को खोलने में लोगों को कठिनाई होती है इसलिये नियम ऐसे बनाये जावें जिससे लोगों को धनराशि उपलब्ध करने में आसानी हो सके और वे लोग उस धन का उपयोग कर सकें और उद्योग धन्धे भी बढ़ें। इनमें कई प्रकार के रिलेक्सेशन

[श्री भैरूसिंह]

होने चाहिये। भारत सरकार की ओर से राजस्थान सरकार को कई बार शिकायत की गई राजस्थान के व्यापारियों की, उद्योगपतियों की, व्यक्तियों की हमारे पास रिपोर्ट और रिप्रेजेन्टेशन आये हैं कि कानून की कठिनाई के कारण वे ऋण नहीं ले सकते और इसलिये जितने भी नियमों में कठिनाइयें हैं उनको ठीक किया जाय, ताकि मामूली से मामूली आदमी भी ऋण लेकर अपना उद्योग शुरू कर सके लेकिन बदकिस्मती है कि अभी तक उन नियमों में कोई संशोधन नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि जो इस कारपोरेशन के चेयरमेन बने हुए हैं वे नहीं चाहते कि राजस्थान में उद्योग धन्धे हों जिनमें उनके निजी आदमियों का हाथ न हो। अगर ऐसी सूरत है मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को विचार करके नियम में अवश्य संशोधन करना चाहिये। अब मैं इन बातों की ओर सदन का ध्यान दिला कर बाढ़ पीड़ितों के लिये सरकार ने जो मांग की है उस बारे में कुछ बातें आपके सामने रखूंगा।

माननीय अध्यक्ष, यह आज राजस्थान में कोई नई चीज नहीं है कि कभी बाढ़ के कारण से कभी अनावृष्टि के कारण से तो कभी अग्नि के कारण से और कभी किसी प्राकृतिक कोप के कारण से राजस्थान की खेती में विशेष प्रकार का नुकसान होता ही रहता है। कभी ऐसे मौके आते हैं कि राजस्थान में अकाल पड़ जाते हैं उसका भी प्रबन्ध करना पड़ता है। कई दफा अतिवृष्टि के कारण राजस्थान में फसलों को नुकसान हुआ और फसलों को नुकसान होने के कारण से जिन लोगों पर इसका असर पड़ा उनको किसी प्रकार से अनाज और चारे से राहत पहुंचाने की सरकार ने कार्यवाही की है। अभी अभी इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण राजस्थान में कई जगह नुकसान हुआ है। मैं यह समझ रहा था कि हमारी सरकार केवल भरतपुर में ही नहीं बल्कि राजस्थान के सभी हिस्सों में बाढ़ के कारण कितना नुकसान हुआ उसके आंकड़े तैयार करवा कर जहां जहां पर नुकसान हुआ है सबको सहायता पहुंचा कर मदद देगी, लेकिन हम देखते हैं कि जालोर में भी नुकसान हुआ है और सीकर जिले में भी। दांतारामगढ़ में नदी में बाढ़ आने से काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा उदयपुर में भी कई तालाबों के बंध टूटने से फसलों को नुकसान हुआ है। गरीबों के घर गिर गये हैं। लेकिन वहां के लिये यह कहा जाता है कि हमने एक तरीका बना लिया है कि कलेक्टर को इसके लिये अधिकार दे दिया है और वे कहते हैं कि धनराशि नहीं है। उधर भरतपुर को ४ लाख रुपये दे दिये गये हैं। भरतपुर को ४ लाख रुपये दिये गये इससे मेरी कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि अगर वहां पर ४ लाख से भी ज्यादा की आवश्यकता हो तो इससे भी ज्यादा धन-राशि स्वीकार करें। लेकिन मैं सरकार से एक सदन के सदस्य के नाते यह जरूर पूछने का हक रखता हूं कि दांतारामगढ़ में नदी के कारण लोगों को २००-२५० का नुकसान हुआ उसके लिये वह क्या कार्यवाही कर रही है। सरकार की इस सम्बन्ध में मौन प्रवृति इस बात की सूचक है कि सरकार के सामने इसके लिये कोई योजना नहीं है और सरकार का एक ही दृष्टिकोण है और वह यह कि विधान सभा में जिस क्षेत्र के ज्यादा लोग हैं वहां पर सहायता पहुंचाई जावे, क्योंकि अगर वहां पर सहायता नहीं पहुंचेगी तो बहुत मुमकिन है कि लोगों के वोट नहीं मिलेंगे। जहां पर कांग्रेस के सदस्य नहीं है वहां पर यदि किसी प्रकार से ज्यादा नुकसान भी हुआ है तो भी कुछ प्रबन्ध नहीं होता। सीकर में जहां पर नुकसान हुआ है और जिनको नुकसान नदी से हुआ है वे छोटे भू-स्वामी हैं। मैं सही आंकड़े बता देता हूं। १०९ कुए भू-स्वामियों के खुदकाश्त के थे वे नदी की बाढ़ के कारण बरबाद

[श्री भैरूंसिंह]

हो गये, कहीं मिट्टी भर गई तो कोई टूट फूट कर बरबाद हो गये। लेकिन वहां पर उनके लगान में माफी का कोई प्रश्न ही नहीं, पैसे की सहायता दी जावे यह बात तो बहुत दूर है। जब उनके लिये कहा जाता है तो कहते हैं कि तकाबी के नियम बने हुए हैं। तहसीलदारजी के पास जाओ, एम.एल.ए. की कमेटी की सिफारिश कराओ, कलेक्टर के आफिस में जाकर मंजूर कराओ फिर तकाबी रूल्स के अनुसार जमानत दिलाओ। पहले लोग जमीन और कूओं की वजह से जमानत देते थे मगर अब उनकी जमीन बेकार हो गई, उनके कुए बेकार हो गये इसलिये उनकी जमानत तहसील लेती नहीं, उनकी जमीन को जो खुदकाश्त की है सारी को नदी की बाढ़ ने साफ कर दिया। जमानत किसकी दें? ऐसी सूरत में मजबूर होकर कहना पड़ता है कि सरकार को अलग अलग दृष्टिकोण नहीं रखने चाहियें, सबको समान रूप से सहायता दी जानी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय बतावेंगे कि सीकर और जालोर में जो नुकसान हुआ है उसके लिये सरकार ने क्या सहायता दी है? जालोर के लिये यह कहूंगा कि अब वहां के सभी सदस्य कांग्रेसी हो गये किन्तु वे यह मानते हैं कि जालोर के अधिकांश लोग कांग्रेस के पक्ष में नहीं हैं, वे उसके विरुद्ध हैं। जालोर के अधिकांश लोगों ने भू-स्वामी आन्दोलन का साथ दिया था इस कारण वहां लोगों से रंजिश है इसी कारण वहां के बाढ़ पीड़ितों को जो कुछ भी नुकसान हुआ है उनको किसी प्रकार भी राहत पहुंचाने के लिये सरकार कुछ भी मदद देना नहीं चाहती।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव था विकास खंडों के असन्तोषजनक प्रगति के संबन्ध में······

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सामुदायक विकास खंड तो इसमें नहीं हैं।

श्री भैरूंसिंह—अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा हुआ है सामुदायक विकास खंड खोलने के परि म स्वरूप ऋण देने के लिये ४,४६,२२९ रुपये के अतिरिक्त व्यय के प्रति १,००० रुपये की प्रतीक मांग।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सामुदायक विकास खंड तो अलग हैं। अगर लोन्स के संबन्ध में डिस्कशन करना चाहें तो कर सकते हैं। सामुदायक विकास खंडों में भी तकाबी दी जाती है, लोन दिये जाते हैं और लोन्स एडवान्स भी दिये जाते हैं. इस संबन्ध में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। वैसे तो कम्युनिटी-प्रोजेक्ट के लिये अलग डिमान्ड है जब वह आए तब बोल लें।

श्री भैरूंसिंह—उस समय बोल लूंगा।

श्री अध्यक्ष—श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—I am in possession of the House.

श्री मानसिंह महार—पजेशन तो आपका पूरा हाउस पर है लेकिन अध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा हो तो मैं बोल सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—I have called him to speak.

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, राजस्थान फाइनेन्स कोरपोरेशन के संबन्ध में बहुत काफी बहस हो चुकी है। उसी को लेकर आज हमारे माननीय मित्र ने कई एतराजात उठाये हैं। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि राजस्थान फाइनेन्सियल कोरपोरेशन एक कानून के जरिये यहां कायम हुआ था उसके जो नियम उपनियम हैं वे फाइनेन्स कोरपोरेशन एक्ट की तहत सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट द्वारा पास किये हुये हैं। उसमें हमारे जिम्मे यह चीज आती है साढ़े तीन परसेन्ट वार्षिक लाभांश हिस्सेदारों को देने की गारन्टी है। मैं यह मानता हूं कि फाइनेन्स कोरपोरेशन का अब तक जो काम जिस तरह से हुआ है और जिस तरह से चलना चाहिये जिस तीव्र गति से चलना चाहिये वह चल नहीं पाया है। लेकिन इसके साथ साथ हमने इस बात का प्रयत्न किया है सौराष्ट्र में, बंबई में और अन्य राज्यों में फाइनेन्स कोरपोरेशन ने क्या प्रगति की है क्या इन राज्यों में वे हमसे ज्यादा तरक्की कर पाये ऐसा अगर है तो हमें यह देखना है कि हमारे यहां उन कामों में किस किस प्रकार की कठिनाई हैं। जो यहां बहस की गई है इस बारे में बहुत कड़े नियम ह और भी कई कठिनाइयां इस काम में हैं उन कठिनाइयों के कारण यह कारपोरेशन ठीक तरह से लोगों को सहायता पहुंचाने में अपर्याप्त रहा है। यह बिल्कुल ठीक है भारत सरकार ने भी इस चीज को किसी हद तक माना है कि फाइनेन्स कोरपोरेशन एक्ट में किसी प्रकार का सुधार किया जाय, किसी प्रकार की तरमीम की जाय यह उनके जेर तजवीज है। जल्दी से जल्दी इस बारे में इनके नियमों में संशोधन करने वाले हैं। इसके अलावा इस एक्ट के अन्तर्गत जितनी भी हम सुविधायें दे सकते थे हमने उनको देने की बराबर कोशिश की है। पांच बातें हैं जो सरकार ने अपने जेर गौर रखी हैं जिन पर डिसीजन होना कुछ में बाकी है और कुछ थोड़े दिनों में फाइनल होजायेंगे।

बहुत सारी दिक्कतें इन्डस्ट्रीज को हो रही हैं और जिनकी शिकायत सरकार के पास आई है. उनमें बहुत सारी इन्डस्ट्रीज जिन जमीनों पर जमी हुई हैं वह जमीनें उनको लीज पर दी हुई हैं उनका पट्टा नहीं दिया गया था टाइटल्स डिफेक्टिव था। अब उसके लिये यह मांग की गई है जितनी इन्डस्ट्रीज जिस जिस जमीन पर जमी हुई हैं उन जमीन की टाइटल्स पूरी कीमत पर पट्टे पर दी जानी चाहिये।

इसी तरह से स्टाम्प रजिस्ट्रेशन ड्यूटी के फाइनेन्स कोरपोरेशन के जितने मामले हैं उनसे उनको एक्जम्पट किया जावे। इन सब बातों पर गवर्नमेंट ने विचार किया मैं समझता हूं इस पर सहृदयता पूर्वक विचार किया गया है।

इसके अलावा १५ हजार तक स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज और कोटेज इन्डस्ट्रीज को लोन देने का अधिकार भी फाइनेन्स कारपोरेशन को नहीं रखा गया है। इसके बारे में मैं समझता हूं १५ हजार तक का लोन स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज और कोटेज इन्डस्ट्रीज को दिलाये जाने की व्यवस्था की जाय इस पर भी विचार हो रहा है।

इसी तरह से राजस्थान में इन्डस्ट्रीज को सलाह देने के लिये कमेटी का निर्माण किया गया उससे भी इन्डस्ट्रीज डेवलप होने में काफी मदद मिलेगी। इसी प्रकार इन्डस्ट्रीज के डेवलपमेन्ट

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

के लिये और भी कई बातों पर विचार जारी है जिसमें सप्लाई आफ पावर्स के बारे में भी एक सवाल है। राजस्थान में इन्डस्ट्रीज के डेवलपमेन्ट के लिये पावर मिल सके और वे इन्डस्ट्रीज फाइनेन्स कोरपोरेशन से फ यदा उठा सकें। जहां तक उन नियमों में परिवर्तन करने का सवाल है सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट इस बारे में विचार कर रही है और हम आशा करते हैं इस बारे में शीघ्र ही निर्णय हो जायगा।

जहां तक हमारा प्रश्न है हम भी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की इस बात से इत्तफाक करते हैं रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं उनकी पाबन्दी करने से इन्डस्ट्रीज के डेवलपमेन्ट में बहुत काफी मदद नहीं मिलेगी इसलिये रूल्स में कुछ त दीली की जानी चाहिये हम भी उनसे इस बारे में सहमत हैं। इसमें मैं यह मानता हूं कि फिर स्टेट फाइनेन्स कोरपोरेशन एक्ट में कुछ तब्दिलियां होंगी।

इसके अलावा यह कहना कि एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिये ऐसा किया गया तो ये बातें ऐसी हैं जो मेरे माननीय मित्र बहुधा हाउस में कहा करते हैं मैं इनका जवाब देना उचित नहीं समझता, ये बातें जो सदन में कही गई हैं वे फालतू हैं।

दूसरा सवाल, जो हमारे दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय मित्र ने उठाया वह यह है कि बाढ़ पीड़ितों के लिये जो सहायता दी जाती है वह सब जिलों में एक समान नहीं दी जाती। उसमें सब जिलों के साथ एक सा बर्ताव नहीं किया जाता उनके अनुसार कुछ जिलों में ज्यादा रकम दी गई और कुछ में कम रकम दी गई है। मेरा इस पर यह निवेदन है कि जहां पर जितनी आवश्यकता होती है, जहां पर जितनी मांग होती है उस पर विचार किया जाता है और उसी को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया जाता है। यह सब लोगों को विदित है कि भरतपुर में बाढ़ की वजह से कितनी क्षति हुई हजारों आदमियों के मकान गिर गये, खेतियां बह गई, इसलिये वहां राहत पहुंचाने की ज्यादा जरूरत थी। इसी के लिये सरकार ने यह निर्णय लिया कि मकान बनाने के लिये कर्जा दिया जाय और ग्रेचुएट्स रिलीफ दिया जाय। खेती के बीज के लिये बन्दोबस्त किया जाय, पशुओं के लिये चारे का बन्दोबस्त किया जाय जिस हद तक जहां नुकसान पहुंचा है उसी हद तक रिलीफ देने का प्रयास किया है।

इसी तरह से भरतपुर के साथ जालौर के लिये भी मैं कह सकता हूं कि काफी इन्तजाम वहां किया गया।

भरतपुर में ग्रेचुएट्स रिलीफ की रकम २५ हजार थी जब कि जालौर में ५० हजार रुपयों की मंजूर की गई और दी गई। तो यह कैसे कहा जा सकता है कि जहां जरूरत होती है वहां नहीं देते। जालौर के लिये कहा गया कि वहां के लोग खिलाफ हैं इसलिये नहीं दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक सुबूत है इसके विरोध में।

इसी तरह से तकावी के लिये जालौर में भी प्रोवीजन किया गया और मकानों के लिये भी कर्जा देने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से सीकर में मेरे लायक दोस्त ने कहा कि वहां विरोधी लोग हैं इसलिये नहीं की गई तो मैं निवेदन कर दूं कि वहां भी हमने जरूरत के मुताबिक १२ हजार मन्जूर किये हैं और वे खर्च किये जा रहे हैं और इसी तरह से और और जिलों में ज्यों ज्यों जरूरत होने की रिपोर्ट हमें मिलती है और हम देना महसूस करते हैं उसी तरह उनको देने का इन्तजाम करते हैं। तो इस तरह से मेरे मित्रों के ध्यान में जो गलत बात आ गई है कि सबके साथ बराबर बर्ताव नहीं करते

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

यह निकाल देनी चाहिये। हमने जरूरतमन्द लोगों को समय पर राहत दी है। यह अवश्य है कि रुपया कम दिया गया यह कोई भी कह सकता है। पर सहायता तो हमेशा ही अपर्याप्त कही जाती है। कितनी भी सहायता दी जावे उससे किसी को सन्तोष नहीं होता है। हर एक यह चाहेगा कि हमें एक हजार, दो हजार, दस हजार मिलने चाहिये पर इस बारे में देने में हमारी तो लिमिटेशन्स होती हैं। जितना हो सकता है उतना ही कायदे के मुताबिक देना हमारे लिये सम्भव हो सकता है।

इसके अलावा बीज का और दूसरी बातों का अलग प्रबन्ध जालौर में किया गया है। मैं समझता हूं कि मेरे इस स्पष्टीकरण से माननीय सदस्यों को सन्तोष होगा और इसके बाद अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की व्यवस्था करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, सन्तोष के लिये तो मंत्री महोदय ने केवल एक बात कही कि स्टेट फाइनेन्सियल कारपोरेशन की प्रगति तो कम है, उसमें कुछ कमजोरी भी है, उसमें सुधार करने की कोशिश भी हो रही है, दूसरी जगहों से सूचना मंगाई गई है, उसमें सुधार करने के लिये नियमों में परिवर्तन करना आवश्यक है, इत्यादि, इत्यादि। अब इस बात से किसी को सन्तोष होता है, किसी को नहीं। जो बात कही गई उसमें भविष्य काल की ओर हो इशारा है। अभी तो विचार चालू है, अभी तो सूचना मंगाई गई है, अभी तो कोशिश की जा रही है। लेकिन शायद मेरे माननीय मित्र इस बात से भी अनभिज्ञ होंगे कि भारत सरकार द्वारा इस प्रकार का निगम स्थापित किया गया है और इसकी देख रेख के लिये एक जांच कमेटी भी भारत सरकार ने मुकर्रर की थी और शायद मेरे माननीय मन्त्री महोदय इस बात से भी अनभिज्ञ होंगे कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त उस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की आज लगभग एक साल पूरा हो चुका है और शायद मेरे मित्र को यह भी ज्ञात नहीं होगा कि उस कमेटी ने जिस प्रकार से नियमों में परिवर्तन का सुझाव दिया है वे सुझाव भी अभी तक राजस्थान सरकार के नियमों में शुमार नहीं हुए हैं। यदि और ज्यादा जानकारी करके और और ज्यादा तसल्ली करके काम करने की बात होती तो सवाल ही दूसरा था, अध्यक्ष महोदय, लेकिन जब राजस्थान सरकार ने नियम बनाये थे तब भी उसके पास भारत सरकार द्वारा नियुक्त जांच कमेटी की रिपोर्ट उनके सामने मौजूद थी, और मौजूद थी इतना ही नहीं, पर बावजूद मोजूद होने के उसका फायदा नहीं उठाया गया और इसका भी कारण साथ में है कि उस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर था कि जितना अधिक कर्जे के सिलसिले में, निर्णय करने के सिलसिले में, नियोजन करने के सिलसिले में अधिकार फाइनेन्सियल कारपोरेशन के चेयरमेन को दे दिये गये थे उसका दुरुपयोग हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर वे दूसरी बार चेयरमेन नहीं बन पाये। वे थे लीला श्री राम। उन्होंने शोदपुर ग्लास वर्क्स को कर्जा दिया था वह कर्जा डूब ही गया आखिर। और इन सब चीजों का उल्लेख करने के बाद उस जांच कमेटी ने सिफारिश की थी और कुछ सुझाव भी दिये थे उनका भी उपयोग यहां नहीं किया गया। तो आज यह कहना कि सौराष्ट्र से हमने सुझाव मंगाये हैं वहां से आने पर परिवर्तन करेंगे······

श्री बृजसुन्दर—ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन, सर, मैंने तो यह कहा था कि भारत सरकार ने जैसे परिवर्तन किये हैं वैसे हम भी अपने यहां परिवर्तन कर सकते हैं। तो जैसा वह कहते हैं हमने भी यही बात कही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जिस समय सरकार ने इस बारे में नियम बनाये थे और चेयरमेन की नियुक्ति भी बाद में जाकर की थी, उस समय वह रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी थी और उस रिपोर्ट के प्रकाशित हो जाने के बावजूद उसमें दिये गये सुझावों के अनुरूप राजस्थान में मुकर्रर किये गये फाइनेन्सियल कारपोरेशन के बने नियमों में कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं किया गया। पर मंत्री जी इससे इन्कार क्यों करते हैं ? उनकी कोई बात कहने की आदत है और एक बडी आदत यह है कि कोई भी चुभती हुई पर सच्ची आलोचना पर उन्हें जोश आ जाता है और खड़े होकर तुरन्त उससे विपरीत कहने की भी आदत है। वैसे यह गलतबयानी देने के बाद अगर गलत साबित हो जावे तो सदन से माफी मांगने की भी उनकी आदत है। दो बार उन्होंने ऐसा ही किया और दोनों ही बार उनके बयान गलत साबित हो चुके हैं और उन्होंने सदन से माफी भी मांग ली है। अब तीसरी बार भी अगर जोर से कहें तो आज नहीं चार दिन बाद उसे भी विदड्रा करने की नौबत आने वाली है क्योंकि अनुचित बात की तारीफ करने वालों की यही हालत होती है। यह तो बीच में उन्होंने दखलन्दाजी की इसलिये कहना पड़ गया। नहीं तो हकीकत यह है कि यह सब होने के कारण यह घाटा हुआ तो इसकी भरपाई राज सरकार से या राज के पास से क्यों की जावे। जो लोग इतने इम्पोर्टेन्ट हैं, जो लोग सेठों के इतने दबैल हैं जो लोग कि उन के सामने आंख उठा कर देख नहीं सकते और इस कारण घाटे होते रहते है, जिनको सेठ रामनाथ पोद्दार से रियायत कुबूल है उन लोगों से यह वसूल किया जावे। अब और फालतू कई दूसरी बातें हैं जो मैं नहीं कहना चाहूंगा। पर जहां पानी मरता है तो वहां जवाब कोई क्या देगा ? अगर जवाब देने की हिम्मत करते हों तो और दो चार चुटकुले सुनने की नौबत आ सकती है। इसलिये माननीय वित्त मंत्री महोदय काफी सोच सोच कर जवाब दें।

तो मैं कह रहा था कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यह जो घाटा इस निगम को हुआ है इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की और विशेष करके वित मंत्री महोदय के काम काज को ठीक न करन के कारण हुई है तो इसका भुगतान भी उनके ऊपर ही डाला जावे। यह बात सही है कि अभी उनको थोड़ा बहुत बड़ा खर्चा आ गया है चुनावों का और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सिलसिले में भी दस बारह हजार के करीब, तो उनके खर्च हो ही गये होंगे अब वह दिया या नहीं दिया, यह दूसरी बात है, इधर उधर से लाकर दिया ही होगा, भले ही पल्ले से न दिया हो। तो सारे का सारा वह खर्चा न रखते हुए····

(घंटी)

अध्यक्ष महोदय, यह तो एक सार्वजनिक बात है, अदालत म मामला चला है, फीस भी दी ही गई है, वहां कागजों में दर्ज होता है, इसमें ऐसी कौनसी बात हो गई।

वह बख्शी साहब के बारे में कोई उल्लेख करें। यह वे कह रहे हैं कि बख्शी साहब का भी उल्लेख कीजिये। तो मैंने तो जो मूल बात है सारी की सारी कह दी कि एक एक पर बोझा डालेंगे तो सब बोझ का उन पर बहुत कम बोझ पड़ेगा। उन पर बोझ भारी नहीं पड़ने वाला है क्योंकि फोरेस्ट उनके पास है जिसके डिपार्टमेन्टल मामलों के बारे में भी आगे चलकर उल्लेख हो जायगा। उन साहब के लिए कम ज्यादा की बात नहीं है लेकिन कम से कम आज तक की गलतियों को कबूल करें, ऐसी स्थिति पैदा हो जायगी। इसलिये मैं समझता हूं कि अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की इतनी जुर्रत नहीं करता हूं बल्के मंजूर कराने के लिए रखता हूं जो कि उनके खुद के कबूल हुए बयान से साफ है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने के लिये दरख्वास्त करूंगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ पीड़ितों के संबन्ध में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बताया कि जालौर और सीकर में भी सहायता दी गई है। जालौर के लिये उन्होंने बताया कि ५० हजार और २५ हजार रुपये इस प्रकार से ७५ हजार रुपयों की स्वीकृति की जा चुकी है। सीकर के लिये बताया कि १२ हजार की स्वीकृति की जा चुकी है और भरतपुर के लिये कह रहे हैं कि ४ लाख के करीब कन्सीडरेशन (अश्रव्य) होगा बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने के लिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—४ लाख का लोन है।

श्री भैरूं सिंह—वह एक ही बात है उन ७५ हजार रुपयों में भी १५ हजार रुपयों का लोन है आपने कहा कि २५ हजार की तकावी के लिये व्यवस्था की गई है। वह क्या है? क्या वह माफी पर दे रहे हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—५० हजार की फ्री ग्रान्ट है और तकावी २५ हजार की दी जायगी और सीड्स का अलावा दिया जायगा।

श्री भैरूं सिंह—तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी भी जिले में किसी भी प्रकार के पीड़ितों को कोई भी सहायता दें, लेकिन कम से कम सहायता किस आधार पर दी जा सकती है, कितनी दी जानी चाहिये और किस समय तक सहायता पहुंच जानी चाहिये, इन तीनों चीजों के बारे में हमारे पास कोई विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, किसी स्थान पर बाढ़ आती है और बाढ़ के कारण से नुकसान पहुंच जाता है और उसको तीन महीने के बाद सहायता पहुंचाने की बात करेंगे तो निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि वह सहायता नहीं है। सहायता जो समय में मिलनी चाहिए थी और मिलती है उस सहायता का महत्व ज्यादा है बनिस्बत इसके कि आगे चल कर हम अपने राजनीतिक कारण तलाश करें और तलाश हो जाय उसके बाद में किसी प्रकार की धनराशि स्वीकार करें। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस जालौर की बात आप कह रहे हैं कि वहां पर ७५ हजार की धनराशि स्वीकृत हुई, २५ हजार तकाबी के रूप में और ५० हजार मदद के रूप में होगी इस तरह से ७५ हजार की धनराशि में से अभी तक कलेक्टर ने १५ हजार से कम की धनराशि खर्च की है। आप चाहें तो जालौर जिले से जितने भी एम. एल. एज. आपके हैं उनकी राय, या उनसे जानकारी हासिल कर लें कि ७५ हजार की जो आप डींग हांक रहे हैं उसमें से कितनी सहायता लोगों के पास पहुंचा दी गई है।

२५ हजार की तकावी का प्रश्न आता है तो तकावी भी हासिल करने के जितने नियम हैं उन नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक महीने के अन्दर अन्दर तकाबी प्राप्त नहीं कर सके तो, यद्यपि एक महीने में भी उस समय तकावी प्राप्त कर सकता है जब कि वह सारा समय तकावी हासिल करने में ही लगाये। नियम के लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर और जिला अधिकारियों को कोई आदेश नहीं दे रहे हैं कि जिस तरह से कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में और एक्स्टेन्शन ब्लाक्स में अधिकारी

[श्री भैरूंसिंह]

जाते हैं और लोगों को जरूरी मदद और तकावी डिस्ट्रिब्यूट करते हैं उसी तरह बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसमें, उस एरिया में तहसीलदार, नाजिम या कलेक्टर जायं और लोगों की सूची तैयार करें और जमानत प्राप्त करने में कोई दिक्कत आती हो तो उसको कानून के जरिये से दूर करने की चेष्टा करें। सारी चेष्टायें करने के बाद जो धनराशि सहायता के लिए दी गई ह उसको खर्च करना चाहिये। कोई नियम नहीं है कि वह मन्त्रीजी से या सरकार से मांग करे कि इतना नुकसान हुआ और मुझे इतनी सहायता दी जाय।

मुझे ताज्जुब हुआ और सरकार को भी ताज्जुब हुआ कि सीकर जिले के लिये १२ हजार की सहायता दी गई है। यदि आप सीकर जिले में जिन लोगों का बाढ़ वगैरह से नुकसान हुआ है उनके आंकड़े तैयार करें तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उन आंकडों के अनुसार ४ लाख से कम का नुकसान नहीं हुआ है। जिस जगह ४ लाख का नुकसान होता है वहां पर सरकार बाढ़ पीड़ितों की सहायता करके खुश हो रही है कि उन्होंने १२ हजार की सहायता दे दी है। वहां गांव के गांव बह गये हैं उनके लिये अनाज खाने के लिए ही व्यवस्था की जाय तो १२ हजार में वह भी नहीं हो सकता है। फिर कहा जाता है कि १२ हजार की व्यवस्था कर दी है। मैं कहता हूं कि सरकार यह जरूर मानती है कि कलेक्टर साहब से कोई लिखा पढ़ी नहीं की गई है। कलेक्टर साहब को लोगों ने हजारों दरख्वास्तें दी हैं तथा उनको मौके पर ले गये हैं, सारा मौका दिखाया है, अपने घर दिखाये हैं और नुकसान दिखाया है और अपने सारे दुःखों से परिचय कराया उसके बाद भी यदि कलेक्टर साहब ने नहीं लिखा है तो सीकर जिले की बदकिस्मती है या सरकार की बदकिस्मती है कि यह सरकार अपने हाथ में शासन लिये हुए है। यदि किसी ने गलती की है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिये। कलेक्टर ने १५ हजार के अन्दर किस किस को दिया है? किस किस जिले में कितना कितना नुकसान हुआ है उसका पूरा स्टेटमेन्ट बना कर सरकार के पास भेजें। उन स्टेटमेन्ट्स को बेसिस माने कि इतना नुकसान हुआ है इसलिये इतनी सहायता दी जायगी। बल्कि इस प्रकार का कोई नियम बनायें कि कोई भी क्लेम कर सकता है उन नियमों के अन्दर। यदि सरकार की ओर से काम नहीं होता है कि प्रकृति के कारण जो नुकसान हुआ है उसके आकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं कि उनसे हिसाब लगा कर सरकारी सहायता पहुचाई जा सके तो इस प्रकार से एक सहायता देने का नियम होना चाहिए बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए कोई नियम नहीं है। एन्क्वायरीज करके कितनी सहायता दी जाय इसका कोई नियम नहीं है। आप जरूर कहेंगे कि समाज कल्याण विभाग ने सहायता दी है लेकिन समाज कल्याण विभाग के सहायता देने के बावजूद भी कोई नियम नहीं है कि जिन नियमों के अन्तर्गत कोई आदमी क्लेम कर सके कि बाढ़ के कारण या किसी प्राकृतिक कोप के कारण से उसे इतने धन की सहायता मिलनी चाहिये। वह नियम नहीं है। उस सूरत में सरकार अपनी इच्छा के अनुसार धन का वितरण करती है। वह मैं समझता हूं कि एक आब्जेक्शनेबल चीज है। मेरे कट मोशन का मतलब यही है कि इस प्रकार के नियम बनाकर सरकार उन अधिकारियों को सूचना दे, कि यदि किसी का प्राकृतिक कोप के कारण नुकसान होता है तो वह स्वयं सरकार के पास एप्रोच करके अपना दावा रखे और उस प्रकार से सहायता प्राप्त कर सके। मेरे कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने का शायद मतलब यह लिया गया कि भरतपुर को ४ लाख की सहायता दी जाने वाली है मैं उसके विरुद्ध हूं। मैं उसकी आवश्यकता समझकर ही भरतपुर के लिए जो मेरा कटौती का प्रस्ताव है वह सदन में प्रस्तुत नहीं करता हूं और उसको विदड्रा करता हूं।

[श्री भैरूंसिंह]

दूसरा फाइनेन्स कारपोरेशन के बारे में था। मैं माननीय अध्यक्ष, यह निवेदन करूंगा कि इस संबंध में सरकार ने इतना सा कह दिया कि रूल्स भारत सरकार के बनाये हुए हैं। भारत सरकार इस पर विचार कर रही है और विचार करके निर्णय भारत सरकार का नहीं हुआ है। राजस्थान सरकार इस तरह की जो बातें हैं वे भारत सरकार के सामने रखे। यह तो बिल्कुल उल्टी बात है कि भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार से पूछा जाय कि अभी तक धन ऋण के रूप में क्यों नहीं दे सके? उसका कारण क्या है? उनकी जो रिपोर्टें आ रही हैं उनमें इस बात की शिकायत है कि नियम जरा हार्ड एन्ड फास्ट होने के कारण वे धन नहीं ले सकते हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है। सरकार इस संबंध में अपनी राय देर से देगी कि भारत सरकार के पास इस संबंध में एप्रोच किया गया है उसी कारण से आज इस कारपोरेशन में घाटा हुआ है। उस घाटे की पूर्ति के लिए सारे के सारे घाटे के लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार का भोलापन जिम्मेदार है। इस संबंध में जो मेरा कटौती प्रस्ताव है वह सदन की अनुमति के लिये प्रस्तुत करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री एच.के. व्यास ने रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो दो कटौती के प्रस्ताव श्री भैरूंसिहजी ने रखे हैं वे स्वीकार किये जायं।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गये

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो मांग संख्या ५३ श्री वित्त मंत्री ने रखी है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

(विराम)

नेक्स्ट।

अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ४२—भू-राजस्व

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ४२, लेखे का शीर्षक ७—भू-राजस्व के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ अक्तूबर, १९५६ को समाप्त होने वाली अवधि में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ३००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूंसिंह।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

श्री एच०के० व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पहले उनको बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष--आपका है पहले।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे नहीं बोलना है।

श्री भैरूंसिंह (दांतारामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ४२, विषय ७—भू-राजस्व में १) रु० की कटौती कर दी जाय (सरकार द्वारा जागीर पुनर्ग्रहण के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के असंतोषजनक समाधान पर बहस करने के लिये)।

माननीय अध्यक्ष, इस मांग को तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहला है जागीरदारों को मुआवजा चुकाने के अतिरिक्त कार्य करने के लिये रखे गये विशेष कर्मचारी वर्ग के वास्ते १) रुपये की प्रतीक मांग। दूसरा आता है जागीरदारों को मुआवजे के दावे तैयार करने में परामर्श देने के लिये जिन अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी उनके लिये १,००० रुपये की प्रतीक मांग। इस सम्बन्ध में १८ सम्पर्क अधिकारी व १८ सुतरसवारों की आवश्यकता। और तीसरा आता है बीकानेर, कोटा और जयपुर डिविजनों के संशोधन वन्दोबस्त के सिलसिले में १९५३-५४ के वित्तीय वर्ष में स्वीकार किये गये अतिरिक्त व्यय के प्रति १,००० रु० की प्रतीक मांग।

माननीय अध्यक्ष, जहां तक जागीर विभाग में जागीरदारों के दावे सम्बन्धी मामलों को निपटाने का प्रश्न आता है और उस सम्बन्ध में यदि सरकार कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति करती है तो उस नियुक्ति के लिये यदि किसी धन राशि की आवश्यकता महसूस की जाती है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाखों भू-स्वामियों के मामले जो आज सरकार के समक्ष विचाराधीन पड़े हैं अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण वे जल्दी से जल्दी डिस्पोज ओफ हों। लेकिन सच तो यह है कि आज तक राजस्थान के जागीर विभाग द्वारा जो कार्यवाही हुई है, जागीरदारों के दावों के कारण से रकम का भुगतान हुआ है, जागीरदारों के कम्पन्सेशन के क्लेम्स का निपटारा हुआ है, खुदकाश्त की दरख्वास्तों का डिस्पोजल हुआ है इन सब बातों को हम देखें तो देखने से हमें पता चलेगा कि जिस विभाग को सहानुभूति पूर्वक जल्दी से जल्दी जागीरदारों के मामले निपटाने चाहिये थे, वह विभाग सहानुभूति से तो नहीं बल्कि दुर्भावना से जागीरदारों को किस प्रकार से परेशान किया जाय, उनको किस प्रकार से नीचा दिखाया जाय, उनको किस प्रकार से जलील बनाया जाय उसी दृष्टि से यह विभाग काम कर रहा है। हमारी सरकार के पास जब इस प्रकार की शिकायतें जागीरदारों के विभिन्न प्रतिनिधियों ने समय समय पर प्रस्तुत कीं तो उस समय जितने भी सरकारी अधिकारी थे या यों कहिये कि मंत्रीगण थे उन्होंने इन शिकायतों को सुना तो उन्होंने कहने को तो यह अवश्य कहा कि आयन्दा इस प्रकार की न शिकायतें सुनने को मिलेंगी और न ही इस प्रकार की शिकायतें को किसी विभाग में दोहराया जावेगा। लेकिन जब कोई जागीरदार अपने मुआवजे का फार्म लेकर यदि कहीं प्रस्तुत करता है, यदि कोई जागीरदार खुदकाश्त की दरख्वास्त तहसील या कलेक्टरी में पेश करता है उसके बाद स्वतः ही उन दरख्वास्तों पर

(श्री जवानसिंह, सभापति पदासीन)

कोई कार्यवाही होती हो तो उनका कोई स्टेटमेन्ट तैयार करा कर देखें तो माननीय सभापति महोदय,

[श्री भैंरूंसिंह]

मैं निश्चित कह सकता हूं कि कई दरख्वास्तों पर तो कोई कार्यवाही ही नहीं हुई ह। स्वयं जागीरदारों ने उन दरख्वास्तों को लेकर.अपने असर को एक्सरसाइज करके, अपने प्रस्ताव के कारण, अपना प्रभाव दिखाकर तय कराया हो तो उसकी खुदकाश्त की दरख्वास्त का डिस्पोजल हुआ है, मुआवजे के लिये इन्टर कम्पन्सेशन के लिये दरख्वास्त दी है तो उसको इन्टरिम कम्पन्सेशन मिला है। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि सरकार ने सब ही को इन्टरिम कम्पन्सेशन दे दिया है, और सब ही की दरख्वास्तों का डिस्पोजल हो गया है। आवश्यकता तो इस बात की थी कि चूंकि जागीरदारों में इल्लेट्रेसी ज्यादा है। आज राज्य के कर्मचारी उनके प्रति सहानुभूति नहीं रखते हैं। मंत्रीगण और विशेष रूप से राज्य के उच्चाधिकारियों को प्रयत्न करना चाहिये था कि ऐसे लोगों के साथ जिनके प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिये ऐसा न करने से कहीं ऐसा न हो कि वे ऐसा महसूस करने लगें कि दरख्वास्तों के पीछे पैसा देकर कोई करा ले तो डिस्पोजल हो। वे ऐसा महसूस नहीं करने लगें। लेकिन न मालूम न सरकार की ओर से ऐसे आदेश होते हैं और न कार्यवाही ही होती है जिससे मामूली से मामूली जागीरदार भी यह विश्वास कर सके कि विभाग उनकी दरख्वास्तों पर कार्यवाही कर सकेगा।

इसके लिये सरकार ने एक रास्ता निकाला है। रास्ता क्या निकाला कि जागीरदारों को दावों के सम्बन्ध में राय देने के लिये सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिये। कैसे नियुक्ति की जावेगी उसके लिये सरकार ने एक पायलेट स्कीम मंजूर की है। इसकी मंशा यह है कि राजस्थान की १७ तहसीलें ले ली जांय और उसके अन्दर एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की जाय और एक सुतरसवार भी दिया जायं। संपर्क अधिकारी को २०० प्रति माह दिया जाय। वह गांव गांव में घूमे, जागीरदारों को परिचित कराये खुदकाश्त के लिये कैसे हो सकता है उसका ज्ञान कराये, खुदकाश्त की कमी है तो उसके लिये दरख्वास्तें लेकर वह सरकारी अधिकारियों के पास पहुंचे। इस कारण इस पायलेट स्कीम का निर्माण किया है। स्कीम बनी और उसमें संपर्क अधिकारी कौन होंगे इसके लिये सरकार द्वारा राय मांगी गई। भू-स्वामी संघ के नेताओं से राय मांगी गई कि किन किन आदमियों को वे सजेस्ट करते हैं, क्षत्रिय महासभा से राय मांगी गई कि किन किन व्यक्तियों को वे सजेस्ट करते हैं जो यह काम कर सकते हैं। भू-स्वामी संघ और क्षत्रिय महासभा ने राय दे दी। इन दोनों की राय के बाद ऐसा कहा गया कि संपर्क अधिकारी के लिये ऐसे आदमी की नियुक्ति की जा सकती है जो आयन्दा चुनाव न लड़े, जिसका राजनैतिक जीवन न हो, जो वोटर्स को प्रभावित न कर सके और इसी प्रकार के आदमी को संपर्क अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। और जिस जिले की पायलेट स्कीम है उस तहसील का वह नहीं होगा। भू-स्वामियों के लोग जब उच्चाधिकारियों से मिले तो ऐसी बातें कही गई। क्षत्रिय महासभा की ओर से लिस्ट पेश की गई तो सरकार ने यह कह कर रद्द कर दिया कि जागीरदारों को जिनका विश्वास नहीं है, वे उसका विरोध करेंगे, अधिकांश राजपूत विश्वास नहीं रखते हैं इसलिये ऐसे संपर्क अधिकारियों द्वारा उनका काम पूरा नहीं हो सकेगा इसलिए इन व्यक्तियों की नियुक्तियां नहीं की जा सकती हैं। सुनने को मिला कि विधान सभा के फलां सदस्य को संपर्क अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। चाहे वे रहते हों उदयपुर में लेकिन उनको डूंगरपुर में नियुक्त किया। विधान सभा के सदस्य राजनीति से संन्यास लिये हों, जागीरदारों में अटूट विश्वास हो, इसकी कहां सुनाई हुई, उसका फायदा हुआ डूंगरपुर रियासत के जागीरदारों

[श्री भैरूंसिंह]

को। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वे शब्द कहां चले गये ? उदयपुर के विधान सभा के सदस्य को डूंगरपुर का सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार का एक एक्सेस ओफ प्रोफिट सरकार ने राजस्थान की विधान सभा के सदस्य को दिया है। अव्वल तो देना नहीं चाहिये लकिन अगर दे दिया है तो फिर विधान सभा में बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए था। लेकिन दोनों बातें हुई। एक तरफ तो विधान सभा के सदस्य होने के नाते विधान सभा से २०० रु० माहवार तनख्वाह मिलती है और दूसरी तरफ डूंगरपुर में संपर्क अधिकारी होने के कारण वहां से २०० रु० माहवार मिलते हैं। राजस्थान सरकार उनको ये रुपये देती हैं। और वे वहां जागीरदारों से कहते हैं कि तुमको मुआवजे की दरख्वास्तें और खुदकाश्त की दरख्वास्तें मेरी मार्फत देनी चाहिये और मैं तुमको मुआवजा और खुदकाश्त की जमीन दिलाऊंगा। आप यह कहते हैं कि यह पोस्ट राजनीति से बाहर की है। क्या इस प्रकार के विधान सभा के सदस्य राजनीति के बाहर हैं। मैं समझता हूं कि राजनीति में होना न होने का माप दंड तो विधान सभा का सदस्य होना ही हैं। यह हो सकता है कि वे आयन्दा इलेक्शन नहीं लड़ें। शायद इसके लिये उनसे कोई बोन्ड लिखा लिया गया हो। लेकिन अभी अभी जब चुनाओं के उम्मीदवारों के लिये कांग्रेस की जिला कमेटियों ने उम्मेदवारों के नाम भेजे तब उनके बारे में भी यह तय किया गया है कि उनको फलां सीट से खड़ा किया जाय। इससे पता चलता है कि वे सज्जन इलेक्शन भी लड़ेंगे। जब वे इलेक्शन लड़ेंगे और २०० रु० माहवार भी लेंगे तब उनको राजनीति में कैसे विश्वास नहीं है। उनको संपर्क अधिकारी बनाया गया है। वे किस के संपर्क अधिकारी हैं ? शायद उनका कांग्रेस से संपर्क है उनको संपर्क अधिकारी बनाया गया है या अपने घरवालों से संपर्क है इसलिए उन उनको संपर्क अधिकारी बनाया गया है। बाकी जागीरदारों से तो उनका कोई संपर्क नहीं है। राजस्थान में जिन लोगों को संपर्क अधिकारी बनाया गया है उनमें से २ को छोड़ कर बाकी १४ लोगों का तो शायद घरवालों से भी संपर्क नहीं होगा और शायद घरवाले भी मना करेंगे कि वे घरवालों के भी संपर्क अधिकारी हैं। फिर इनको जागीरों के लिये कैसे संपर्क अधिकारी बनाया गया है।

यह पायलेट स्कीम जागीरदारों के फायदे के लिये नहीं है बल्कि कांग्रेस के लिये पाइलेट स्कीम है। जिन जिन क्षेत्रों में इन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है उन क्षेत्रों में कांग्रेसी जागीदारों की विजय होगी। संपर्क अधिकारी नियुक्त किये गये पायलेट स्कीम बनाई गई लेकिन यदि कोई पूछे कि कौन से क्षेत्र में बनाई गई तो पता चलेगा कि जिन जिन क्षेत्रों में उनको ऐसे व्यक्ति मिले जिनके ऊपर सरकार को विश्वास था। जागीरदारों को भी उन व्यक्तियों पर विश्वास है ऐसी बात नहीं है। लेकिन सरकार को जब यह विश्वास हो गया कि वे कांग्रेस सरकार और पार्टी का प्रचार करेंगे तब ऐसे लोग जिन जिन तहसीलों में थे उन उन जिलों में पायलेट स्कीम बनाई गई। मैं कहूंगा कि सीकर जिले में सबसे ज्यादा जागीरदार हैं। वहां यह पायलेट स्कीम क्यों नहीं बनाई गई। नीम के थाने में बनाने का विचार हुआ था लेकिन फिर नहीं बनाई गई। लक्ष्मणगढ, दांतारामगढ, श्रीमाधोपुर आदि किसी भी तहसील में तो बनाते लेकिन वहां यह स्कीम नहीं बनाई गई क्योंकि वहां पर कांग्रेस के पक्ष का कोई भी जागीरदार नहीं है। यदि यह बात हो कि कांग्रेस में घुसने के बाद पायलेट स्कीम बनाई जाती है तो इस प्रकार का जो खर्चा किया जाता है वह बिल्कुल नावाजिब है। हम इस प्रकार का खर्चा मंजूर करने के लिये कभी तैयार नहीं हैं।

[श्री भैरूंसिंह]

मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। परबतसर में एक सज्जन को संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया। वे ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनकी भूस्वामी आन्दोलन के समय परबतसर कोर्ट में जाकर पैरवी करने की हिम्मत नहीं थी इसलिये नहीं कि उनको जान का खतरा था लेकिन इसलिये कि परबतसर के सारे जागीरदारों ने कहा कि तुम यहां से चले जावो। तुम यहां रह नहीं सकते। यदि तुम यहां रहोगे तो हम तुम्हारी तोहीन करेंगे। लेकिन हमारी सरकार की दृष्टि में वह व्यक्ति अच्छा समझा गया। वह परबतसर का संपर्क अधिकारी बन गया। अधिकांश जागीरदारों को उसमें विश्वास नहीं है फिर भी उनके लिये वह संपर्क अधिकारी बना दिया गया।

अब यदि यह सोचा जाय कि एक दो संपर्क अधिकारी ऐसे होंगे जिनकी नियुक्ति में शायद सरकार ने गलती की हो। मैं नाम लेना उचित नहीं समझता क्योंकि नाम लेना अच्छा नहीं है। लेकिन मैं मंत्री जी से उत्तर के समय इतना चाहूंगा कि जितने संपर्क अधिकारी नियुक्त किये हैं उनके नाम बताने की कृपा करें उसके बाद में जितने नाम बतावेंगे उनके बारे में उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताने में मुझे संकोच नहीं होगा। जागीर कमिश्नर ने मेरे सामने बतलाया था कि संपर्क अधिकारियों के लिये ये ये क्वालिफिकेशन्स होनी चाहियें। मैं आपको बताऊंगा कि उनमें से एक में भी ये क्वालिफिकेशनन्स हैं या नहीं।

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)--ऐसे किसी व्यक्ति का नाम न लें जिनको यहां उत्तर देने का अधिकार न हो।

श्री हरिकृष्ण व्यास--कम से कम सदन के जो सदस्य हैं और जिनको संपर्क अधिकारी बनाया गया है उनका नाम तो लेने दिया जाय। वे तो जवाब दे सकते हैं।

श्री भैरूंसिंह (जारी)--जिनकी नियुक्ति हुई है उनको हम जानते हैं। नियुक्ति होने के बाद वे जागीर कमिश्नर के पास दरख्वास्त लेकर जाते हैं कि मुझे विधान सभा का चुनाव लड़ना है इसलिये शायद ओफिस ऑफ प्रोफिट मान कर मैं महरूम नहीं रह जाऊं। उनसे किसी के द्वारा यह भी कहा गया कि तुम्हारे खिलाफ प्रिविलेज मोशन आने वाला है तब वे दौड़े जागीर कमिश्नर के पास गये और जागीर कमिश्नर ने उनसे कहा कि आप तो विधान सभा के मेम्बर हैं आपको मालूम होना चाहिये था। लेकिन २०० रु० का लालच था इसलिये मंजूर कर लिया।

अब प्रश्न यह आता है कि संपर्क अधिकारी का काम निश्चित किया है वह इस तरह का है जिसमें काफी मेहनत की जरूरत है। जो पायलेट स्कीम बनाई है उसका काम काफी कठिन है। लेकिन जो संपर्क अधिकारी है वे ऐसे व्यक्ति हैं जो आज तक अच्छे से अच्छे महलों में रहते आये हैं और वे लोग छोटे जागीरदारों में बैठना अपनी तोहीन समझते हैं। उनके साथ खाना पीना और बोलना तो दरकिनार रहा लेकिन गांवों में जाकर उनके साथ बैठने में अपनी तोहीन समझते थे। और कामों में सहयोग देना तो दूर रहा, उनके साथ बात करने में अपनी तोहीन समझते थे। उन व्यक्तियों को, बड़े बड़े जागीरदारों को संपर्क अधिकारी बनाया गया। किशनगढ़, परबतसर, जोधपुर की जिन जिन तहसीलों में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति हुई है वह छांट छांट कर हुई है। उनके बारे में मैं केवल इतना

Page No 40

[श्री भैरूसिंह]

ही कह सकता हूं कि जागीरदार वर्ग को उनके प्रति रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। ऐसे व्यक्ति संपर्क अधिकारी रहते हैं तो निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि ऐसी पायलेट स्कीम से फायदा नहीं होगा। इसको रद्द करना चाहिये।

दूसरा प्रश्न अतिरिक्त कर्मचारियों को जागीरदारों का विघटन करने के लिये नियुक्त करना है। इसलिये कुछ धन राशि की आवश्यकता है। चेयरमेन महोदय, जागीर रिजम्पशन एक्ट में इस बात की व्यवस्था है कि जागीर पुनर्ग्रहण के कारण जितने जागीर कर्मचारी बेकार होंगे या जिनको जागीर सर्विसेज से अलग किया जाय, सरकार, जहां तक उनमें योग्यता हो, उनको अपनी सेवा में नियुक्त करे। आज से १ वर्ष पूर्व इस बात की विज्ञप्ति निकली थी कि जागीर के जितने भी एम्पलोइज हैं, चाहें उस जागीर का पुनर्ग्रहण हुआ हो या नहीं, वे ३० जुलाई, ५५ तक या मुझे पूरी तारीख याद नहीं शायद १५ जून तक दरख्वास्त देदें। लेकिन जब १५ जून तक दरख्वास्तें नहीं दी गई तो अवधि बढ़ाई गई और १ महीने का समय बढ़ाया गया। उस समय लोगों के दिल में भू-स्वामी आन्दोलन के कारण अजीब परिस्थिति थी। कई जागीर के मामले सुप्रिमकोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहे थे। उस समय यह बात हो रही थी कि यदि जागीर कर्मचारियों के नाम से किसी जागीरदार से सर्टिफिकेट लेकर पेश किया गया तो उस जागीरदार के लिये जागीर पुनर्ग्रहण के सिद्धान्त को मानने के लिये कमिटमेन्ट होगा इसलिये दरख्वास्तें नहीं दी जा सकीं। जब आन्दोलन हुआ तब उन लोगों ने उसमें प्रमुख रूप से भाग लिया और जो बेकार हो गये थे, उनके पास कोई धन्धा नहीं रह गया था उन्होंने भाग लिया और सरकार के सामने कठिनाई उपस्थित हुई। जब समझौता हो गया तब सरकार ने फिर तारीख मुकर्रर की कि ३१ जुलाई तक दरख्वास्तें दे सकते हैं। ३१ जुलाई तक जितनी दरख्वास्तें आई उन लोगों का १० अगस्त को इन्टरव्यू हुआ। उनको फिर मौका दिया गया कि जो लोग आज नहीं आ सके हैं उनका बाद में इन्टरव्यू हो। दूसरी तारीख मुकर्रर करके १० सितम्बर को इन्टरव्यू हुआ। लेकिन जागीर पुनर्ग्रहण के बाद आज तक कितने जागीर कर्मचारियों को लिया गया उसके आंकडे यदि देखेंगे तो पता चलेगा। ऐसे लोग राज्य सेवा में लिये गये हैं जो बाअसर थे या तो वे जागीरदार जिनके यहां वे काम करते थे ब असर थे या वे कर्मचारी खुद बाअसर थे। जब दोनों का सहयोग हुआ तब सरकार ने किसी को नायब तहसीलदार, किसी को तहसीलदार और किसी को गिरदावर की पोस्ट पर लिया गया। चाहे वे छोटी जागीर के कर्मचारी थे या बड़ी जागीर के। इसका दृष्टिकोण नहीं रहा। दृष्टिकोण केवल एक था कि अमुक व्यक्ति का मंत्रीजी पर असर है या संस्था पर असर है। यदि खुद का असर नहीं है तो उनके साथ वाले किसी का असर है और उस व्यक्ति पर कर्मचारी का असर है। ऐसे लोगों को लिया गया। उनके लिये यह चिन्ता नहीं थी कि इसका इन्टरव्यू हुआ या नहीं। इस प्रकार से लिये हुए व्यक्ति कोई तहसीलदार बना बैठा है तो कोई नायब तहसीलदार या गिरदावर बना बैठा है।

लेकिन इन कर्मचारियों पर दो प्रकार की विपत्ति आई है, उनको कोई सहायता देने वाला नहीं है और एक विपत्ति यह आई है कि जागीरदार भी उनको सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। उनको इस बात का डर है कि अगर हमने उसको इस बात का सर्टिफिकेट दे दिया कि १५० रुपया माहवार की तनख्वाह

[श्री भैरूंसिंह]

पर अमुक व्यक्ति को हमने रख छोड़ा था, इतने साल से रख छोड़ा था यदि ऐसा सर्टिफिकेट लिख कर दे दिया तो हमें जो मुआवजा मिलेगा उस रकम में से इन कर्मचारियों की तनख्वाह काटली जावेगी। इसलिये जो लोग जागीरदारों के कर्मचारी थे उनको जागीरदार सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। और इसका नतीजा यह हुआ कि उन जागीर कर्मचारियों को इन्टरव्यू में इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया कि जागीरदार की सिफारिश तुम्हारे लिये नहीं है। इसलिये तुम्हें नहीं लिया जा सकता। ये लोग बेचारे रोये बहुत चिल्लाये और दरख्वास्तें दी कि वास्तव में हम लोग जागीर कर्मचारी हैं उन जागीरदार साहब का रेकार्ड देखा जाय उनकी बहियें मगां कर देखी जायं उनका रोजनामचा देखा जा सकता है, उनकी एकाउन्ट बुक्स देखी जा सकती हैं, उनकी बहियां मंगा कर देखी जा सकती हैं, हम लोग जब से समझदार हुये हैं तभी से ठिकाने में काम कर रहे हैं, आज ठिकानेदार और मेरे बीच किसी कारण लड़ाई है इसलिये वह सिफारिश नहीं कर रहा है, पर उनकी एक न सुनी गई और उनको जागीर-दार की सिफारिश के अभाव में कइयों को रिजेक्ट कर दिया गया, यह अन्याय है।

आज सरकार ईमानदारी से आंकडे तैयार करे कि हमने कितने जागीर कर्मचारियों को नियुक्त किया है। और ऐसे कितने व्यक्तियों को नौकरी में लिया गया है। जिनके बारे में न पब्लिक सर्विस कमीशन से पूछताछ हुई है और न कम्पीटिशन की जरूरत समझी गई है, मंत्रीजी ने देखा कि मुझे अमुक आदमी को नौकरी देनी है, किसी अधिकारी ने देखा कि मुझे अमुक आदमी को नौकरी देनी है, या तो उसकी सिफारिश है या किसी ढंग से उनका रिश्तेदार है तो उनको बिना पी. एस. सी. से पूछताछ किये बिना एप्लीकेशन्स इन्वाइट किये बिना किसी प्रकार के कम्पीटिशन के रख लिया जाता है। मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता जो पी. एस. सी. की पूछताछ के और बिना एप्ली-केशन्स इन्वाइट किये नियुक्त किये गये हैं। ट्यूरिस्ट के लिये इन्सपेक्टर मुकर्रर किया जाता है, जगह खाली होती है तो पी. एस. सी. के जरिये एप्लीकेशन्स मंगाने की जरूरत नहीं किसी कम्पीटिशन की जरूरत नहीं रिश्तेदार होने के नाते ट्यूरिस्ट के इन्सपेक्टर की नियुक्ति हो सकती है, ऐसे पदों पर नियुक्ति हो सकती है जिन पदों पर आर. ए. एस. की नियुक्ति होनी चाहिये। नियुक्तियां इस तरह दी जाती हैं कि अमुक व्यक्ति हमारा रिश्तेदार है। राजस्थान की जनता ने राजस्थान का शासन आपके हाथों में इसलिये नहीं दे रखा है कि आप अपने अपने रिश्तेदारों को ट्यूरिस्ट के इन्सपेक्टर बनाते रहें, म्युनिसिपैलिटी में रखें और अपने रिश्तेदारों को एक्स्टेन्शन दें।

जनता आपकी इन सब कार्यवाहियों को देख रही है और आपने अगर यही रवैया जारी रखा तो जनता और तरीका अपनायेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास—Mr. Chairman, I think we are discussing Demands with regard to Jagirs and not regarding the appointment of a Tourist Inspector. I think the hon'ble member should confine to the Demand itself and to the cut-motion.

श्री भैरूंसिंह—माननीय सभापतिजी, बात तो यह है कि मैंने नाम नहीं बताये इसीलिये मंत्री महोदय खड़े हैं, नहीं तो खड़े नहीं होते।

श्री सभापति—The hon'ble member should limit himself to the subject matter under discussion.

श्री एच० के० व्यास—Demand in respect of additional appointments in connection with the resumption of jagirs is under discussion. If the hon'ble member who has moved the motion does not know this fact then his ignorance should be removed by the Chairman.

श्री भैरूंसिंह—इसमें ऊपर ही है पांच हजार या इससे कम की जागीरों के जागीरदारों को मुआवजा चुकाने के लिये और रखे गये जागीर के विशेष कर्मचारी वर्ग के लिये यह शायद आपने पढ़ा नहीं।

मेरे कहने का मतलब यह था कि सरकार एक ऐसा स्टेटमेन्ट तैयार करके देखे कि कितने जागीर कर्मचारियों को नियुक्तियां देनी थी, वे लोग बेरोजगार हो रहे हैं उनको धंधा देना था, उन्हें धन्धा नहीं दिया और ऐसे लोगों को रख लिया जो न तो जागीरों के कर्मचारी थे और न जागीरदारों से उनका किसी भी प्रकार का सम्बन्ध ही था पब्लिक सर्विस कमिशन की एप्रूवल के बिना वे किसी भी तरह से राज्य की सेवा में नहीं आ सकते थे। ऐसा स्टेटमेन्ट तैयार करायेंगे तो मंत्री महोदय की आंखें खुल जायेंगी कि जागीर कर्मचारियों को तो लिया ही नहीं गया और उनकी बजाय ऐसे लोगों को लिया गया है जो जागीर कर्मचारी नहीं थे। आप इसे देखें अगर आपको फिर भी मालूम नहीं हो तो हम आपको सूची देंगे जिससे आपको पता चलेगा कि नियमानुसार कितने व्यक्ति राज्य सेवा में लेने के योग्य नहीं थे फिर भी ले लिये गये हैं।

दूसरा सवाल है जागीर कर्मचारियों के लिये इतने रुपये की आवश्यकता है यदि इस बेकारी को दूर करने के लिये इन बेकार लोगों को धन्धे पर लगायें लगाने के लिये यह मांग हो तो कोई भी इस मांग का विरोध नहीं कर सकता पर मांग को मंजूर करने से पहले हमें यह आश्वासन देना होगा कि जो रुपया खर्च होगा वह जागीरों के कर्मचारियों को धन्धा देने के लिये उन्हें राज्य सेवा में लेने के लिये ही होगा। यदि इस बात का आश्वासन हो तो इससे ज्यादा भी धन ले लें तो भी किसी को कोई एतराज नहीं होगा।

जागीरदारों को तो मुआवजा मिलेगा, पुनर्वास का भत्ता मिलेगा, उनके पास खुदकाश्त की जमीन भी है उनके पास जायदाद भी है। पर जागीर कर्मचारियों के पास कुछ नहीं वे जागीर कर्मचारी दर दर के भिखारी न बनें, उनको धंधा दें इसके लिये जो आज आपने व्यवस्था कर रखी है वह व्यवस्था बिल्कुल अनुचित और असमुचित है और मनमाने ढंग से सरकार की ओर से कार्यवाही की जाती है।

आज मैं राजस्व मंत्रीजी से दो बातें अवश्य चाहूंगा कि जागीरदारों के रिहेबिलिटेशन और कम्पन्सेन्शन के बारे में जो मांग थी उनके बारे में अन्तिम निर्णय किन किन का किया, नहीं तो क्यों नहीं, बाउन्ड्स किन किन को तकसीम किये गये? अब तक नहीं किये गये तो क्यों नहीं तकसीम किये गये?

ये सारी बातें ठीक ढंग से करते हैं तो जागीरदारों के कारण जो विषम परिस्थितियां पैदा हो रही हैं वह ठीक हो जायेंगी पर अगर सरकार यह देखे कि जो जागीरदार कांग्रेस के सदस्य हो जांय, जो जागीरदार हमारे सामने नतमस्तक होकर राजनैतिक दल की सदस्यता को स्वीकार करें उन्हीं को

[श्री भैरूंसिंह]

को मुआवजा देना है दूसरों को नहीं देना है तो यह अन्याय पूर्ण बात होगी और इसका नतीजा कोई अच्छा नहीं होगा ।

जागीर डिपार्टमेन्ट में वकील नियुक्त किये जाते हैं उनके द्वारा यह व्यवस्था की तो यह अन्याय होगा । वकील रखे जाते हैं इसलिये कि इतने मुआवजे का फार्म भरा है वह अनुचित है जब कि फार्म तहसील में जांच होता है कलेक्टर के ओफिस से जांच हो कर आता है, अगर कोई मामला माइनिंग से सम्बन्ध रखता है तो माइन्स डिपार्टमेन्ट से जांच होकर आता है और अगर कोई मामला फोरेस्ट से ताल्लुक रखता है तो फोरेस्ट विभाग द्वारा जांच हो कर आता है तो फिर यह वकील क्यों मुकर्रर किये गये हैं ?

मतलब यह कहने का है कि जिस विभाग से सम्बन्धित वह होता है वही विभाग उसकी जांच करके सर्टिफिकेट देता है कि अमुक धनराशि की मांग की है वह उचित है । सरकार को कानूनी ढंग से राय देने के लिये सरकार ने कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया ह । इस नियुक्ति में भी उनकी काबलियत आदि का कोई हिसाब नहीं देखा गया कि उनकी प्रक्टिस कैसी चलती है । उनकी क्वालिफिकेशन का कोई ध्यान नहीं रखा गया । माननीय मंत्रीजी महोदय यह देखें कर बतावेंगे कि उनकी क्वालिफिकेशन की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया गया । मैं यदि उन लोगों के नाम बताऊंगा तो फिर वही बात होगी क्योंकि वे खुद भी जानते हैं कि वह अमुक एम. एल. ए. का भाई है । उनकी प्रेक्टिस चाहे चलती हो या नहीं मगर उनको ४००) रु० माहवार पर नियुक्त कर दिया जाता है या कोई अमुक व्यक्ति का रिश्तेदार जो मंत्री महोदय का कृपा पात्र है और वह बी. ए. एल.एल. बी. हो चुका है, भले ही वह महीने में ५० रुपये भी वकालत की प्रेक्टिस से नहीं पैदा कर सकता हो, मगर उसको जागीर कमिश्नर साहब के यहां एडवाइजर मुकर्रर कर दिया जाता है । वह वहां पर कानूनी सलाहकार के रूप में ४००) रु० माहवार की तनख्वाह में नौकर होता है । क्या सरकार ने उन लोगों के हिसाब देखे हैं कि उनकी आय क्या है ? क्या कभी उन्होंने सरकार को इन्कम टैक्स दिया है ? उनकी आमदनी कुछ नहीं, प्रेक्टिस चलती नहीं, इन्कम टैक्स में वे एक पैसा देते नहीं फिर भी वे रिश्तेदार या किसी के कृपा पात्र होने के नाते जागीर कमीश्नर के यहां एडवाइजर कायम किये जाते हैं । उनका काम क्या है ? उनका काम कानूनी सलाह देने के बजाय वे वहां पर जो जागीरदार रुपया लेने के लिये आवेंगे उनको यह कहते हैं, जो मुआवजा लेने को आता है कहते हैं कि अगर आप मुआवजा लेना चाहते हैं तो हमारे कहने पर चलें । आप क्षत्रिय महासभा को छोडें । भू-स्वामी संघ को छोडें । कांग्रेस के सदस्य बने । कांग्रेस को मदद दें, कांग्रेस को सहायता दें तो आपको मुआवजा मिल सकेगा । इसमें वे एक्सपर्ट होते हैं । यदि इसी को उनका एक्सपीरियेन्स माना जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । यदि ऐसी ही बात है तो लीगल एडवाइजर के एक्सपीरियेन्स के बारे में मुझे कहने की कोई बात नहीं । मगर जागीर रिजम्शन एक्ट के नीचे जो कुछ भी इन्ट्रप्शन होता है उसको देखने की उनको कोई जरूरत नहीं । उनका तो यह काम है कि वे कांग्रेस के सदस्य बनने के लिये लोगों को कहें । कांग्रेस को वोट देने के लिये कहें । मैं यह कहूंगा कि जागीरी सलाहकार, कानूनी सलाहकार सूतरसवार सब सब कांग्रेस के ही हों तो मैं यह निश्चित रूप से कहूंगा कि यह गरीब जनता के धन का

[श्री भैरूंसिंह]

दुरुपयोग है और जागीरदारों को मुआवजा देने के रूप में राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति करना है। हम कभी भी इस कार्य के लिये धनराशि स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं।

मैं राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जागीर के सभी अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में देख कर न्याय से तुलना करें कि जो कार्यवाही की गई है वह उचित है और कितने लोगों से (जागीरदारों से) चंदा लिया गया है, उचित है। अगर माननीय राजस्व मंत्री का संतोषजनक उत्तर आया तो मैं पहला आदमी हूंगा जो राजस्व मंत्री के प्रस्ताव का स्वागत करूंगा और संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया तो मैं निश्चित रूप से इसका अंतिम समय तक विरोध करता रहूंगा।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय उपाध्यक्ष, मैं दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री भैरूंसिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं। मैं यह व्यक्त करना चाहता हूं कि जागीरदारों को मुआवजा देने के साथ २ राजस्थान सरकार उनसे राजनैतिक फायदा उठाने का प्रयत्न कर रही है। इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चित्तौड़ में जहां पर जागीरदारी समाप्त होने के बाद भी जागीरदारों के साथ क्या मांग की जा रही है और कैसा वर्ताव किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चित्तौड़ में मानयास नाम का ठिकाना है। वहां पर यह चीज सरे आम की जा रही है। वहां की स्थिति को बिगाड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ दिन की घटना है कि एक पटवारी का वहां के एस. डी. ओ. ने उचित समझ कर तबादला किया। पटवारी के तबादले की बात को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा जिला अध्यक्ष पर फोर्स डाला गया और उसके फलस्वरूप उसका तबदाला केंसिल किया गया। पटवारी का तबादला ही केंसिल नहीं किया गया बल्कि पटवारी के तबादले के बाद एस. डी. ओ. का भी तबादला कर दिया गया। आप चाहें तो मैं उसका नाम बता सकता हूं मगर ये सारी बातें छुपी नहीं हैं। ये सारी बातें उस ठिकाने को और ठाकुर को तबाह करने के लिये की जा रही हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने मानयास ठाकुर को वहां से खड़ा करने का विचार किया था। वह कांग्रेस अध्यक्ष के विरुद्ध खड़ा होता है तो उसको दबाने के लिये यह सारा प्रपंच किया गया है। वहां पर जो एस. डी. ओ. था उसका तबादला किया गया, उस पर पहले इस बात का जोर दिया गया कि १०७ और ३०७ की कार्यवाही में जागीरदार को गिरफ्तार करो। मैं कोई जागीरदारों के पक्ष में नहीं हूं न जागीरें रखने के पक्ष में हूं। जागीरें खत्म हो गई। जागीरदारों ने जागीरें दे दीं मगर आज उनको फिर भी दबाया जा रहा है और राजनैतिक कारणों से उनको नष्ट करने की चेष्टा की जा जा रही है और उसी इसीलिये ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस प्रकार की ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकते और विधान सभा में एक जागीरदार सदस्य के नाते मैं यह निवेदन करूंगा कि जागीरदारी समाप्त होने के बाद भी जागीरदारों के साथ जो इशारा है वह इस बात को लेकर चल रहा है कि किस तरह से राजनीति में जीतें। इसलिये अधिकारी भी उन्हीं लोगों को बनाये जाते हैं जो कांग्रेस की हां में हां मिलाने वाले होते हैं और जब दूसरे लोगों के नाम के लिये निवेदन किया जाता है तो उन लोगों के लिये टालमटोल की जाती है। जो कांग्रेस की हां में हां मिलाने वाले हैं उन्हीं को जागीर सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करते हैं। इसी प्रकार सारा राजनैतिक वातावरण बनाया करते हैं। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इन सारी बातों को लेकर जागीरदारों के साथ होने वाले

[श्री जगतसिंह झाला]

व्योहार को ठीक तरह से देखें और जो उनके साथ ज्यादती हो रही है उनको रोकें। इसलिये जो यह कटौती का प्रस्ताव हुआ है इसका समर्थन करता हूं।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, सदन के समक्ष आज एक बहुत ही अहम मसला प्रस्तुत हुआ है। मुझे तो राजस्व मंत्री को इतनी फुर्ती से जवाब देने के लिये उठते देखकर बड़ा सदमा हुआ लेकिन फिर भी मैंने भी माननीय उपाध्यक्ष, उठने में बडी फुर्ती दिखाई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक परवरिश का नया महकमा खोल दिया है इससे मुझे निहायत अफसोस है। माननीय उपाध्यक्ष, आज राजस्थान में जिस भू-स्वामी आन्दोलन की उत्पत्ति की बात को कहा जाता है। अगर इस बात को गौर से देखा जायगा तो मालूम होगा कि इस चीज को बढ़ावा देने में सरकार के अपने चंद कृपा पात्रों की ही नीति है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज के युग में जागीरदारों के खिलाफ या भू-स्वामियों के खिलाफ जो बातें कही जाती हैं वह बहुत कुछ निरर्थक हैं। मैं यह मानता हूं कि अगर भू-स्वामियों के मसले को दिल और दिमाग को ठिकाने रख कर हल करने की कोशिश की जाती तो यह मसला जरूर हल हो जाता। लेकिन इस मसले के लिये हमारी सरकार की शुरू से यह नीति रही है कि इस मामले को उलझन में डाल दिया जावे और हल नहीं किया जावे। मैं बार २ माननीय उपाध्यक्ष, सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारे झगड़ों की जड़ हमारे जागीर कमिश्नर महोदय हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि एक ऐसे एन्टी जागीरदार को जागीर कमिश्नर पद पर नियुक्त करना जागीरदारों के साथ सरासर अन्याय है।

मैं यह सत्य कहते हुए किसी से डरता नहीं।

एक माननीय सदस्य—आपको मुआवजा नहीं मिलेगा।

श्री महार (जारी रखते हुए)—मुआवजे की मुझे चिन्ता नहीं, अगर सच कहने पर जागीर कमिश्नर साहब मेरे दावे को खारिज कर सकते हैं तो मैं बडी खुशी से स्वीकार करूंगा। यह जो लाइजन आफिसर मुकर्रर करने की पद्धति सुझाई है वह तो ऐसी घातक पद्धति है, जिस पद्धति ने जागीरदारों भू-स्वामियों और सरकार के बीच एक बडी खाई पैदा कर दी है। लाइजन आफिसर, क्या ही खूबसूरत नाम रखा है। इसका मतलब है जागीरदारों और सरकार के बीच संपर्क स्थापित करना। कहा यह जाता है कि वे तो मुआवजे के दावे भरने के बारे में जागीरदारों की मदद करते हैं। माशेल्लाह क्या कहा इस प्रकार की बातें कहकर क्यों हमारी हिन्दी की डिक्शनरी को लजाया जाता है।

मैं मानता हूं कि आज हमारी सरकार जो कुछ करती है अद्भुत और नाटकीय काम करती है। मैं यह नहीं जानता जागीरदारों जैसे महत्वपूर्ण तबके को खत्म करते वक्त भी इस प्रकार का नाटक रचा जाता है। सरकार द्वारा इन आफिसरों की नियुक्ति करने में सब से बडा उद्देश्य यह है कि सरकार अपनी कुर्सी को बनाये रखने के लिये एम. एल. ए. लोग सरकार की मदद करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताऊंगा लाइजन आफिसर किन २ व्यक्तियों को लिया गया है। आप घंटी बजाने की कोशिश मत करें मैं नाम नहीं लेऊंगा उपाध्यक्ष महोदय, दो तो इस सदन के सदस्यों को लिया गया है, तीन उन जागीरदारों को लिया गया है जो कांग्रेस में शरीक हो चुके हैं, उनको यह प्रलोभन दिया जाता है कि तुमको इस

[श्री मानसिंह महार]

कार्य की तनखा दी जायगी। आप तो सुखाड़ियाजी की कुर्सी कायम रखने में मदद दो। इससे बढकर सरकार के पैसे का दुरुपयोग और क्या हो सकता है ? दूसरी ओर जहां लाइजन ओफिसर नहीं कुछ हमारे मिनिस्टरों के कृपा पात्रों को वकीलों को डिप्टी कमिश्नर की एडवाइज के लिये, वकीलों को मुकर्रर किया गया है। उसमें किसी को ४०० रु० मासिक किसी को ५०० रु० दिया गया है। जब इस बारे में रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय को पूछा गया तो उन्होंने बडे लहजे के साथ फरमाया वकीलों को तो सरकार की मदद के लिये रखा गया है। बडे अफसोस की बात है हमारी आज की सरकार यह समझती है कि उनके आर. ए. एस. कर्मचारी सरकार का नुकसान करेंगे। मैं तो यह कहता हूं कि अगर किसी कर्मचारी के विरुद्ध इस प्रकार सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है उसको बरखास्त करने का एक्शन लेना चाहिये। आप देखिये दिल्ली के अन्दर एक सरकारी कर्मचारी ने विदेशी लोगों को कुछ कागजात दे दिये उस पर उसको गिरफ्तार कर लिया, आप भी किसी कर्मचारी को इस प्रकार पाते हैं तो आप भी इसी प्रकार का कदम उठाइये। केवल अपने कृपा पात्रों को भरने के लिये यह किया गया है और यहां आकर डींगें हांकते हैं हमने तो सरकार को सलाह देने के लिये नियुक्त किया है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं एक २ का नाम लेकर चलूं लेकिन मैं नाम कभी लेने वाला नहीं आप घंटी बजाने का कष्ट न करें।

मैं नम्रता के साथ निवेदन कर देना चाहता हूं कि जागीरदारों के नाम पर आप जो यह परवरिश का महकमा कायम कर रहे हैं वह सरकार जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। इस बारे में मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि प्रत्येक वकील जो मुकर्रर किया गया है उनकी किसी प्रकार की दरख्वास्त वगैरह नहीं है, उसके बिना ही कुछ मंत्रियों के कृपा पात्रों को और कुछ कांग्रेस समर्थकों को मुकर्रर कर दिया गया है। महज इसलिये कि उनके भरण पोषण में ३०० या ४०० रुपये की सहायता मिल सके। अगर वे पोलिटीकल सफरर्स होते तो उनको इस प्रकार की सुविधा अगर दी जाती तो हम किसी प्रकार का अफसोस नहीं करते, लेकिन जिन कांग्रेस समर्थकों वकीलों को लिया गया है जिन्होंने न कभी किसी आन्दोलन में ही भाग लिया और न कभी इससे पहले कांग्रेस के सदस्य ही रहे। केवल उन्हीं रंगे शियार कांग्रेसियों को मोका दिया गया है जो हमारी वर्तमान सरकार की बढ़ावा दे रही हैं।

श्री भैरूं सिंह—आप भी तो कुछ दिनों कांग्रेस में रह कर आये हैं।

श्री मानसिंह महार—तभी तो मुझे उनकी अन्दरूनी पोल मालूम हुई है। अगर उपाध्यक्ष महोदय, आप तो खूब अच्छी तरह से जानते हैं आपके जानते हुए भी मैं निवेदन करना आवश्यक समझता हूं।

लाइजन आफिसर के लिये कहा यह जाता है कि वे तो मुआवजे के दावे भरवायेंगे गांवों में जाकर लोगों को कहेंगे और दावे भरवायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, दावे भरने का जहां संबन्ध है मैं आपसे निवेदन करूं मेरे जैसा व्यक्ति जिसने दावा भरने के लिये कुछ फारमेलिटीज करवाने के लिये जो हमारे जयपुर डिविजन के लाइजन आफिसर हैं श्रीरघुनाथसिंहजी गुढ़ा विराजते हैं मैं उनके दफ्तर में कम से कम ५० बार गया हूं, लेकिन मैं जब कभी गया हूं उनको वहां दफ्तर से नदारद पाया है। अगर आप इसकी ताईद चाहते हैं तो आप डिप्टी कमिश्नर से पूछिये, सरकार के दबाव में आकर वे कहने वाले

[श्री मानसिंह महार]

नहीं लेकिन अगर उनके हलफिया बयान ले लिये जायं तो मैं कहूंगा कि वे शायद कह देंगे। वैसे तो वे बडे चलते हुए आदमी हैं हलफिया बयान पर ही वे सत्य कह सकते हैं।

परिवरिश का महत्मा है इसका प्रमाण यह है कि इसी सदन के एक मशहूर सदस्य हैं जिनको डूंगरपुर में लाइजन आफिसर बनाकर भेजा गया है। लाइजन आफिसर तो उन्हीं को बनाया जाना चाहिये जो व्यक्ति उस जगह के सारे के सारे जागीरदारों को अच्छी तरह से जानता हो। वे व्यक्ति जिनको डूंगरपुर से लाइजन आफिसर बनाकर भेजा गया है मेवाड़ के शिरोमणि हैं, ऊंचे जागीरदार हैं उनको डूंगरपुर में जाकर लाइजन आफिसर बनाया जाता है। महज इसलिये कि हमारे मुख्यमंत्री की कुर्सी को बनाये रखने के लिये वे मदद करें।

इसी प्रकार एक मेरे मित्र बूंदी को तरफ से चुनाव जीत कर आये हैं, उनको बूंदी के लिये लाइजन आफिसर बनाया गया है। वे कुछ बुद्धिमान अधिक थे उनको नियुक्त करते वक्त यह कहा गया कि २०० रुपया मासिक दिया जायगा। लेकिन वे होशियार थे और उन्होंने हम जैसे लोगों की राय ली हमने कहा कि अगर आप २००) रुपये में नौकर हो जाओगे तो विधान सभा की सदस्यता से भी चले जाओगे, उन्होंने हम लोगों की राय मान ली और फौरन इस पद से इस्तीफा दे दिया। तो इस प्रकार की बातें हैं उपाध्यक्ष महोदय, आज यह कहा जाता है कि इतना बडा खर्चा जागीरदारों की भलाई के लिये किया जा रहा है। लेकिन आप जो कुछ खर्च कर रहे हैं अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिये कर रहे हैं। आज आप जिनको लाइजन आफिसर मुकर्रर कर रहे हैं, जिनको जागीरदारों के लाभ की बिल्कुल परवाह नहीं। इन सारी गडबडीयों की जड़ है हमारे जागीर कमिश्नर महोदय। जिनकी एक्स्टेन्शन की सिफारिश भारत सरकार को की गई है, उसके साथ यह कहा गया है हमारे यहां इनके सिवाय जागीर कमिश्नर के पद का काम दूसरा नहीं कर सकता, इनकी तरह सुचारू रूप से नहीं कर सकता। उनके सुचारू रूप से कार्य करने का ढंग तो देखिये, जागीर रिजम्पशन एक्ट जो हमने पास किया पंतजी के मध्यस्थ से एक लंबा समझौता हुआ उस सब को हमारे जागीर कमिश्नर महोदय ने रद्दी की टोकरी में डाल रखा है। उनके राज्य में उनकी मातहत जागीरदारों को क्या सुविधायें मिल रही हैं वह भी सुन लीजीये। जागीरदार अपनी प्राइवेट प्रोपरटी की लिस्ट देता है (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल रिलेवेन्ट बोल रहा हूं यह तो हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। कम से कम मैं इस पर एक घंटा तो बोलूंगा। आप एक घंटा नहीं तो बीस मिनिट तो और दे दीजिये मैं बिल्कुल रिलेवेन्ट बात कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप दस मिनिट में समाप्त करिये।

श्री महार—खैर, मैं दस मिनिट के बाद फिर अर्ज करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था जागीरदार लोग जागीर कमिश्नर को अपनी प्राइवेट प्रोपरटी की लिस्ट देते हैं उसका क्या किया जाता है जागीरदारों से गांव वालों को भडकाने के लिये दुनियां में किसी जगह यह प्रोवीजन नहीं फिर भी यहां पंचायतों को लिखा जाता है कि जो जागीरदार ने प्राइवेट प्रोपरटी की लिस्ट दी है वह करेक्ट है या नहीं। कानून में यह चीज है कि वह सूची गजट में शाया की जाती है उस पर ओब्जेक्शन इन्वाइट किये जाते हैं उसके लिये छः महीने का समय निर्धारित है, अगर उस अवधि के अन्दर कोई एतराज पेश करे तो उसकी जांच होती है और वह जागीर कमिश्नर करता है।

[श्री मानसिंह ..हार]

लेकिन हमारे जागीर कमिश्नर साहब यह सोचते हैं कि हम तो इन सब एक्ट के ऊपर हैं, हम हाकिम हैं, हम जागीर कमिश्नर हैं, हम जागीरों के अफसर हैं, हम जैसा करेंगे वैसा होगा।

इसलिये जो हम करें वह सही है। उन्होंने पंचायतों को लिखने का एक नया अडंगा और स्थापित कर दिया। हालांकि रूल्स में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें हम लोगों का तो क्या है कि पंचायतों वाले हमसे तो डरते हैं, हम तो जैसा होगा उनसे काम करवा लेंगे। पर गरीब राजपूत लोग जिनके पास अधिक जमीन नहीं है या एक बिस्वा या दो बिस्वा का बाड़ा है उनको मुश्किल होगी, उन्हें उन पंचायत वालों को रिश्वतें देनी पडती हैं और वे बडे दुखी हैं आज के युग में और फिर कहा जाता है कि उनके लाभ के लिये करते हैं। तो वास्तविक स्थिति मैं बतलाता हूं कि अगर सरकार उनका भला करना चाहती है तो पहला कदम यह होना चाहिये कि जागीर कमिश्नर को हटाया जाय और दूसरा कदम यह हो कि उनकी राय से जो यह डिप्टी कलेक्टर जागीर के यहां वकील की फिजूलखर्ची कायम की गई है उसको खतम किया जावे। तीसरा कदम यह होना चाहिये कि सरकार का जो हजारों रुपया लीजन आफीसर नाम के बरबाद सा हो रहा है उसे रोका जाय। ऐसे लोगों को लीजन आफीसर बनाया गया है जो कुछ हस्ती नहीं रखते। जयपुर के लाइजन आफीसर बनाये गये हैं जिनकी पांच राजपूत भी बात नहीं मानते होंगे और आज तक उन्होंने काम के नाम से कुछ काम भी नहीं किया है। कभी कहीं जाते हैं और बोर्ड से अपनी तनखा ले आते हैं। तो यह एक नई बात पैदा हुई है। अगर आपको इससे फायदा है लेना है तो फुल टाइम आदमी रखिये। अगर भला करना है तो उसको अच्छी तनखा दीजिये, अच्छी तनखा से ही अच्छे आदमी आपको मिलेंगे जो काम कर सकें और लोगों का भला कर सकें। ऐसा करते हैं तब तो कोई बात भी हुई नहीं तो भागते दौडते थोडा बहुत काम कर देते हैं पार्ट टाइम काम होता है। ऐसे ही कलेक्टर के यहां मुआवजे वाले आते हैं। वे वहां से डिप्टी कलेक्टर के पास जाते हैं डिप्टी कलेक्टर उनसे कागज लेकर भेज देता है वकील साहब के पास उनकी राय जानने के लिये और वे कागज वहां छः छः महीनें पडे रहते हैं, तब तक हम तो रोते रहते हैं। यह फेक्ट है। अगर मंत्रीजी इसको चैलेन्ज करें तो मेरे साथ चलकर तारीखें देख लें। कौनसी तारीख को फाइल उनको दी गई और कितने दिनों बाद स्टडी करके वापिस देते हैं। इनको आप तीन चार सौ रुपया माहवार देते हैं और उसका यह हाल है। यह जागीरदार का पैसा नहीं है। इसमें पैसा खर्च हो रहा है जनता का। गाढी कमाई का जनता का यह पैसा है। इसका हिसाब आज आप भले ही मेजोरिटी में है इसलिये कोई लेने वाला नहीं है यह आप मान भरलें। पर आज नहीं पांच वर्ष बाद, दस वर्ष बाद मानें, १५ वर्ष बाद मानें नहीं तो २० के अन्दर तो बहुत मजबूती के साथ आप लोगों से इसका हिसाब मांगा जावेगा। आप यह सोच कर मत चलिये कि हमने जो कर दिया वह पत्थर की लकीर हो गई। आप याद रक्खें बडी २ कुर्सियां हिल गई हैं, आप की कुर्सियों की तो क्या औकात है। आज इंगलेंड, जो कि एक वक्त हिन्दुस्तान तक पर राज करता था मिश्र जैसे एक छोटे से मुल्क से मात खा रहा है, आज मिश्र ने उसे स्वेज कैनाल से निकाल बाहर फेंका है और इंगलेंड कुछ नहीं कर सका है। तो आप भी आज सत्ता और बहुमत के मद में मदमस्त मत होइये, हमारा राज है, हमें कौन हटाने वाला है इस अभिमान में मत भूलिये, हटाने वाला पैदा हो गया है और आप बहुत जल्दी हट जायेंगे यह याद रक्खें।

Page No 49

श्री भैरूंसिंह—आप भी होंगे उनमें ?

श्री मानसिंह महार—बिल्कुल। मैं तो कहूंगा कि इस प्रकार की सरकार को और जनता के पैसे का दुरुपयोग करने वालों को स्तीफा दे देना चाहिये। मैंने कांग्रेस छोडी वह इसी वास्ते छोड़ी, ऐसी कांग्रेस में रहना मैंने ठीक नहीं समझा। मैं जिस समय कांग्रेस में गया तो उस समय व्यास जी की सरकार थी,. मैं इस सरकार के मुकाबले में आज उनकी सरकार को ऊंचा मानता हूं। मैं पहले उसको नीचा मानता था पर इस सरकार के कारनामे देखे तो टोपी फेंक दी मैंने, उपाध्यक्ष महोदय।

(घंटी)

इसमें ऐसी कोई बात नहीं है उपाध्यक्ष महोदय। यह तो एक फैक्ट है। तो एक जागीर कर्मचारियों की भी एक दुःख की बात है वह और अर्ज कर दूं। उपाध्यक्ष महोदय, जागीरों में जो नोकर थे उनके बारे में जागीरों में एक बडी नायाब चीज हो रही है। और डिपार्टमेन्टों में वह डिफिकल्टी नहीं है पर वह इसी महकमे में आकर कसे पड़ गई है। इसलिये निवेदन भी करना पडता है। आप जयपुर, सीकर और अलवर की बात कहते हैं। मैं यहीं की सुना देता हूं। जयपुर में एस.डी.ओ. रक्खा जाता है वे आई ए. एस. होते ह। आर. ए. एस. नहीं। आई ए. एस. का मतलब हमारी सीधी सादी भाषा में यह होता है कि आई.ऐ. साहब यानि पधारिये साहब और आर. ए. एस. का आ गए साहब यानि आवो साहब। वे ऐसे अफसर होते हैं। तो वर्तमान एस. डी. ओ साहब के लिये तो कहता नहीं हूं पर पहले जो थे उनके बारे में थोडा सुना देता हूं। उनके पास जागीरदारों के मामूली नौकर जो थे उनकी एप्लीकेशनें पेश हुई। इन्टरव्यू के लिये जाते तो उनसे पूछते (Do you know Engl sh) वह कहता, मैं तो अंग्रेजी कोनी जाणूं'। दूसरा गया तो उससे आप पूछते हैं (You are very shabily dressed) वह जवाब देता है अन्नदाता, मैं तो ई में कोनी समझूं। इस पर वे साहब फरमाते है (He is unfit) और इसको अनफिट करार देकर निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार से सैंकडों एप्लीकेशनें रिजेक्ट हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बेचारे एल.डी.सीज की एप्लीकेशनें आई। उनसे पूछा गया कि अमेरिकन प्रेसीडेंट के इलेक्शन का क्या तरीका है ? अब सोचिये एक जागीरदार के यहां मामूली पचास साठ रुपया पानेवाला क्लर्क, बाहर गांव में रहने वाला, कैसे यह बता सकेगा अमेरिका की बात, अपने देश की बात छोड़ कर दूसरे देश की बात और वह भी वहां के प्रेसीडेंट के चुनाव की बात। मैं तो यह कहता हूं कि उनको तो आप छोड़ दीजिये और भी यहां अच्छे २ क्लर्कों और ग्रेजूएटों को भी भूल जाइये, राजस्थान के मन्त्रियों में भी ऐसे मिल जावेंगे जो शायद यह बात नहीं जानते होंगे। (हंसी) और फिर मैं तो यह दावे के साथ कहता हूं कि अगर इन मंत्रियों का इम्तिहान हो तो एक दो तो जरूर ही फैल हो जावेंगे। वे छोटे २ नौकर तो विचारे क्या करें ? मैं सब के लिये नहीं कहता। मैं पर्सनल बात भी नहीं कहता। नाम लेकर किसी के लिये नहीं कहूंगा। जयपुर के जागीर कमिश्नर के लिये एम्प्लोयीज के सम्बन्ध में यह नई बात है। आर. ए. एस. होते थे तब तक हिन्दी में कभी बातचीत भी वे कर लेते थे और वह दस में से दो चार के समझ में आ जाती थी। पर यहां तो अंग्रेज बहादुर बैठ गये आई. ए. एस. आ गये। सब को ही रिजेक्ट कर दिया उन्होंने तो। कोई बेचारे दस-पांच सिलेक्ट भी होगये तो आज तक वे इस सरकार को रोते फिरते हैं और आज तक उन्हें नौकरी नहीं मिली। यह चेलेन्ज मैं सरकार को दे रहा हूं, राजस्व मंत्रीजी को दे रहा हूं; वे सुन लें। आज तक आपके मातहत डिप्टी कलेक्टर, जागीर के यहां से सिलेक्ट हुए दो-दो वर्ष होगये, तीस-तीस और चालीस-चालीस की

[श्री मानसिंह महार]

तनख्वाह पाने वाले चपरासी मौजूद हैं जिनको कि सिलेक्ट कर लिया गया है पर जिनका पोस्टिंग नहीं हुआ है, जिनको अभी तक तनख्वाह नहीं दी जाती है। कहा जाता है आठवें दिन आना। आठवें दिन बेचारे हाथ जोड़ कर अरज करते हैं तो कहते हैं फिर आठ दिन बाद आना। उनके लिये लिखा जाता फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट को कि इनको एब्जोर्ब कर लिया जावे और फोरेस्ट वाले लिख देते हैं, 'No vacancy' अब वेकेन्सी तलाश करना इनका काम है या सरकार का या जागीर विभाग का जिन्होंने कि इनको बेरोजगार किया। सरकार ने उनको उखाड़ा है तो इनको रिहेबिलिटेट करना भी सरकार का काम है। तो फिर क्यों नहीं वे एब्जोर्ब किये जाते हैं, जबकि काफी लोग बाहर से लिये जा रहे हैं। आप इनको तनखा चालू कर दीजिये उनका अपाइन्टमेंट हो जावेगा। आप यह करके तो देखिये। जागीर रिजम्पशन एक्ट में इसके लिये प्रोविज़न है। पर कौन सुनता है। वे दर दर भटकते हैं, भूख से तड़पते हैं, उनके बाल बच्चे भूखों मर रहे हैं। तो मैं यह बतादूं सरकार को कि आज के युग में ऐसी बातें बरदाश्त नहीं हो सकेंगी। फिर जिनको अंग्रेजी न जानने के कारण रिजेक्ट कर दिया, जिनकी दरख्वास्तें रद्द करदीं उनके केस आप फिर रिओपिन करिये। आज हिन्दी का युग है। यह हिन्दी का अपमान है। आज के युग में भारत में आप एक तीस-चालीस रुपये के उम्मीदवार चपरासी के लिये यह कहा जावे कि अमेरिका के प्रेसीडेन्ट का इलेक्शन कैसे होता है, उसका तरीका वह नहीं जानता तो यह एक हास्यास्पद सी बात है। अगर यह भी पूछ लिया जाता कि सुखाड़िया कौन है तो सम्भव है दस परसेन्ट जवाब सही भी मिल जाते। पर एक चपरासी से आप यह उम्मीद करें कि वह आपको अमेरिका के प्रेसीडेन्ट के चुनाव का तरीका बताए तो यह तो आपके दिमाग की फितरत ही मालूम पड़ती है। सुखाड़िया जी के बारे में भी उनकी जानकारी अधिक नहीं होगी क्योंकि वे तो जागीरदारों के एम्पलायीज रहे हैं उनको इनसे क्या मतलब ? फिर भी कुछ परसेन्टेज सही बता ही देंगे। फिर एक बात मैं और निवेदन करदूं कि यह सारी दिक्कत आती है इन बेचारे छोटे छोटे कर्मचारियों की नियुक्ति में ही। बड़े बड़े अफसरों की नियुक्ति करने की बात तो जल्दी ही आसानी से तय हो जावेगी पर गरीबों के लिये कोई ध्यान नहीं देता। इन मंत्री महोदयों के दरवाजों पर भी जाकर अगर कहा जावेगा कि साहब इन बेचारों के साथ अन्याय हो रहा है, कुछ न्याय करिये तो वहां से भी जवाब मिलेगा कि सोच रहे हैं, कन्सीडर कर रहे हैं। अरे आपके इस कन्सीडरेशन ने ही तो बरबाद कर दिया। सारे भू-स्वामी आन्दोलन को दुनिया के सामने पेश कर दिया। एक एक दिन में चार २ हजार आदमी गिरफ्तार हो गये। ये सारी बातें पैदा हुई हैं आपके इस एक्ट को इम्प्लीमेन्ट करने के तौर तरीकों के कारण, यह सारा झगड़ा उन्होंने तो किया है। आप के तौर तरीके काम करने के अजीब हैं।

मैं आपसे अब.......... (श्री मुख्य मंत्री के आने पर) मुझे खुशी हुई कि माननीय मुख्य मंत्रीजी आगये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, और हमारा यह विभाग भी उन्हीं के नीचे है तो शायद हमारे दुःख दर्द दूर करने की कोशिश फरमायेंगे यह मुझे आशा है। अभी मंत्री महोदय बेलाग नहीं हो चुके हैं ऐसा महसूस होता है कि वे कभी कभी ध्यान दे डालते हैं। अब तक कुछ कम ध्यान दिया है इसलिये आशा है कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे छोटे ४० या ३५ रु. तनख्वाह पाने वाले आदमी हैं वे दो दो बरस हो गये हैं सिलेक्ट हुए लेकिन उनको आज तक नौकरी में एब्जार्ब नहीं किया है। यह मैं फेक्ट अर्ज कर रहा हूं। यदि मंत्रीजी किसी अफसर से जवाब तलब करना चाहेंगे तो अफसर को

[श्री मानसिंह महार]

भी हाजिर कर दूंगा। कुछ हो तो कहूं नहीं तो किस से कहूं। क्लार्क के लिये मांग की गई थी तो एक कांग्रेसी वकील के छोटे भाई हैं उसको एल. डी. सी. में ले लिया गया है। उसका फाइनल केस अभी कलेक्टर ने तय किया है कि उसको जो जागीरदार ने तनख्वाह लिखी है वह नहीं दी जाय और एल. डी. सी. की स्टार्टिंग पे दी जाय। क्योंकि यह कलेक्टर महोदय के अधिकार की चीज नहीं है तो उसने अपील कर दी आगे जाकर फैसला हो जायगा। कलेक्टर को जागीर के कर्मचारियों की तनख्वाह रिवाइज करने का अधिकार नहीं है। वह वास्तविक रूप में जागीर कर्मचारी है या नहीं है और अगर है तो वह क्या तनख्वाह पाता था। इससे ज्यादा वे नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको इस तरह से कह दिया। वह श्री अमृतलाल वकील का छोटा भाई है और श्री संतोष-कुमार जैन उसका नाम है। अगर मंत्रीजी और राजस्व मंत्रीजी चाहें तो उनके नाम भी नजर कर सकता हूं इसी वक्त सदन में। मैं किसी से डरता नहीं हूं, मुझे कोई खाता नहीं है।

एक नजीर और पेश कर दूं। (समय समाप्ति सूचक घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सही बात अर्ज कर रहा था जागीर डिपार्टमेन्ट में जो लूप होल्स हैं उनके बारे में। मुझे जयपुर डिस्ट्रिक्ट का तजुर्बा है इसलिये यहां की बात मैं अर्ज कर सकता हूं। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का मालूम ही नहीं है कि जो अर्ज कर दूं (हंसी)।

एक माननीय सदस्य—वहां खुशहाली है।

श्री मानसिंह महार—जहां महाराज साहब शिवदानसिंह जी होंगे तो वहां जरूर खुशहाली ही होगी।

यह मैं मानता हूं कि जयपुर से मुझे निहायत शिकायत है। इसलिये बहुत अदब से अर्ज कर रहा हूं। मेरी जागीर में, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अनसेटल्ड ५० हजार की होगी और सेटल्ड कोई २०,२२ हजार की होगी····

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, अपने केस को प्लीड करने का अधिकार एक माननीय सदस्य को नहीं है।

श्री मानसिंह महार—मैं मेरा केस प्लीड नहीं कर रहा हूं लेकिन कम्पेरिज़न दे रहा हूं। मेरे कामदार को ७५ रुपये माहवार दिखाये हैं। उन लोगों की तरह जो कि ५ हजार के जागीरदार हैं उन्होंने २५० रुपये माहवार की तहसीलदारी किसी एम. एल. ए. को खिलाने के लिए वह तनख्वाह दिखाई हो, ऐसा नहीं किया है। नतीजा यह हुआ कि उस ७५ रु० के कामदार को रिजेक्ट कर दिया गया। ईमानदारी करने का यह नतीजा निकला।

एक बारेठजी हमारे यहां के हैं। उनकी जागीर कोई ढाई या तीन हजार की होगी उसमें भी तीन, चार बंटायत हैं। उसमें उदयसिंहजी एक व्यक्ति हैं जिनके लिए बारेठजी ने यह लिखा है कि वे उनको १५०) या २००) रु० माहवार तनख्वाह देते थे। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं इन्स्टान्स साइट कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक दलील है जिसको मंत्रीजी सुनेंगे और स्वयं भी इस बात पर ध्यान देंगे।

[श्री मानसिंह महार]

तीन हजार का जागीरदार है वह १५० रु० माहवार पाने वाला कामदार रखता है तो १८००) रु० तो उसमें चले जाते हैं। फिर एक १५०) रु० के कामदार के लिये एक २५ या ३० रु० माहवार का चपरासी भी वह रखेगा तो इस तरह से ३६० रु० और चले जाते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर २१६०) रु० तो यह हो गये तीन हजार की जागीर वाले को तीन सौ या ४००) रु० चाकरी या और किसी रूप में उसको देना पड़ता है। इस तरह से वह काफी चला जाता है। इस तरह से २५००) रु० तो यह हो गया। अब ४००) रु० या ५००) रु० बचे तो उसमें भी ४,५ बंटायत हैं तो इतनी आमदनी से कम से कम उनके घर के भरण पोषण के लिये, पहले तो यह चीज है कि जब १५०) रु० के कामदार के लिये नौकर रखेंगे तो फिर जागीरदार साहब के भी नोकर होंगे, नौकरानियां होंगी। तो यह ४००) या ५०० रु० जो बचे हैं वे तो उनके पर्सनल सरवेन्ट्स या पर्सनल स्टाफ पर ही समझ लीजिये। तो वह तीन हजार तो पूरे हो गये। तो जागीरदार साहब रोटी कहां से जीमते हैं, वे कोई दूसरी नौकरी भी तो नहीं करते हैं, कोई दूसरा व्यवसाय भी तो नहीं करते हैं। उनको किसी किस्म की कहीं से पैदा नहीं है। इसका किसी को पता नहीं है। मगर करे कौन जांच। कहते हैं यहां पर मगर हमारे कहने की कौन वकत करता है। यह समझा जाता है कि बकने वाले बकेंगे। लेकिन हमारी, प्रार्थना है कि इसकी जांच होनी चाहिये।

लीगल एडवाइजर जांच करते हैं दावों की। तो वह डिले करके दावों के फैसले करने की जो डिलेइंग टेक्टिक्स हैं उसके लिये लीगल एडवाइजर मुकर्रर किये गये हैं। (घंटी)।

इसको उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी कन्कल्यूड करता हूं। माननीय मंत्रीजी तशरीफ ले आये हैं तो मैं आपके जरिये निवेदन करूंगा राजस्व मंत्रीजी तो बड़े सहृदय हैं। दोनों के लिये अर्ज करता हूं। सारी केबिनेट से अर्ज करता हूं, वित्त मंत्रीजी से खास तौर से, कि इस प्रकार की अनुदानें जो पेश की जाती हैं उनकी स्वीकृति न दें क्योंकि यह जो लियोजन आफिसर मुकर्रर किये गये हैं वे बिल्कुल अयोग्य हैं और जागीरदारों के दावों को देखने के लिये जो वकील एडवाइजर मुकर्रर किये गये हैं वह बहुत गलत तरीके से मुकर्रर किये गये हैं। उनका सलेक्शन बहुत गलत तरीके से हुआ है। उसको बन्द किया जाय। शायद यह जवाब दिया जायगा कि आप यह चाहते हैं कि जोश फैल जाय और भू-स्वामी आन्दोलन फिर से उठ खड़ा हो। आप यह खत्म कर दीजिये फिर देखिये कि भू-स्वामी आन्दोलन कैसे हो जाय। जागीरदारों के कर्मचारियों की यह जिम्मेदारी आप ले लीजिये। न्याय करने की जिम्मेवारी आप ले लीजिये, और यह आन्दोलन वगैरह सब बन्द करके और सही तरीके से काम करवाने की और समझाने की जिम्मेवारी हम लेते हैं, लेकिन वह जभी हो सकता है कि कागज पर दस्तखत कर दिये जायं और फिर नटा नहीं जाय, नहीं तो मेरी भी वैसी ही फाल्स पोजीशन होगी जैसी कि पहले के भू-स्वामी नेताओं की हो सकती है।

ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए मैं खास तौर से जयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिये अर्ज कर रहा था। जागीरदारों के पुराने कर्मचारियों का इन्टरव्यू होता है। उनके अन्दर अंग्रेजी की योग्यता के बारे में आज के हिन्दी के युग में और भारतवर्ष में, पूछा जाता है। उनसे अमेरिका और इंग्लेन्ड की हिस्ट्रीज़ पूछी जायं। वे तो क्या अगर मुझसे भी आज पूछा जाय तो मैं अमेरिकन हिस्ट्री से अनभिज्ञ

[श्री मानसिंह महार]

हूं। मैं नहीं बता सकूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, फिर एक इतनी कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी से इस प्रकार की बातें पूछी जायं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरासर अन्याय है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जयपुर में अगर हमारे महरबान एस. डी. ओ. आर. ए. एस. या आई. ए. एस. हों तो वह इन्टरव्यू एस. डी. ओ आमेर के यहां कराई जाय या एडिशनल कलेक्टर के यहां कराई जाय वे ऐसे हों कि जो हिन्दी के ऊपर महरबान रहते हों उनमें से किसी को रख दिया जाय। आज के युग में जो आप अंग्रेजी की बात चला रहे हैं तो इसको सेक्रेटेरियेट तक सीमित रखा जाय तो अच्छा है, किन्तु उन गरीबों को बाध्य किया जाता है कि वे अंग्रेजी जानें। जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ध्यान देने का है इसके बारे में सदन में मैं कई बार अर्ज कर चुका हूं। आज फिर दोहराता हूं।

एक आखिर में प्रार्थना माननीय मुख्य मंत्रीजी से करूंगा और राजस्व मंत्रीजी से करूंगा विशेष तौर से इसलिये कि राजस्व मंत्रीजी जयपुर डिविजन के हैं। उनको अपनी जिम्मेवारी महसूस करनी चाहिये। इसलिये मैं यह अर्ज कर रहा हूं दोनों के नाम से। शायद यह प्रस्ताव उन्हीं की तरफ से आया है। इसलिये कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट के जागीरदारों के कर्मचरियों को जिनको सर्विस में लिया है, सिलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन अभी तक एब्जार्ब नहीं किया गया है, वे बेचारे इधर उधर ठोकरें खाते फिरते हैं। जागीर कमिश्नर के यहां दरख्वास्तें देते हैं उस पर लिख दिया जाता है कि "Forwarded to the Dy. Collector, Jagir Jaipur." वे डिप्टी कलेक्टर साहब के यहां जाते हैं तो कहते हैं कि जगह नहीं है। जहां कागज भेजते हैं वहां से जवाब आ जाता है No vacancy.

नये आदमियों के अपोइन्टमेन्ट्स धड़ाधड़ हो रहे हैं। अभी कलेक्टर जयपुर के यहां जहां तक मुझे मालूम है २५ या ३० नये लोग रखे गये हैं, जब कि बेचारे सप्लाई वाले फिरते रहते हैं, कस्टम्स वाले मारे मारे फिरते हैं, जागीर वाले फिरते रहते हैं। अभी जयपुर कलेक्टर के यहां पर २५, ३० एल. डी. सीज. नये भर्ती किये गये हैं विद्इन टू मन्थस। आप चाहें तो इसकी जांच करा ली जाय। लम्बा चौड़ा इम्तिहान होता है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, जागीर के कर्मचारियों को भर्ती करके उनके प्रति सहानुभूती दिखाये। वे डिस्प्लेस्ड परसन्स हैं। जागीरदारों के प्रति चाहे कम सहानुभूती दिखाई जाय, पुरानी दुश्मनी रही हो तो दुश्मनी निकालना चाहें तो सहेंगे, आज का जमाना है सहेंगे। लेकिन उनके जो नौकर हैं, जो बेचारे ऐसे हैं जो डिस्प्लेस्ड पर्संसन्स के तबके में आते हैं, उनकी ओर तो ध्यान दीजिये और मैं आशा करूंगा कि जयपुर डिविजन में जो यह अन्याय हुआ है कि दो वर्ष से सिलेक्ट कर लिये गये हैं लेकिन फिर भी ठोकरें खाते फिर रहे हैं उस ओर मुख्य मंत्रीजी ध्यान देंगे और जो चन्द बातें मैंने कही हैं उनका जवाब राजस्व मंत्रीजी देना चाहें तो वे दे दें। लेकिन प्रार्थना तो करें ही। आज के युग में यू. एन. ओ को इन्गलेंड ने प्रार्थना की है। यू. एन. ओ. जवाब देगा आगे क्या करना है करेगा। उनसे निवेदन तो किया है वैसे इंग्लेन्ड को आशा तो कम है कि स्वेज नहर का फैसला उसके हक में ही होगा। कुछ आशा तो दिखायें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का आदी नहीं हूं कि रोज मुख्य मंत्रीजी के यहां जाकर दरवाजा खट-खटाऊं कि यह करो। मैं तो उनके मुख्य मंत्रीजी बनने के बाद एक दफा हाजिर हुआ (घंटी) विशेष मसले को लेकर, मेरा कोई निजी मसला नहीं था। उन बेचारों (घंटी) की ओर वे ध्यान दें।

[श्री मानसिंह महार]
यह मानसिंह का काम नहीं है, वे वोट भी नहीं दें कोई (घंटी) यह कहे कि वह वोट के लालच में यह कह रहा है।

मैं खत्म ही कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी और राजस्व मंत्रीजी वाजिब न दें लेकिन वाजिब जवाब तो दें। अगर वाजिब जवाब देते हैं तो मैं मेरे-मित्र से कहूंगा कि इस कटौती के प्रस्ताव को वापिस ले लें। लेकिन वाजिब जवाब दें, व्हीप के कोडे की बातें, पुराने ढर्रे की ही बातें हों तो कोई फायदा नहीं उनको भूल कर और न्याय की ओर अग्रसर होकर मुख्य मंत्रीजी या राजस्व मंत्रीजी जवाब देंगे यह मैं उम्मीद करता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—यह एक साधारण सी डिमान्ड, उपाध्यक्ष महोदय, पेश की गई थी। मैं नहीं समझता था कि इस पर कोई लम्बा चौड़ा वाद-विवाद होगा। लेकिन इसको भी राजनैतिक रंग दे दिया गया। बात सीधी सी है कि जागीर पुनर्ग्रहण हुआ और हजारों की तादाद में जागीरें रिज्यूम की गई। लेकिन यह देखा गया कि कई छोटे २ जागीरदार ऐसे हैं कि जिनको मुआवजे के दावे पेश करने में दिक्कत पेश आती है और कई दुश्वारियां हैं तो यह महसूस किया गया कि उनको कानूनी और दूसरी तरह की मदद दी जाय। उनकी ओर से सही दावे पेश हो सकें और अगर खुदकाश्त की जमीन के लिये दरख्वास्तें पेश करने में दिक्कत आती है तो उनको इमदाद दी जा सके और उनका फैसला किया जा सके। दावों का जल्दी फैसला हो कर इन्टरिम मुआवजे की रकम इन को डिविजन के हेडक्वार्टर पर मिल जाय। इसको ध्यान में रख कर योजना बनाई गई कि जो जागीरें पांच हजार से कम की आमदनी की हैं उनके मुआवजे के दावे जिलों में और पांच हजार से दस हजार तक कि जागीरों के लिये डिविजन के हेडक्वाटर पर तय किया जाय। इसके लिये स्टाफ में बढ़ोत्तरी हुई और कुछ खर्चा बढ़ा। यह महसूस किया गया कि इस प्रकार के आदमी सिलेक्ट किये जांय जो जागीर रिजम्प्शन एक्ट को अच्छी तरह से समझते हों, उसके नियमों को अच्छी तरह से समझते हों और इस बात को समझते हों कि जागीरदारों को मुआवजे के फार्म कैसे भरने चाहियें और किस प्रकार से कानून के अनुसार भरने चाहिये और उनको किस प्रकार से मुआवजा मिलना चाहिये। इसी दृष्टिकोण से इस बात में विश्वास करते हों कि जागीर पुनर्ग्रहण की गई और जो जागीरदारों को सहूलियतें दी गई हैं वे वाजिब हैं .....

श्री मानसिंह महार—ओन ए पोइन्ट ओफ इन्फोरमेशन, सर, रघुनाथसिंहजी को किया गया, जिन्होंने राजपूत सभा में यह प्रस्ताव पेश किया था कि यह पर्सनल प्रोपर्टी है। This is a point of information for the minister himself.

श्री दामोदरलाल व्यास—पुरानी बात होगी। वे महसूस करते हैं कि जागीरें रिज्यूम होनी चाहिये, इससे जागीरदारों को फायदा उठाना चाहिये और जिन लोगों का सिलेक्शन किया गया उसमें कोई पोलिटिकल मोटिव नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—क्या १४ आदमियों में से कोई गैर कांग्रेसी भी है?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि पार्टी एफिलियेशन का इसमें कोई विचार ही नहीं किया गया है । चाहे कांग्रेसी हो, चाहे गैर कांग्रेसी हो, चाहे जनसंघी हो या रामराज्य परिषद का हो······

श्री भैरूंसिंह—कांग्रेस के अलावा और किसी सदस्य को इसमें बता सकते हैं ?

श्री मानसिंह महार—क्या एक भी इसमें से कोई गैर कांग्रेसी है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास—I am in the possession of the House and I should not be disturbed. I was silent when they were speaking. तो मैंने निवेदन किया कि इस पर कोई विचार नहीं किया गया कि कौन किस पार्टी का है । केवल यही बात ध्यान में रखी गई है कि जो व्यक्ति नियुक्त किया जाय वह जागीर रिजम्प्शन के प्रिन्सिपल्स पर विश्वास करता हो और जो सहूलियतें जागीरदारों को दी गई हैं उनमें विश्वास करता हो और यह इसलिये कि जागीरदार फायदा उठायें और जो नियम बनाये गये हैं वे उनको समझायें और जागीरदार उनसे फायदा उठायें । सरकार के सामने केवल लक्ष्य यही था कि जागीरदार इस कानून को नहीं समझते, उनको अपने दावे पेश करने में तकलीफें हो रही हैं इसलिये ये व्यक्ति उनको कानूनी मश्वरा दें, अदालतों तक उनके दावे पेश करायें और जो इमदाद कानूनी तौर पर मिलनी चाहिये वे लोग उनके सलाहकार की हैसियत से तय करायें । इसी दृष्टिकोण से यह किया गया है । यह कहना कि किसी प्रचार की दृष्टि से, अथवा इसको एक प्रकार का पोलिटिकल रंग देना यह वाजिब नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, और यह न्याय नहीं इस तरह से कहना उन लोगों के प्रति जिनको सिलेक्ट किया गया है । उनका राजनीति से अथवा किसी पार्टी पोलिटिक्स से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

दूसरी दूसरी बातें भी कही गई हैं । माननीय सदस्यों ने जागीर रिजम्प्शन के बारे में टीका टिप्पणी की । जैसा मैंने अर्ज किया लियाजो ओफिसर्स को जिस विचार से रखा गया । यह मैं जरूर महसूस करता हूं कि दांतारामगढ़ से आये माननीय सदस्य ने हकीकत को समझें ऐसे बहुत लोग हैं जो जागीरदारों को गुमराह करते हैं, वे कहते हैं कि दावे मत करो, खुदकाश्त की जमीनें मत लो, मुआवजा मत लो, इस प्रकार का प्रचार हो रहा है और फार्म छप कर आज भी निकल रहे हैं वे गुमराह करते हैं, कहते हैं कि जागीरें पुनर्ग्रहण नहीं हुई हैं, मुआवजा नहीं लें, इस तरह गुमराह करने वाले व्यक्तियों को शायद उन लियाजो ओफिसर्स की जगह तकरूरी की जाती हो तो सदस्य के खयाल से ठीक होती जो उनकी इच्छा के मुआफिक होती । मैं यह अर्ज करूंगा कि कि आज जो स्थिति जागीर पुनर्ग्रहण से हुई है और जागीरदारों को इसकी नावाकफियत से कठिनाई होती है, मुआवजा लेने में, खुदकाश्त के लिये दरख्वास्तें करने में, उन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिये हम सब को एक होकर मदद करना है । इसमें कोई पोलिटिकल रंग नहीं है ।

श्री मानसिंह महार—On a point of information, Sir, हम सब से क्या मतलब है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (जारी)—आप और हम सब ।

श्री मानसिंह महार—Thank you very much.

Page No 56

श्री दामोदर लाल व्यास—उनकी यह मदद करनी चाहिये, कि उनकी जो दिक्कतें हैं उनको दूर करें। न कि हम आज अपनी किसी अमुक राजनैतिक पार्टी को लेकर या उस पर कोई मोटिव इम्प्यूट करें या जो काम सफलता के साथ चलता है उसमें रोडे अटकावें।

दूसरी बात बहुत से माननीय सदस्यों ने जागीर एम्पलोइज या जागीर एडवाइजर्स के लिये कही है। मैंने पहले पिछले अधिवेशन में ही साफ कर दिया था कि जागीर एडवाइजर्स इसलिये मुकर्रर नहीं किये हैं कि काम में देर लगाई जाय, बल्कि इसलिये मुकर्रर किये हैं कि जागीर कमिश्नर को ट्रिब्यूनल में जज की हैसियत से बैठना पडता है इसलिये वे जज की हैसियत में बैठकर सरकार की पैरवी नहीं कर सकते। जो क्लेम पेश किये जाते हैं उनमें से कुछ एग्जेजरेशन हो सकता है, कुछ गलत दावे पेश हो सकते हैं, कुछ में क्लेम नहीं मिलना चाहिये और मिलने के लिये दावे पेश कर देते हैं। इन सब को अच्छी तरह से एग्जामिन करने की आवश्यकता है कि कहीं दावे गलत तो नहीं हैं, या ज्यादा रकम तो नहीं क्लेम की गई है, या ऐसा तो नहीं है कि वे लोग मुआवजा लेने के हकदार ही नहीं हों। इन सबकी जांच करने के लिये एडवाइजर्स को मुकर्रर किया गया है। यह कहना कि अनुभवी नहीं है, गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनको कम से कम १० साल की वकालत का एक्सपीरियेन्स है। रेवेन्यू के मामलों में उन्होंने काफी काम किया है और उनको इस काम का तजुर्बा है। उन्होंने क्लेम्स को स्क्रूटेनाइज करने में जितना काम किया है उनमें कोई शंका नहीं होनी चाहिये। उनकी तहकीक राय बहुत उपयोगी साबित हुई है। जागीर के क्लेम्स तय करने में देरी लगाने के कारण से उनकी नियुक्ति नहीं की गई है। जो दावे पेश होते हैं उनकी जांच करना आवश्यक होता है। उनकी अच्छी तरह से जांच करने के बाद जागीर कमिश्नर या रेवेन्यू बोर्ड के सामने पेश करते हैं। पेश करने से पहले स्क्रूटिनी करना आवश्यक होता है। बहुत से क्लेम्स में गलतियें होती हैं, बहुत से क्लेम्स ज्यादा के होते हैं, कुछ ऐसे क्लेम्स भी शामिल होते हैं जिनमें उनको जो कुछ मिलना नहीं चाहिये। इसलिये उनकी नियुक्ति की गई है वह बहुत उपयोगी है और ठीक ढंग से की गई है।

इसी तरह से सरकारी नौकरियों में जागीर कर्मचारियों को लेने का सवाल है। दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अनेक बार इस प्रकार की मिसाल सामने रखी है और वक्तन फवक्तन उनका जवाब दिया गया है। जहां तक जागीर एम्प्लोइज का सवाल है गवर्नमेन्ट की पोलीसी लीनियेन्सी की रही है और बार-बार मयाद बढाई गई है और एब्जोर्ब करने की पूरी कोशिश की जाती है। यहां पर दो चार मिसालें बताई गई हैं कि पोस्टिंग का ओर्डर हो गया लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिली। इस बारे में यदि वे डिटेल्स बतायेंगे तो जांच करने की कोशिश की जायगी। जो ठीक बात होगी उसको करने में हमें ऐतराज नहीं है। जागीरदारों के लिये हर प्रकार की सहूलियत देने की सरकार कोशिश करे उसको दूसरा रंग देकर पब्लिक में या विधान सभा में बताना उचित बात नहीं है। और सदन के माननीय सदस्य यह जानते हुए भी कि इसमें कोई दूसरी बात नहीं है सिवाय इसके कि जो डिमान्ड पेश की है या लीजन ओफिसर मुकर्रर किये हैं। उनका मतलब यह है कि जागीरदारों को सहूलियत मिले और उनको काम में इमदाद मिले, दावे पेश करने में, खुदकाश्त की जमीन हांसिल करने में, उनको सहूलियत मिले। इसके सिवाय और कोई बात नहीं है। वस्तुस्थिति पर विचार करके सदन को डिमान्ड पास करनी

[श्री दामोदरलाल व्यास]

चाहिये । मैं जमुआ रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से कहूंगा और मुझे कुछ कुछ आशा है कि वे जरूर अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस ले लेंगे ।

श्री भैरूंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान में जागीर कलेक्टरों को कानूनी सलाह देने के लिये कानूनी सलाहकार नियुक्त हुए हैं वे जागीर के बारे में सलाह देने के लिये नियुक्त हुए हैं। सम्पर्क अधिकारी व डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जागीर सलाहकार समितियां बनी हैं। उनका सम्पर्क राजस्व मंत्रीजी के कहने के अनुसार एक बात का प्रतीक है और वह इस बात का कि वे जागीर रिज़म्पशन के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं। उनका केवल एक दृष्टिकोण है। जागीर रिज़म्पशन एक्ट को चाहे पढ़ा हो या नहीं, उसका क्या क्या अमल है इसको जानते हों या नहीं····

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने यह भी कहा है कि जागीर रिज़म्पशन एक्ट और रूल्स हैं उनकी उनको वाकियत है ।

श्री भैरूंसिंह (जारी) —वह तो शायद इम्तिहान लिया और पास होने के बाद नियुक्ति हुई है ? अब देखना यह है कि वास्तव में राजस्व मंत्रीजी ने कहा वह ठीक है क्या ? मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं, वह यह है कि जागीर कमिश्नर को सलाह देने वाले कानूनी सलाहकार की नियुक्ति की गई है। उनका नाम मैं बता देना चाहता हूं। वे हैं श्री जीवनसिंह चोरड़िया। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो जागीर रिज़म्पशन में विश्वास नहीं रखते हैं। उदयपुर के जागीरदारों ने जागीर रिज़म्पशन के खिलाफ जो अपील की थी उसमें सुप्रिम कोर्ट तक उन्होंने जागीरदारों की वकालत की थी·········

श्री दामोदरलाल व्यास—यदि कोई वकील किसी पक्ष की तरफ से पैरवी करता है तो डज़ इट मीन देट, उसको विश्वास नहीं है। यह नई बात जीवनसिंह चोरड़िया के बारे में कही गई है। मैंने जो जवाब दिया उसके बारे में आप कुछ कहिये। नई बात कहने से मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री भैरूंसिंह—जवाब आपने टालमटोल दिया था इसलिये उसको स्पष्ट करना उचित है। आपने यह कहा था कि जागीर एडवाइज़र्स········

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने लाइज़न ओफिसर्स के बारे में कहा था I never said that about Jagir advisers. They are lawyers and they have got their own views, apart from the case work that they do.

श्री भैरूंसिंह (जारी)—अब जो दूसरी बात कही गई कि राजनैतिक दृष्टिकोण से उनकी नियुक्ति नहीं हुई। इस बारे में मुझे यह कहना है कि जो सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किये गये हैं उनमें से एक का भी नाम लेकर कहें कि वे कांग्रेस के चौअन्नी मेम्बर नहीं हैं तो मैं मान लूं कि राजनैतिक दृष्टिकोण से नियुक्ति नहीं हुई है···········

श्री हरिकृष्ण व्यास—कम से कम एक तो ऐसे हैं जो फर्जी सदस्य एनरोल करने के कारण अभी निकाले गये।

श्री भैरूं सिंह (जारी)—खैर फर्जी सदस्य बनकर भी सम्पर्क अधिकारी बन गये। बाद में उनको कांग्रेस निकाल दे तो यह भी डिस्क्वालिफिकेशन है। फर्जी सदस्य बनाने के कारण कांग्रेस से निकाला जाता है तो वह और भी बदतर है। यदि ऐसे लोग सम्पर्क अधिकारी बन कर काम करेंगे तो न मालूम आगे जाकर क्या क्या घोटाला होगा। हमें यह सोचना था कि यदि यह मानकर चलें कि जन सम्पर्क अधिकारियों को नियुक्त करना है तो कम से कम वे इस प्रिन्सिपल को तो मानें कि जागीर रिजेम्पशन होना है और जागीरदारों को जो सहूलियतें देने का कानून है उसका ठीक ढंग से इम्प्लीमेन्टेशन हो, उसकी जानकारी तो उनको होनी चाहिये। अब यह कहना कि सबको जानकारी है कहां तक ठीक है, क्योंकि न तो आर. ए. एस. की तरह से एग्जामिनेशन हुए और न इस बात के एग्जामिनेशन हुए कि जागीर रिजेम्पशन एक्ट और रूल्स की जानकारी किस हद तक है। एक आदमी किसी की दृष्टि में ईश्वर के समान हो सकता है और वही आदमी दूसरे की दृष्टि से बेकार हो सकता है। लेकिन यह सरकार का मामला है। नियुक्तियों के लिये इसका माप दंड अलग ढंग का होता है। ऐसे आदमी लाइज़न ओफिसर लिये गये हैं जिनके लिये कोई क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं की गई। जागीर कमिश्नर ने खुद ने मेरे सामने कहा है कि लाइज़न ओफिसर वही हो सकता है जो इलेक्शन लड़ने वाला नहीं है, किसी राजनैतिक पार्टी का सदस्य नहीं है। यदि कोई इलेक्शन लड़ेगा और उसके लिये प्रचार करेगा वह कभी लाइज़न ओफिसर नहीं हो सकता। इसके बावजूद भी ऐसे आदमियों को लिया गया है जो राजनैतिक दलों में प्रत्यक्षरूप से काम करेंगे। राजनैतिक दलों में काम करने में दिलचस्पी लेते हैं या नहीं इसका सवाल नहीं है। जैसे जयपुर के बारे में उदाहरण दिया था कि उन जागीरी सलाहकारों से पूछें कि जागीरों में जाकर पांव दिया या नहीं? दफ्तर किशनगढ़, डूंगरपुर, कोटा या जोधपुर में खोला है उसी जगह दफ्तर में हाकिमों की तरह बैठ कर दावे लेते हैं, खुदकाश्त के लिये दरख्वास्तें लेते हैं। ऐसे संपर्क अधिकारियों का क्या उपयोग है?

सम्पर्क अधिकारी को चाहिये कि गावों में जायें, जागीरदारों को समझायें कि किस तरह से खुदकाश्त के फार्म भरे जाते हैं, जिस तरह से मुआवजे के फार्म भरे जाते हैं, पर वह ऐसा नहीं करता, उनको समझाने के लिये नहीं जाता। एक तीसरा महकमा खोल दिया गया है, तारीखें पड़ें और उसके सामने दरख्वास्तें पेश करें, इस तरह के सम्पर्क अधिकारी से कोई लाभ नहीं होने वाला है। इस तरह सम्पर्क अधिकारी भी हो गये, वकील भी हो गये, इनसे कोई लाभ नहीं होने वाला है।

सीकर में एक जागीर सलाहकार समिति बनी है। उसमें २३००० जागीरदारों को छोड़कर एक जैन बन्धु को वकील बनाया है, वे देंगे सलाह कि जागीरें इस तरह खत्म होंगी, इस तरह मुआवजा दिया जायगा, उनका नाम है श्री चन्दजी जैन।

श्री दामोदरलाल व्यास—जागीरदारों की तरफ से वे वकील मुकर्रर हुए होंगे।

श्री भैरूं सिंह—सीकर में २३ हजार जागीरदारों में से मुश्किल से तीन ही ऐसे होंगे जो कि कांग्रेस के मेम्बर हों जैसे कुए के अन्दर जाल डाल कर तलाश करते हैं उस तरह सारे सीकर जिले में

[श्री भैरूंसिंह]

जाल डाला गया और आखिर वह जैन बन्धु पकड़े गये और जागीरदार सलाहकार समिति के सदस्य बना दिये गये।

सरकार और जागीरदारों के बीच में सम्पर्क स्थापित करके काम निकाल सकते हैं इस प्रकार का सरकार का दृष्टिकोण नहीं है, चाहे सदन में कुछ भी कहा जाय। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरह की नियुक्तियां हुई हैं उन तमाम लाइज़न अफसरों को राजस्व मंत्री फोरन बदल दें, नहीं तो इस खर्चे की पूरी जिम्मेदारी राजस्व मंत्री पर होगी।

एक स्टेटमेन्ट जिलेवार बना लें कि इतनी जागीरें खत्म हुई और इतनों को मुआवजा मिला, पर सम्पर्क अधिकारी इस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। जालोर जिले में काम हो रहा है, वे आयन्दा चुनाव में कांग्रेस के केन्डीडेट को वोट देने का प्रचार करते हैं, आप कहें तो नाम बताऊं। प्रत्यक्ष रूप से जागीरदारों को कहा जाता है·····

श्री दामोदरलाल व्यास—कोई नया पाइन्ट नहीं बोल रहे हैं।

श्री भैरूंसिंह—उनके लिये वहां के जागीरदारों की शिकायत है कि वे उनको कहते हैं कि खुदकाश्त के फार्म भरने हैं तो, और मुआवजा लेना है तो, कांग्रेस के चवन्नी मेम्बर का फार्म भरो और जालोर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष को जिताने की हां करो···

(ओपोजिशन की ओर से "शेम, शेम" की ध्वनि)

इस प्रकार की शिकायतें जालोर कलेक्टर के पास हुई हैं फिर भी सम्पर्क अधिकारी उसी तरह अपना काम कर रहे हैं।

श्री एच०के० व्यास—ऐसे जालोर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हैं?

श्री भैरूंसिंह—सब जानते हैं नाम बताने की आवश्यकता नहीं, सदन के भी सदस्य हैं, पहले रेशमीन कपड़े पहनते थे; अब खादी के कपड़े पहनते हैं। पहले इधर बैठते थे अब उधर बैठते हैं···

श्री एच०के० व्यास—उन सदस्य का नाम तो आउट होना चाहिये साहब।

श्री भैरूंसिंह—सब जानते हैं, नाम बताने की आवश्यकता नहीं।

मैं अर्ज कर रहा था कि इतनी शिकायतें आने के बाद भी यदि उस सम्पर्क अधिकारी को उस पद पर रखा जाता है तो क्या किया जाय?

श्री दामोदरलाल व्यास—शिकायतें गलत भी होती हैं।

श्री भैरूंसिंह—जांच ही नहीं होती है। ऐसी शिकायत की तो कैसे कहा जा सकता है कि शिकायत गलत है। तो इससे साफ पता चलता है कि इस तरह ऐसे जागीर सलाहकार, सम्पर्क अधिकारी, वकील वगैरह मुकर्रर किये गये हैं, इसमें सरकार की चाल है।

[श्री भैरूंसिंह]

बस यही कह कर मैं अपना कटौती प्रस्ताव सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो मांग श्री दामोदरलाल व्यास ने अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४२, लेखे का शीर्षक ७–भू-राजस्व के सम्बन्ध में संचनित निधि में से ३१ अक्तूबर, १९५६ को समाप्त होने वाली अवधि में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रु० ३०.०० तक की राशि प्रदान की जावे स्वीकार करने के निमित्त जो प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

श्री रामकिशोर व्यास

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५०–सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५०, लेखे का शीर्षक ६३ (ख)-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं तथा स्थानीय विकास कार्य के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ अक्तूबर, १९५६ को समाप्त होने वाली अवधि में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १,००० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved, Shri H.K. Vyas.

श्री एच० के० व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, जो मांग अभी प्रस्तुत की गई है उस सिलसिले में, वह प्रस्ताव है कि इस मांग में १०० रुपयों की कटौती करदी जावे और इसका कारण यह है कि राजस्थान में कोम्युनिटि प्रोजेक्ट व राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड के कार्य चल रहे हैं वे काफी मात्रा में असंतोषजनक चल रहे हैं, उनके कामों में अनियमिततायें भी काफी वरती जा रही हैं और इस सिलसिले में सुधार के लिये भी अभी तक कोई प्रयत्न किया जा रहा हो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता।

भारत सरकार ने कुछ वर्ष पहले जो कोम्युनिटि प्रोजेक्ट और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड स्कीम निकाली उसका उद्देश्य यह था कि देहातों में अपनी जिंदगी को सुधारने के सिलसिले में एक नया वातावरण पैदा किया जाय, लोगों में जोश निर्माण किया जाय और यह सब कार्य करने के लिये शुरूआत में जो कुछ कदम उठाना चाहिये वह कदम उठाने का पूरा का पूरा इन्तजाम किया गया।

इसके लिये तीन वर्ष या चार वर्ष की अवधि में उन खण्डों के विकास की एक स्कीम बनाई गई और वह भी स्कीम इस ढंग की थी कि जिसमें शिक्षा से लगा कर एनीमल हस्बेन्डरी, सड़कें

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बनाना, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक कार्य, इन सब का उल्लेख उस योजना में रहा। साथ ही साथ खेती में सुधार करने के सिलसिले में, बीज देने, कर्ज देने, कुए खुदाने आदि इन सब चीजों का भी उसके अन्दर समावेश रहा। राजस्थान की जहां तक स्थिति है उसका मैं विशेषतौर पर उल्लेख करूं उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह योजना ही राजस्थान की सीमाओं के अनुरूप बहुत कमजोर पड़ती है, हमारे देहातों में जितनी बड़ी समस्या है उसको देखते हुए यह पूरी की पूरी योजना लागू हो जाय तो भी कुछ अंश मात्र में उन समस्याओं का हल करने में सफल हो सकती है। योजना का काम है वह और ही है। राजस्थान में जहां तक इसका कार्य किया गया है वह योजना का काम है, उसके अलावा यहां लागू करने में तो इसको आधा कमजोर बना दिया गया है। सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं इसकी ओर कि सारे भारत में ये कोम्युनिटि प्रोजेक्ट और नेशनल सर्विस ब्लॉक्स हैं उन पर अफसरों का, उनके दफ्तरों का, जीप की गाड़ियों का, इनके खर्चे का मद है उसका एक प्रोपोर्शन कर दिया गया है कि आज इन योजनाओं में कुल खर्चा होना चाहिये वह नहीं हो कर इन कामों पर १०० रुपयों में से २५ रुपयों से ज्यादा नहीं होता।

१००) रु० में से २० या २५ रुपयों से ज्यादा एस्टेब्लिशमेन्ट का खर्चा नहीं होना चाहिये। वास्तव में स्थिति यह है कि यह तो अभी राजस्थान के इस विभाग के इन्चार्ज मिनिस्टर महरबानी करके बतावेंगे। मेरी सूचना के अनुसार जो स्थिति है वह मैं आपको बता देता हूं कि सारे भारतवर्ष में एस्टेब्लिशमेंट का जितना खर्चा है उससे दुगने से ज्यादा खर्च हमारे यहां राजस्थान के कोम्युनिटि प्रोजेक्ट और नेशनल एक्सटेशन्स ब्लॉक्स पर है। ये समझ लें कि तीन-चौथाई खर्च एस्टेब्लिशमेंट पर होता है और १।४ में दूसरा सब खर्च आ जाता है जैसे पब्लिसीटी, मोटरों का खर्च, कार्य के लिये खर्च वगैरह। अब यदि सरकार यह कहना चाहे कि हमारे डेवलपमेन्ट अधिकारी एक नये किस्म का दफ्तर कायम कर लेते हैं। नये फार्म छप जाते हैं। एक जीप उनको मिल जाती है जिसमें बैठ कर वे फुर २ करके दौरा करते हैं और चूंकि वे दौरा करते रहते हैं इस वजह से देहातों में सुधार हो रहा है, उनका ये दावा बेफजूल का दावा होगा। हमको यह देखना है कि वास्तव में कार्य कितना हुआ। मेरी बहुत बड़ी शिकायत यह है कि जो कुछ पैसा खर्च हुआ है उसमें बहुत बड़ी रकम अफसरों की तनख्वाह में, उनके मोटरों में पैट्रोल में, भत्तों में, दफ्तर के इन्तजाम में और लिखापढ़ी के मामलों में हुआ है। देहातों की भलाई के लिये और किसानों की भलाई के लिये बहुत कम खर्च हुआ है। एक बात तो यह है।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं संकेत करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष, वह यह है कि ज्यादातर इन योजनाओं में अव्वल नम्बर नौकरशाही तरीकों से कार्य किया जा रहा है। आप विकास कार्य करने चले हैं। विकास करते कौन हैं ? विकास कार्य वही पुराने नौकरशाही के मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट एस. डी. ओ. आदि। वे गांव में जाते हैं और बड़े आला ओफिसर के रूप में जाते हैं और वहां पर हकूमत के रूप में कार्य करते हैं। उनका विकास कार्य का दृष्टिकोण भी यही होता है कि जब कभी मंत्री महोदय का दौरा होगा उस समय यह कहेंगे कि इतना काम किया गया है और उनको यही दिखाना है कि इतना काम किया गया है। इसके लिये होना तो यह चाहिये कि लोगों में जोश पैदा किया जाए मगर वहां पर बजाय लोगों में जोश के हकूमत से काम लिया जाता है। मैं आपको बताऊं कि पिछले वर्ष सारे भारतवर्ष में यह चर्चा हुई और पब्लिसिटी की गई की राजस्थान में श्रमदान का

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बहुत काम हुआ है और उसके बाद पंडित जवाहरलालजी की सालग्रह के उपलक्ष में स्कूलों के भवन डोनेट किये गये। लेकिन बाद में जब जांच करने से पता लगा कि वास्तव में हुआ क्या। हुआ यह कि कहीं २ तो पहले से स्कूल थे उनका नाम बदल दिया गया और कहीं २ बड़े बड़े बिल्डिंग के बाहर की बैठक में बरन्डाज जो थे उनको इस कार्य के लिये डोनेट कर दिये गये। इसके अलावा यह भी तो पता चला कि बीसियों स्कूलों को जो पहले थी उनको नये रूप में नाम परिवर्तन कर दिये गये। यह क्यों होता है? वह इसी लिये होता है कि आज विकास अधिकारी वे ही लोग हैं जो पुराने नौकरशाही के पुजारी हैं और वे उसी पुरानी नौकरशाही तरीकों से कार्य करते हैं। वास्तव में देखना यह है कि इस कार्य में लोगों ने कितनी दिलचस्पी ली। मगर इस बात को वे नहीं देखते। चूंकि आदेश हैं इसलिये काम हो रहा है।

अभी २ एक चीज हुई उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप एडल्ट एज्यूकेशन को ले लीजिये। भारत सरकार की एक स्कीम है कि एडल्ट एज्यूकेशन में तीन चार महीनों की शिक्षा होती है उसके बाद भारत सरकार छोटी २ पुस्तिकाएं प्रकाशित करती है कि जिन लोगों ने एडल्ट एज्यूकेशन हासिल की है उन लोगों की शिक्षा बाद में भी कायम रह सके और वे जो कुछ ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है उसको भूलें नहीं। इस प्रकार की पुस्तिकाएं भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को हजारों की तादात में भेजी गई। लेकिन उन पुस्तकों का क्या हुआ यह पता नहीं, अभी पिछले महीने भारत सरकार द्वारा मुकर्रर की गई इस संबंध में रिसर्च टीम का राजस्थान में दौरा हुआ। उन्होंने एडल्ट एज्यूकेशन जिन २ लोगों को मिली थी उनसे पूछा कि उनको भारत सरकार द्वारा पुस्तकें भेजी गई थी क्या वह प्राप्त हुईं, तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई पुस्तकें नहीं मिली। अगर इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय को जानकारी नहीं हो तो वे जानकारी हासिल कर लें। भारत सरकार द्वारा आई हुई रिसर्च टीम ने यह नतीजा निकाला कि जो पुस्तकें भारत सरकार ने राजस्थान सरकार के पास एडल्ट एज्यूकेशन प्राप्त किये हुए व्यक्तियों को देने के लिये भेजी थी वे किसी के पास नहीं पहुंची। उनका क्या हुआ या तो उनको रद्दी में बेच दिया गया या उनको बेच कर पैसा खा गये या वे किताबें दफ्तर में ही पड़ी २ सड़ रही हैं। क्या हुआ इस बात का पता नहीं। मैंने यह आपको एक नौकरशाही तरीकों से काम करने के तरीके को बताया है। जब उन लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चार महीने पढ़े थे। अब साल भर बाद पूछने पर कहा कि दो-चार अक्षर जो पहले सीखे थे वे भी भूल-भाल गये। मैं आपको बताऊं कि आजकल आपके विकास विभाग का कार्य है वह सिविल सप्लाई नम्बर २ के रूप धारण करने जा रहा है। मैं चूंकि इस सिलसिले में निश्चित रूप से जिक्र करना चाहता हूं लेकिन जब तक कोई स्पेशल चीज का जिक्र नहीं करूं तब तक मंत्री महोदय यह कहेंगे कि पर्टिक्यूलर चीज बताएं। मैं इसके लिये यहां पर एक दो ब्लोक्स का उल्लेख करूंगा। वह इसलिये कि आज उनकी स्थिति क्या है।

मैं सबसे पहले सुमेरपुर ब्लॉक का नाम ही लूंगा जिसकी शोहरत बहुत है। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार की तरफ से कागजों में उसके लिये काफी प्रचार हो चुका है और काफी ऊंचा स्थान है, मगर मैं आपसे यह कहूंगा कि आप वाली, देसूरी इलाकों की हालत देखिये। आपको मालूम होगा कि क्या हो रहा है, हर जगह मार्च के महीने में लोग कभी रेडियो, कभी एक्सरे की मशीन लेकर दौड़ते

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हैं और काम यह होता है कि साल के अंत में सारा का सारा खर्चा निकालें। राजसमन्द का ब्लॉक कुछ समय पहले का है। वहां पर तो मैं यह कहूंगा कि एक्स-रे की मशीन खरीदी गई है। आर्डर दे दिया गया। मेरी समझ में नहीं आता कि जब यह मालूम था कि एक्स-रे की मशीन के लिये आदमी की नियुक्ति की गुंजाईश नहीं है तो फिर उस मशीन की क्या जरूरत थी ?

तो ऐसी स्थिति यहां सामान खरीदने के बारे में होती है और मैं जैसा कि उल्लेख कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर के बारे में उस ब्लॉक की स्थिति यह है कि जो फर्टीलाईज एमोनियम सल्फेट, एमोनियम नाइट्रेट के बोरे के बोरे आये वितरण के लिये, लेकिन उन बोरों का हिसाब नहीं। अभी जब वहां ऑडिट पार्टी गई उस ऑडिट पार्टी ने जांच की तो मालूम हुआ कि उन बोरों के खाद का कोई हिसाब नहीं। बीज वितरण के लिये गया उसका क्या हुआ, पता नहीं ? उसके लिये एप्लीकेशन फार्म्स लिये जाते हैं, उसके लिये आठ आना लिया जाता है एक फोर्म का, इस तरह से हजारों की तादाद में फोर्म्स जाते हैं उसके पैसे आये जिनका कोई हिसाब नहीं। यह तो उस ब्लॉक की स्थिति है जिसकी बहुत शोहरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक ओर तो इसमें जितना रुपया खर्च होता है उसकी एक चौथाई रकम एस्टेब्लिशमेन्ट के खर्चे में चली जाती है। १।४ सहायता कार्य में खर्च हो जाता है उसकी भी यह हालत है कि उसका ठीक ढंग से हिसाब किताब नहीं। यह वस्तुस्थिति है। हर ब्लॉक के अन्दर गांव के चन्द लोग जो आदतन नौकरशाही के अंग बने हुए थे, आज उन्हीं के हाथों ब्लोक डेवलपमेंट के एलची बन जाते है और उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम का होना यही उद्देश्य ब्लॉक्स का है जहां आम लोगों के पहुंचने की स्थिति नहीं। उनका केवल काम यह रहता है कि कभी मंत्री जी यहां से चले गये तो उनके स्वागत के लिये बीस-पच्चीस लोगों को जमा कर लिया जाता है और नाटक किया जाता है। जिस श्रमदान का बार बार उल्लेख किया जाता है उसमें अगर किसी ने नकद रुपया दिया है तो वह भी उसमें एड हो जाता है, बिल्डिंग दी जाती है; वह भी एड हो जाती है। श्रमदान का जो पखवाड़ा चालू होता है उसमें मान लीजिये एक जगह तालाब खुदने का कार्य होता है, उसमें यह होता है कि आधा रुपया सरकार दे और आधा गांव वाले दें। वे गांव वाले आधा रुपया अपने श्रमदान द्वारा देते हैं, यह जो स्थिति है इसमें राजस्थान सरकार द्वारा यह रुख अपनाया जा रहा है, अपना तो टारगेट पूरा करदो, २४ लाख रुपये का बजट है उसको पूरा करदो, पहले पूरा नहीं होता था अब पूरा करदो। एक इलाके में कोई नई चीज शुरू करते हैं उसमें क्या होता है; कहीं एक मील या डेढ़ मील की सड़क का टुकड़ा शुरू करते हैं श्रमदान द्वारा और वह पूरा हो जाता है। लेकिन उस टुकड़े की मेन्टीनेन्स बराबर हो इसका क्या इन्तजाम है ? अगर उसके मेन्टीनेन्स के लिये पी० डब्ल्यू० डी० विभाग को यदि न कहा जाय तो उस टुकड़े के बनाने से क्या फायदा, एक बरसात आयी नहीं कि वह ढेर हो जाएगा। इसके मेन्टीनेन्स के बारे में कोई प्रोवीजन नहीं।

नस्ल सुधार के कार्य के बारे में वेटरनरी डिपार्टमेन्ट में बाकायदा इन्तजाम नहीं तो फिर ब्लॉक्स के जरिये क्या नस्ल सुधार का कार्य सरकार करना चाहती है ? केवल आप यह चाहतें हैं कि बाहर से कोई आये उसको सिर्फ पुते पुताये मकान दीख जायंजिसके अन्दर कूड़ा करकट भरा हुआ है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

आप केवल बाहरी सजावट ही करना चाहते हैं या लोगों की जिन्दगी को सुधारना चाहते हैं। आज हमें आंकड़े देखकर पता चलता है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट या एन० ई० एस० ब्लाक में जो काम होता है, जितना पैसा इसमें खर्च किया जा रहा है उसके अनुपात में लोगों को फायदा बहुत कम हो रहा है। एक तो यह सुझाव है कि राजस्थान में इसके एडमिनिस्ट्रेशन में पैसा कम खर्च होना चाहिये, भारत सरकार के मुकाबले कम होना चाहिये क्योंकि यह गरीब प्रान्त है आम लोगों की सुविधा के लिये ज्यादा काम होना चाहिये। ताकि आज जैसी हालत है वैसी नहीं रहनी चाहिये। इसी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है। मैं आशा करता हूं वह प्रस्ताव मन्जूर किया जायगा।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ५०, विषय खा-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवायें तथा स्थानीय विकास कार्य में १ रु० की कटौती कर दी जाय (दांता रामगढ़ में विकास खंडों के नहीं खोलने के कारणों पर बहस करने के लिये)।

उपाध्यक्ष महोदय, विकास खंड खोलने के संबंध में इस सदन में कई बार प्रश्न पूछे गये हैं। कई दफा राजस्थान जन लेखा समिति के सामने भी यह प्रश्न उपस्थित हुआ था। सरकार की ओर से इस विषय में जो उत्तर मिले उन उत्तरों में चार बातें विशेष रूप से बतायी गई। पहली बात तो यह है विस्तार सेवा खंड खोलने के लिये उस क्षेत्र में सिंचाई के साधन दूसरे क्षेत्र के मुकाबले अधिक होने चाहिये।

दूसरी बात, वह क्षेत्र जिले में एक तहसील के रूप में होना चाहिये।

तीसरी जिस जगह इस प्रकार के विकास खंड खोले जा रहे हैं उसके पास का क्षेत्र होना चाहिये।

चौथी, जिसमें आवागमन के साधन ज्यादा उपलब्ध हों।

इस सदन में एक बार नहीं, अनेक बार सदन के माननीय सदस्यों ने जितने भी नये विकास खंड खोले उस समय इस बात का एतराज किया कि सरकार ने जो मापदंड बना रखा है उस हिसाब से विकास खंड नहीं खोले हैं। विकास खंड खोलने का एक दृष्टिकोण रखा जाता है कि अमुक क्षेत्र में सरकार एक राजनैतिक दल के लिये उस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये उसमें किसी प्रकार का खर्चा करना है। सीकर जिला, अगर कहूं राजस्थान के और जिलों की अपेक्षा अभागा रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उदयपुर डिवीजन में कोई ऐसा जिला नहीं जहां विकास खंड न खुला हो। कोटा, सवाई माधोपुर में ऐसा जिला नहीं जहां विकास खंड खोलने के संबंध में कार्यवाही नहीं हुई हो। अभागा केवल सीकर निकला जिसमें किसी प्रकार का विकास खंड नहीं खोला गया। वह इसलिये कि सीकर की तरफ से सरकार ऐसा समझती है कि कांग्रेस के जितने भी प्रतिनिधि आये हैं उनमें कोई महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेन्ट पर्सनेलिटी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, विकास समिति ने भी दांतारामगढ में विकास खंड खोलने की सिफारिश की थी और उन्होंने प्रस्ताव भी पास किया और सरकार के पास भेजा और यहां भी समय पर विकास

[श्री भैरूंसिंह]

खंड खोलने का भी सरकार ने आश्वासन दिया था । विकास खंड खोलने का जो मापदंड बताया गया है उसके अनुसार तहसील दांता रामगढ में विकास खड खोलना चाहिये । जिस समय डेवलपमेन्ट कमेटी ने प्रस्ताव पास किया, दांता रामगढ में विकास खंड खोला जाय और सरकार निर्णय लेती है नीम के थाने के लिये । जिस समय विकास समिति के इस प्रस्ताव को रद्द किया गया, जब इस बारे में हम राजस्थान के अधिकारियों से मिले उन्होंने आश्वासन दिया, अब की दफा यदि विकास खंड खोलने का नंबर आएगा तो दांता रामगढ का आयगा लेकिन जिस समय दांता रामगढ के लिये विकास समिति ने सिफारिश की, उसमें उसने पूरा विवरण भी दिया है और यह भी कहा सीकर जिले की जितनी भी तहसीलें हैं उन सब तहसीलों में सब से ज्यादा सिंचाई के साधन हैं दांता रामगढ में । जहां तक सिंचाई की भूमि का ताल्लुक है, सब से अच्छी भूमि दांता रामगढ में है । विकास खंड जहां सब से नजदीक एरिया है उसमें दांता रामगढ सब से नजदीक है । वे सारी चीजें करने के बावजूद भी कुछ दिन बाद पता लगा कि विकास खंड वहां न खोला जाकर लक्ष्मणगढ में खोला जा रहा है । जिस समय यह चर्चा सुनने को मिली मैंने राजस्थान के अधिकारियों के समक्ष यह बात रक्खी, उनसे यह अपेक्षा की कि इसमें केवल यह समझ कर कि इस क्षेत्र से एक जनसंघी सदस्य निर्वाचित होकर आया है और इस क्षेत्र ने एक जनसंघी उम्मीदवार का समर्थन दिया है इसलिये इसका दन्ड उन्हें देना चाहिये, तो इसमें उस दंड देने की भावना को छोड़ कर उनको न्याय के रास्ते पर चलना चाहिये, पर बदकिस्मती से इसका कोई असर नहीं हुआ और वह क्षेत्र फिर छोड़ दिया गया और मन्त्री महोदय के पास मामला जाता है तो वे कहते हैं हम क्या करें, विकास मन्डल वालों ने लक्ष्मणगढ़ के लिये सिफारिश कर दी है । मुझे पता नहीं जिस विकास मंडल ने एक बार दांता रामगढ़ के लिये सिफारिश की और उस सिफारिश को एक बार मन्जूर नहीं करते तो दुबारा जब दूसरे क्षेत्र के लिये वही सिफारिश कर दे तो उस दशा में और सारे मेरिट्स को दूर रख कर कैसे लक्ष्मणगढ में खोल दिया गया । पर बाद में मुझे पता लगा कि सरकार एक एक सब डिविजन में खोलना चाहती है । तो इस दृष्टि से पहले नीम के थाने में खोल दिया । दांता रामगढ़ से एक तरफ विकास खंड खोल दिया, दूसरी तरफ जोबनेर पड़ता है वहां भी खोल दिया और बीच में तहसील दांता रामगढ़ आ गई । पर अब वहां न खोलकर वहां से २५ मील की दूरी पर लक्ष्मणगढ़ पहुंच गये ; इसलिये पहुंच गये कि उस जगह से निर्वाचित सदस्य कांग्रेस के हैं । आज यहां कांग्रेस और दूसरे दल की बात आती है तो इन कारणों से आती है । जितनी विरोधी शक्तियां हैं, और जो आवश्यक हैं प्रजातन्त्र में उसके पथ प्रदर्शन और कन्ट्रोल के लिये, उन्हें हमारे ही पैसे के आधार पर हमारी ही शक्ति के आधार पर किस तरह से खत्म किया जा सकता है इसकी हमारी ही जनता के पैसे पर कोशिशें की जा रही हैं। किस काम की यहां कमी देखते हैं वे, जिससे विकास खन्ड दांता रामगढ़ में न खोला जाकर नीम के थाने में और लक्ष्मणगढ में खोले गये । अब अगर यह भी दलील ले ली जावे कि जिला विकास कमेटी ने सिफारिश की है उस आधार पर खोला गया है, तो मैं कहता हूं पहले इसी कमेटी ने दांता रामगढ़ के लिये सिफारिश की, पर आपने उसे नहीं माना । फिर उस कमेटी में कौन कौन हैं, यह भी मैं बता दूं, आपकी वह एक मनोनीत कमेटी है सरकार की, उसमें १४ मनोनीत सदस्यों में से १३ कांग्रेसी हैं और एक दूसरा है । अब उसमें अगर बहुमत का प्रश्न आ जावे तो मेरे पक्ष में तो एक ही आदमी होगा । अब यदि बहुमत की आड़ लेकर प्रस्ताव पास कर दिया तो इसका मतलब यह है

[श्री भैरुसिंह]

कि इस मनोनीत कमेटी के आधार पर अल्पमत को किस प्रकार से कुचला जावे। तो यह एक अन्याय किया गया है। मैं समझता हूँ कि इस पोलिटिकल कारण के अलावा और कोई कारण इसके पीछे नहीं है। आप अगर यह कहें जवाब देते समय कि जिला विकास समिति की सिफारिश पर ऐसा किया है तो पहले सिफारिश की, इसका भी ध्यान रक्खें जवाब देते समय।

दूसरा प्रश्न आता है इन विकास खंडों में किस प्रकार का काम हो रहा है? अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ विकास खंडों का उदाहरण देते हुए बताया कि उन विकास खडों में किस प्रकार की प्रगति हुई है। माननीय उपाध्यक्ष, मुझे भी एक ऐसे ही विकास खंड में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, वैसे मैं बहुत जगह नहीं गया हूं पर जिसके लिये काफी प्रचार हुआ है और ज्यादा चर्चाएं सरकार के पब्लिकेशन्स में पढने को मिलती है और जिसके बारे में मन्त्रीगण बहुत लम्बे चौड़े भाषण भी देते हैं। ऐसे एक विकास खन्ड जिसका नाम मौलासर विकास खंड है, में जाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मौलासर मैं गया, खास मौलासर में केन्द्र है। वहां पर मैंने देखा दीवारों पर लिखा है तुम्हें अवश्य पढना चाहिये, शिक्षा जरूरी है, खाद खड्डे में डालो, बच्चों को पढ़ाओ, साफ सुथरे रहो, मौलासर में जितने मकान हैं उनमें जिस तरह से इलेक्शन हो रहा हो साफ सफाई का, या खाद को गड्ढे में डालने का या पढ़ने लिखने का, अशिक्षा को दूर करने का ऐसा कोई आन्दोलन चल रहा हो और इलेक्शन लड़ने की दृष्टि से चल रहा हो, इस तरह से मोटे मोटे अक्षरों में दीवारों पर लिखा है। मैं कहता हूं, यह सुन्दर है पर हर बरसात के बाद में दुबारा उन्हें दीवारों पर छापने की जरूरत पड़ती है। वहां कभी मन्त्री लोग जाते हैं, कभी कभी बड़े बड़े अधिकारी भी जाते हैं और इसलिये कि मौलासर का एक सेठ लोक सभा का सदस्य है। अभी अभी कांग्रेस में आपने सदस्यता का अपना फोर्म भरा है। उन्होंने काफी पैसा इस काम के लिये वहां दिया है और टीप-टाप इस तरह की वहां वाकई में सुन्दर है। पर एक तरफ लिखा है खाद गड्ढे में डालो और उसी स्थान की दीवार के नीचे खाद बिखरा हुआ पड़ा है। उसी मौलासर में मैंने कुछ आंकड़े तैयार किये हैं। मौलासर में इस समय ३३२ हरिजन हैं, जिनको शिक्षा दी जा सकती है, जो पढ सकते हैं। उन ३३२ हरिजनों के लिये एक विलेज वर्कर को प्रौढ शिक्षा के नाम पर उन्हें शिक्षा देने के लिये ४०) रुपया का अलाउन्स देकर एक व्यवस्था की गई। पर उन ३३२ हरिजनों को सबको तो पूछा नहीं, मैंने दो तीन आदमी थे उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि एक महीने या पन्द्रह दिन बाद विलेज कर्मचारी जिसे कहते हैं विलेज सर्वेन्ट भी जिसे कहा जाता है, वह रजिस्टर लेकर आता है और हमारे नाम लिख लेता है और कहता है कि तुम्हारी हाजरी हो गई दस्तखत कर दो। पर हाजरी के रजिस्टर में भी अंगूठा है। जिसकी प्रौढ शिक्षा का प्रबन्ध कर रहे हैं, जिसके लिये एक अध्यापक की विशेष व्यवस्था करते हैं, तब भी इस महीने में भी अंगूठा, दूसरे महीने में भी अंगूठा और तीसरे महीने में भी अंगूठा। यदि तीन महीने तक भी लगातार अंगूठे लगाये गये तो पढ़ाने वालों ने क्या किया? उसने तो अंगूठा किस तरह से लगाया जावे इसकी शिक्षा दी होगी। और अगर उन अंगूठों को फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो में भेजा जावे तो इस बात की जांच हो सकती है कि पहले वालों में इम्प्रेशन पूरा नहीं आया है, दूसरे में आ गया है। पर अक्षर का ज्ञान हुआ हो ऐसा बिल्कुल देखने में नहीं आया। उस विलेज अधिकारी के सामने कुछ काश्तकारों को बुलाकर भी पूछा था, बीज या खाद मिलता है या नहीं, तो काश्तकार कहते हैं

[श्री भैरूंसिंह]

कि बीज और खाद भी मिलता है पर मिलता कब है, जब हम दरख्वास्त करते हैं उस समय नहीं, जिस समय हमारी बुवाई का समय आता है उस समय तो हमें खाद के लिये कहते हैं कि खाद आ गया है ले लो, और जब बुवाई हम कर चुकते हैं या बुवाई का समय निकल जाता है तो कहते हैं कि बीज आ गया है ले लो। इस पर भी एक बात और है, किसी तरह बीज लेने की हम हिम्मत भी करते हैं तो कहा जाता है कि बीज अकेला नहीं मिलेगा इसके साथ खाद भी लेना पड़ेगा। अब मुश्किल यह है कि खाद की कमी जरूर है उसको पूरा करने के लिये फरटीलाइजर लेते हैं, पर उसका उपयोग नहीं जानते। अब उसका उपयोग नहीं जानने से एक खेत में उससे पैदावार अच्छी हो जाती है और दूसरे में पैदावार खत्म हो जाती है। पर इसकी भी कोई जांच होती हो, ऐसी बात नहीं। उनको इन मामले में सही राय देने वाला, सही रास्ता बताने वाला कोई नहीं मिलता। इन जगहों पर इस बात के आंकडे नहीं रक्खे जाते कि अमुक गांव में इतना खाद दिया गया और इतना बीज दिया गया, इससे पहले उस गांव की पैदावार यह थी, और खाद और नया बीज देने के बाद प्रति-वर्ष इतनी इतनी इस अनुपात से पैदावार बढ़ी। तो इसका मापदंड निकालने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया जाता।

अब प्रश्न आता है तकावी डिस्ट्रिब्यूट करने का। लोगों से पूछा जाता है किस किस को आवश्यकता है। लोग दरख्वास्त देते हैं। पर यह जांच नहीं की जाती कि किसको कितनी रकम की जरूरत है। वहां भी परवरिश की जाती है। एक अपने भाई-भतीजें या नजदीकी को रुपया देना है, तो यह कैसे दिया जाय, इसका रास्ता निकाला जाता है। एक की लड़की की शादी में रुपया चाहिये, उसको वह देना है वह कैसे दिया जाय? यदि उसके पास मेड, कुआ और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेन्ट्स हैं और फिर भी दो हजार रुपया उसको देना है तो कैसे दिया जावे? इसके लिये एक नया तरीका उन्होंने निकाला है। जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिये, मेड लगाकर जमीन की रक्षा करने के लिये इतना रुपया देना है और अगर उसमें भी कम रह जावे तो एक मेड की मरम्मत करनी है, एक कूए की मरम्मत करनी है और इस मरम्मत के नाम पर तकावी तकसीम की जाती है। इस तरह की तकावी तकसीम कर दी गई हैं और मैं कहता हूं यह उस गांव की बात है। उस मौलासर गांव की जिसमें मैंने इसी दृष्टि से अच्छी तरह से देखा है। आज भी यदि मन्त्री महोदय को इत्मीनान न हो और वे मेरे साथ चलने को तैयार हों तो बासनी एक गांव है। मैं उसमें बता सकता हूं कि सारी की सारी तकावी घरेलू कामों में दी गई है।

तकावी तकसीम कर देने को कहा था माननीय मंत्रीजी ने। मैंने मौलासर गांव म जाकर इस दृष्टि से देखा है। वे आज भी चलने को तैयार हों तो मौलासर के पास में जो दो बासनियें हैं उनमें कुछ व्यक्तियों को, ७ व्यक्तियों को, जो तकावी दी है वह सारी की सारी तकावी जिस काम के लिये दी है उसमें काम नहीं आकर उन्होंने उसको घरेलू काम में लिया है। दो ने अपने मकान बनवाये हैं। दो ने शादियां की हैं एक ने ऊंट खरीदा है। जब एक गांव की यह दशा है तो मैं समझता हूं कि जिस विकास खंड में इस प्रकार की प्रगति है, जिस प्रगति को हम उनके लिये बहुत अच्छी प्रगति समझते हैं यदि इस प्रकार की प्रगति तमाम जगहों में हो रही हो तो वह प्रगति नहीं है बल्कि जनता के गाढ़े कमाये हुए पैसों का दुरुपयोग है।

[श्री भैरूंसिंह]

माननीय उपाध्यक्षजी, सबसे पहले इस डिपार्टमेन्ट में जो कमी है वह यह है कि जो कुछ काम हुआ है उस काम का नतीजा क्या हुआ है ? खाद जो इनको दिया है उसका नतीजा क्या हुआ है ? इस जमीन के लिये वह खाद अच्छा है या नहीं ? वह चीज उस जगह के लिये मुफीद है या नहीं ? वह खाद उस इलाके के लिये मुफीद हो सकता है या नहीं ? उसकी जांच का तरीका क्या है ? यह बीज इस भूमि के लायक है या नहीं ? उसके लिये एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट का क्या प्रबन्ध है ? प्रबन्ध इसलिये नहीं है कि कम्युनिटी ब्लोक्स और एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट में कोऑर्डीनेशन नहीं है। यदि कहीं जानवरों के अस्पताल की आवश्यकता है तो जो विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है चाहे वह आर. ए. एस. हो या आई. ए. एस. अधिकारी हो उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह हर लाइन का टेक्निकल एक्सपर्ट हो। एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान उसको हो सकता है। रुपया जो खर्चा किया जाय वह ठीक प्रशासनिक ढंग से किया जाय, इस तरह की व्यवस्था वह कर सकता है। इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट की कौनसी चीज, खाद या बीज, उस जगह के लिये लाभदायक हो सकता है। वह जानवरों के अस्पताल के लिये यह व्यवस्था कर सकेगा कि मकान वहां कौन सा उपयुक्त है, डाक्टर चाहिये तो वह व्यवस्था कर सकेगा, लेकिन वहां जानवरों में रोग किस प्रकार का होता है और उस रोग का क्या निदान है, यह व्यवस्था नहीं कर सकता है। मनुष्यों के लिये जितने अस्पताल की आवश्यकता है उनके बारे में वह मकान की और डाक्टरों की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन वहां कैसा रोग अमूमन है ? क्या बिमारियें हैं, उनका क्या इलाज है ? इसकी व्यवस्था वह नहीं दे सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कम्युनिटी डेवलपमेन्ट ब्लाक्स और दूसरे डिपार्टमेन्ट्स में कोआरडीनेशन नहीं है। इस डिपार्टमेन्ट की रिपोर्ट में जयपुर में उनके अधिकारियों के पास आकर करते हैं कि इस काम में टेक्निकल एक्सपर्ट होने के नाते उस चीज को देखकर ठीक करें। क्योंकि उसको वैसे ही करने से क्या नतीजा हासिल हो रहा है जब कि यह सारे का सारा पैसा खर्च होता जा रहा है।

सड़कें जो बनती हैं उनमें श्रमदान भी होता है, और कई दिन तक श्रमदान होता रहता है। वहां मंत्री भी पहुंचते हैं। मंत्रियों के हाथ में फावड़ा है और अखबारों में फोटो है। यह नहीं मालूम होता है कि फावड़े में मिट्टी है या नहीं। सर पर तगारी लेकर मिट्टी को डाल दें तो बहुत बड़ी बात है। सर पर तगारी रख कर मिट्टी डालें तो कोई बात हो, लेकिन उनके तो फावड़े हाथ में हैं और मुंह केमरे की तरफ है और इस प्रकार के चित्र अखबारों में ही नहीं बल्कि राजस्थान सरकार की ओर से जो पब्लिकेशन निकले हैं उनमें भी मैंने देखे हैं। यह मान लें कि मंत्रीजी के इस प्रकार से श्रमदान में भाग लेने से दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं वे भी फावड़ेबाजी के काम में हाथ बंटाते हैं इसलिये हमें भी हाथ बंटाना चाहिये। जिस समय मंत्री जी जाते हैं तो गांव के लोगों को इकट्ठा किया जाता है वह इस दृष्टि से नहीं इकट्ठा किया जाता है कि कुछ सड़कों को बनाने के लिये फावड़ेबाजी करना है, बल्कि इस दृष्टि से कि मंत्रीजी आ रहे हैं हमारे गांव में तो १०-२० हजार की मंजूरी होगी। वे दो घंटों में चले जायेंगे और २ घंटों के लिये फावड़ेबाजी की जरूरत है इसलिये कुछ देर के लिये फावड़ेबाजी दिखादो। इस तरह से उनको मुगालता दिया जाता है और श्रमदान के फोटो खिंचवाये जाते हैं। श्रमदान में कितना रुपया खर्चा हुआ है वह अखबारों से मालूम पड़ता है। इस प्रकार का जो

[श्री भैरूंसिह]

श्रमदान है उससे श्रमदान की जो भावना है उस पर आघात पहुंचता है। लोग श्रमदान की मजाक करने लगे हैं। श्रमदान को राजस्थानी में कहने लगे हैं कि हमने तो अपनी शर्म का दान कर दिया। इसका मतलब यह है कि वेहया हो गये, लज्जारहित हो गये। इस प्रकार से श्रमदान का उपहास किया जाता है। उस श्रम को ये कहते हैं कि श्रमदान बहुत अच्छा हुआ है।

तभी दूसरा प्रश्न आता है संपत्ति दान का। मंत्रीजी जाते हैं तो कोई मकान का दान किया जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि कई स्थानों पर छतरियां तक दे दी गई हैं संपत्तिदान में। एक धर्मशाला भी दे दी गई है संपत्तिदान में। धर्मशाला सार्वजनिक प्रोपर्टी थी। धर्मशाला को देने का अधिकार नहीं था। पहले जिस व्यक्ति ने बनाई थी उसको यह अधिकार था। वहां अब ऐसा कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है कि जहां विवाह के समय बरात ठहर सके या कोई बाहर का राहगीर ठहर सके। वह किया है संपत्तिदान! उसके बाद में उस धर्मशाला में एक कार्यालय खुल गया है। कार्यालय खुल जाने से वह अब सार्वजनिक चीज नहीं रही। यह मैं मानता हूं कि अब भी उस पर एक प्रकार से सार्वजनिक अधिकार हुआ है, लेकिन जिस ढंग से उसका उपयोग अब तक होता आया है उस तरह का उपयोग अब नहीं हो सकता है।

सडकों का प्रश्न लीजिये। सडकों की दशा यह है कि सडकें बन रही हैं, उन सडकों के लिए सामान इकट्ठा किया जा रहा है, सामान इकट्ठा करने के साथ श्रमदान से भी काम लिया जाता है। सडकें बनीं और सडकों के काम की निगरानी जिस अधिकारी के पास थी तो वह काम जो हुआ है वह इस तरह का हुआ है कि बरसात के पहले जिन जिन विकास खंडों में जो जो काम हुए हैं सडकों वगैरह के उनका अब नक्शा तो जाकर देख लीजिये। वे सडकें इस कदर की होगई हैं कि जितना रुपया उनके बनाने में खर्च किया गया था उससे कम उनकी मरम्मत करने में खर्चा नहीं लगेगा। अगर इस तरह की बात नहीं हुई हो तो निश्चित रूप से तरक्की हुई है सडकों के बनाने में। सीकर में नई सडकें बनीं तो जयपुर में इतने अर्से में सडकें मरम्मत तलब हो गई हैं। इस तरह से सडकों का काम नहीं चलेगा।

जोबनेर विकास खंड को देखने के लिये, एक सडक को दिखाने के लिये खास तौर से हमको ले जाया गया था। उस सडक पर सबसे ज्यादा श्रमदान हुआ है। सबसे ज्यादा पब्लिक का उसमें पैसा लगा है। वह सडक ७ हजार में बनी है। यदि वही सडक गवर्नमेंट के अधिकारी गण बनाते तो निश्चित रूप से १७ हजार रुपये उस पर खर्च होते। लेकिन गांव वालों ने खास तौर से सडक को इस वजह से बनाया कि सरकार को बता दें कि सरकार सडकों में कितने रुपयों का दुरुपयोग करती है। यह नक्शा बताने के लिए ही उन्होंने इसको बनाया है। सरकार उसको १७ हजार में बनाती है तो उन्होंने ७ हजार में ही तैयार कर दी। लेकिन ऐसे लोगों को मदद किस प्रकार से मिले ऐसी चीज नहीं है। सरकारी अधिकारियों का उसमें हस्तक्षेप होता रहता है। हस्तक्षेप इसलिए होता है कि सरकारी अधिकारियों की मरजी की वहां कोई परवाह करता नहीं है। यह काम बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक सरकारी अधिकारियों के हाथ में दे देने से, कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट ब्लोक्स के द्वारा कोई भला हो सके, यह बिल्कुल संभव नहीं है।

[श्री भैरूंसिंह]

मैं निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष, मंत्रीजी से कि वे इन प्रोजेक्ट्स के अन्दर जो धांधलियां हो रही हैं उन धांधलियों के बारे में विस्तार से विचार रखेंगे । मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस तरह से डेवलपमेंट में जितना भी रुपया खर्च होता है उनका हाथों-हाथ आडिट होना चाहिये । हाथों-हाथ नहीं होने से और पंचायतों से संपर्क नहीं होने से, जिस जगह कांग्रेस विरोधी पंचायतें हैं उन पंचायतों से कोई काम नहीं लिया जाता है, और इस प्रकार का राजनैतिक वातावरण वहां बनाने की चेष्टा करते हैं तो वह इस प्रकार से विकास खंड खोलने की जो मूल भावना है उसके प्रतिकूल है । इन सारी चीजों से दूर होकर यदि विकास खंड की प्रगति हुई तो निश्चित रूप से भारत की प्रगति होगी । लेकिन यदि इसमें राजनैतिक वातावरण प्रवेश करा दिया और जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग किया गया तो कोई भला नहीं हो सकता है, बल्कि आगे जाकर दुर्भावनाओं का निर्माण हो सकता है, गंदा वातावरण बन सकता है । इस सारे गंदे वातावरण को रोकने के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए ।

इस सारी ईमानदारी की कमी को प्रस्तुत करने के लिए मैंने अपने इस कटौती प्रस्ताव द्वारा विचार प्रकट किये हैं । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी विस्तार से इन बातों पर अपने भाषण में प्रकाश डालेंगे ।

श्री मानसिंह महार--माननीय उपाध्यक्षजी, मैं बहुत थोड़ा सा समय लूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, आज बड़े दिनों की प्रतीक्षा के बाद सामुदायिक विकास खंडों के बारे में अपने विचार प्रकट करने का हमको यह मौका मिला है । सरकार ने इस काम में जो प्रगति की है वह बहुत ही सराहने के योग्य है । मैं मानता हूं कि आज जहां भी यह विकास खंड खुले हैं उन इलाकों का तो सरकार ने नक्शा ही बदल दिया है । वहां के आदमियों की इकॉनोमिक हालत ने इतनी ऊंची तरक्की की है कि जिसका कहना ही क्या ? काया पलट हो गया और ऊंचा नया नाम ईजाद किया जायगा, दिल्ली की डिक्शनेरी में नया नाम ईजाद किया जायगा, उसके बाद कुछ हो सके । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमने वास्तविकता यह देखी कि विकास खंड वगैरह जो खोले जाते हैं और उनमें जो तरक्की होती है वह तरक्की वास्तविकता में जनता की बहबूदी के लिए या जनता की मांग या जनता की आवश्यकता के आधार पर नहीं होती है । ये विकास खंड तो कुछ व्यक्ति विशेष के परवरिश के महकमे हैं । मुझ पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि तुम तो हर बात में इस प्रकार की बात लाते हो, लेकिन यह तो बिल्कुल वास्तविक बात है, उपाध्यक्ष महोदय । आप जयपुर के आस पास ही चले जाइये । आमेर तहसील ले लीजिये या जमुआ रामगढ़ तहसील ले लीजिये । उन तहसीलों को हमारे यहां के कलेक्टर वगैरह ने बड़ी स्ट्रोंगली रिकमन्ड करके भेजा था कि ये बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरियाज हैं और इन एरियाज में विकास खंड खोले जावेंगे तो यहां की जनता को काफी राहत भी मिलेगी और उनका जो स्तर है वह भी कुछ ऊंचा उठ सकेगा । उनके लिखने से भी उपाध्यक्ष महोदय, जो हो सकता था वह होना तो वही था कि उन इलाकों से किन किन आदमियों को वोट देकर भेजा गया था, उनका असर कैसा था, वरना यह कैसे हो सकता था उपाध्यक्ष महोदय, कि डीडवाना में जाकर विकास खंड खोला जाता और जमुआ रामगढ और आमेर की तहसीलों में वह रह जाता । यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि पास ही सीकर डिस्ट्रिक्ट में चले जाइये तो मालूम होगा कि नीम के थाने में तो विकास खंड

[श्री मानसिंह महार]

को उपयुक्तता मालूम हुई लेकिन दांता रामगढ में नहीं हुई क्योंकि दांता रामगढ से जो सदस्य मेरी तरह आये हैं मेरी तरह उनका भी दुर्भाग्य समझिये कि वे भी सरकार की निगाह में ऐसे नहीं हैं । मैं पहले से ही यह कहता हूं कि जो जवाब मिलेगा वह यही मिलेगा कि अगले पांच वर्षों में विकास खंड खोल दिये जावेंगे इसलिए आपत्ति ही नहीं करनी चाहिए । लेकिन पांच वर्ष आते किसको हैं ? हम क्या जानें कि अगले पांच वर्ष के लिए हम उन इलाकों से रिटर्न होकर आवेंगे या मंत्रीजी खुद भी रिटर्न होकर आवेंगे और आजावेंगे तो इस कुर्सी पर बैठे होंगे । ये बातें तो हवाई किलों की बातें हैं । आगे की बात कहना उचित नहीं है । बात सही यह है कि हमें यह देखना चाहिए कि वाकई जरूरत किस किस जगह है । कुछ लोगों ने इन विकास खंडों के बारे में प्रार्थना की कि जमुआ रामगढ में और आमेर तहसील में विकास खंड खुलने जरूरी हैं तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उपाध्यक्ष महोदय, कि यहां की जनता इतना सहयोग नहीं दे सकती जितना दूसरी जगह की दे सकती है । इसके लिए एक मिसाल पेश करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय । सवाई जयपुर में विकास खंड है । वहां से चाकसू से आये कृपा पात्र होने से वहां भी खोल दिया गया है । लेकिन उस एरिया में इतने कम गांव हैं उपाध्यक्ष महोदय, ... सदन में बातचीत हो रही है ......

श्री रामकिशोर व्यास--मैं गौर से सुन रहा हूं ।

श्री मानसिंह महार--मैं साम्यवादी सदस्य के लिए अर्ज कर रहा हूं ।

तो उपाध्यक्ष महोदय, वहां डेवलपमेन्ट के लिए जगह नहीं है । इतना कम काम होता है और इतनी कम गुन्जाइश है कि अगर इसकी जांच की जाय तो पता चल सकता है । जमुआ रामगढ का इलाका सैंकड़ों मील में लम्बा चौडा पड़ा हुआ है । अगर डेवलपमेन्ट वहां किया जाय तो काफी हो सकता है । लेकिन जमुआ रामगढ का कौन नम्बर आने दे ? आमेर का नम्बर आया तो वह भी उपमंत्राणी के चुने जाने के बाद । उनके लिए तो और सुना जाता है कि फुलेरा फागी से चुनाव लड़ेंगी । मैं उस जगह का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जमुआ रामगढ और आमेर को सुपरसीड करके तीसरी जगह ही खोल दिया है । यह नहीं है कि मंत्रीजी इससे अनभिज्ञ हों । उनको मालूम है । यहां जो पैसा खर्च होता है उसके लिए मैं बार बार क्या कहूं, आज जिस मद में खर्च किया जाता है उसका ५० परसेन्ट तो कमीशन का ही छोड़ देना चाहिए । वह तो न्याय संगत बात हो गई और ५० परसेन्ट खर्च होता है वह डेवलपमेन्ट में होगा, मैं इनकार नहीं करता । लेकिन हमारे इलाके में न विकास खंड खोले गये और न ही कोई योजना है । अगले चुनाव में कांग्रेसी महानुभाव और कोई इन्फ्ल्युएन्शियल आदमी हो तो हो सकता है, सीधे सादे ईमानदार आदमी की कोई सुनने वाला नहीं और कोई हो चुस्त चालाक और इधर उधर काम निकालने वाला तिकड़मबाज तो वहां जरूर खुल जावेंगे । भरतपुर के इलाके को ही देख लीजिये कि वहां के लोगों का इतना प्रभाव है कि भरतपुर में कितने डेवलपमेन्ट करा लिये । विकास खंड या और कोई चीज ले लीजिये । मेरे नजदीक बैठे हुए सदस्य हैं तिकड़म लड़ा कर काम करा लिया । फिर भी उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आमेर और जमुआ रामगढ की जनता की पुकार है, उनके साथ बड़ा भारी अन्याय हुआ है । उस सारे इलाके को महरूम कर दिया गया । कोटपुतली को ही ले लीजिये । कौन हमारे मोदीजी की बात सुने ? आज

[श्री मानसिंह महार]

कल कोटपुतली वाले बडे बुक्स में है । कौन खोले वहां पर ? असली बात तो यह होनी चाहिए कि पहले यह देख लिया जाना चाहिए, जरूरियात का अन्दाजा लगा लेना चाहिए, फिर यह तय हो जाय कि फलां वर्ष में फलां जगह विकास खंड खुलेगा और फलां जगह फलां वर्ष में विकास खंड खुलेगा । इस प्रकार होते होते तय हो जाय । कोई तो सिद्धान्त अपनाइये । लेकिन आपका सिद्धान्त केवल एक ही है कि हमारी हां में हां मिलाने वालों के यहां तो खुल गये और हां में हां मिलाने वाले जहां न हों वहां नहीं खुले । लेकिन हमारे जैसे, नालायक समझ लीजिये, हां में हां नही मिला सकते हैं, यह हमारी कमजोरी है, तो वहां क्यों खोलें ?

जो खर्चा होता है उसमें ज्यादातर पब्लिसिटी पर खर्चा होता है । पब्लिसिटी तो अधिक दी जा रही है लेकिन ठोस काम कम होता है । आज के युग में ज्यादातर पब्लिसिटी ही होती है, ठोस काम कम होता है । अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि तस्वीरें आती हैं उनमें मंत्री लोग फावड़ा लिये काम करते हुए दिखाई देते हैं । मैं कहता हूं कि अगर मुझ जैसे व्यक्ति के साथ काम में वे लग जायं, फावड़ेबाजी में फंस जायं तो वे रो रो कर भाग जावेंगे । डेवलपमेन्ट का काम करना है तो हजार पन्द्रह सो टोकरे फेंक कर देखो, पता चले । वहां जाकर खड़े रहे, टी. ए., डी. ए. में हजारों रुपया खर्चा कर दें, में इसमें बिलीव नहीं करता । इन विकास खंडों में जो पैसा दिया जाता है वह अधिकतर बरबाद होता है ।

इस मद में एक खासियत है कि हिन्दी को प्रोत्साहन देने की बात हो । हिन्दी नोइंग आदमियों को टाइप सिखाने के लिए मांग कर रहे हैं । बड़ी अच्छी बात है । आज तो हमारे मंत्रीजी को उर्दू से हट कर हिन्दी से थोड़ा प्रेम तो हुआ । नहीं तो में यह समझता था कि उर्दू के टाइप राइटर्स ईजाद करने की कोशिश करेंगे । हिन्दी के लिए इतनी सहानुभूति दिखाई, उसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा लेकिन कहीं आज के युग में हिन्दी के नाम पर हिन्दी नोइंग आदमियों को जो दुर्गति होती है वही इन डेवलपमेन्ट्स ब्लॉक्स में होती रही, तो मैं समझता हूं कि एक ज्यादती की बात होगी ।

डेवलपमेन्ट ब्लॉक्स के बारे में एक बात निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि जो ब्लॉक डेवलपमेन्ट ऑफिसर्स नियुक्त किये जायं वे कम से कम सीनियर ऑफिसर्स होने चाहिएं । सीनियर से मेरा मतलब यह नहीं है कि ५० वर्ष के आदमी नियुक्त कर दें लेकिन वैसे आदमी भी न हों कि जिनका नम्बर आर. ए. एस. की लिस्ट में २५० या २७५ पर हो । ८० से लेकर २०० तक नम्बर आते हैं, १२० नम्बर आता है । इस प्रकार वहां तो उनको तजुर्बा भी होगा, वे इनरजेटिक भी होंगे, उनको एक्सपीरियन्स भी होगा । लेकिन आज तो यह हो रहा है कि हमारे जो अफसरान मुकर्रर होते हैं उनको पे के अलावा १०० या १५० रु० अलाउन्स के मिलते हैं । जो ब्लॉक डेवलपमेन्ट ऑफिसर्स होते हैं उनको घूमने के लिये अन्धाधुन्ध पेट्रोल और जीप्स मिलती हैं । वे जीप्स खाली डेवलपमेन्ट काम के लिये ही नहीं मिलती हैं, पर मंत्रीजी का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करूंगा, फिर अगर वे कहें कि गलत कहता हूं तो या तो मेरी बात मानें, मैं उनको जयपुर के बाजार में खड़ी हुई उन जीप्स को पकड़ा दूंगा, शाक सब्जी और कोयले ढोते हुए । कहीं पर ऑफिसर्स साहब व्याह शादी में या जीमण में तशरीफ ले जा रहे हैं तब भी इन्हीं जीप्स का उपयोग करते हैं और इस तरह से इन वेहिकल्स का दुरुपयोग होता है ।

[श्री मानसिंह महार]

आजकल जयपुर के बाजार में जिधर से निकलते हैं उधर ही डेवलपमेन्ट लिखे हुए वेहिकल्स बहुतायत में घूमते हुए नजर आते हैं। जरा मंत्रीजी उधर ध्यान दें। बी. डी. ओज आदि को जो जीप्स दी गई हैं उनका दुरुपयोग न होने पावें, इस ओर ध्यान दें। पुलिस विभाग में आई. जी. पी. ने पुलिस वेहिकल्स के बारे में सख्त आर्डर दिया है कि निजी काम के लिये उनका यूज नहीं किया जावे। इसके फलस्वरूप पुलिस विभाग में गाड़ियों के दुरुपयोग में ७५ परसेन्ट की कमी हो गई है। पुलिस विभाग भी इन्हीं मंत्रीजी के आधीन है इसलिये आप देख लीजिये कि पुलिस की जीपें बाजार में बेकार काम के लिये बहुत कम फिरती हैं। तो यदि डेवलपमेन्ट विभाग की वेहिकल्स के लिये भी सख्ती करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और यदि मुझे कहेंगे कि तुम पकड़ा दो मैं शाक-सब्जी लेती गाड़ियों को पकड़ा दूंगा लेकिन आप तैयार रहें। मैं आपको कहूं और झट गाड़ी में बैठ कर मेरे साथ चल दें तो पकड़ा दूंगा।

डवलोपमेन्ट को कौन नहीं चाहता? लेकिन डेवलपमेन्ट न्याय पूर्ण तरीके से करिये। अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं किया जाय। डेवलपमेन्ट और समाज विस्तार खंड कमिश्नर्स और आफिसरों के बारे में अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि आप घंटी बजाकर जल्दी समाप्त कराना चाहते हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि विरोधी दल के सदस्यों को विचार धारा की ओर ध्यान देकर काम करिये। यदि आप यह चाहते हैं कि १८० सीटों पर कांग्रेस के सदस्य हो आवें तो हमको बता दीजिये। हम जनता का अहित करके चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हम चुनाव लड़कर आना अपना कर्त्तव्य समझते हैं। डेमोक्रेसी में अपोजीशन का होना उतना ही जरूरी है जितना कि मेजोरिटी पार्टी या गवर्नमेन्ट पार्टी का होना जरूरी है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपकी वाहवाही करने वाले ही सब लोग हों और क्रिटिसाइज करने वाले कोई नहीं हों तो बात अलग है। आप यदि यह करना चाहते हैं कि आपको क्रिटिसाइज करने वालों को भेजने वाली कांस्टीट्यूएन्सीज को पेनेलाइज किया जाय तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं चुनाव में खड़ा नहीं होऊंगा। यदि आपकी यह नीति नहीं है तो फिर कोई डर नहीं है। साम्यवादी मित्र कह रहे हैं कि मत बोलो। यदि बोलने का ठेका उन्होंने ही ले लिया है तो मैं जल्दी ही खत्म करूंगा। फिर भी मंत्रीजी से कहूंगा कि आमेर और जमुआ रामगढ़ और बैराठ से आने वाले मित्र भी बहुत उत्सुक हैं, यहां के लिये आप आश्वासन दे दें तो, टूटा फूटा आश्वासन मिल जाय, वहां जाकर कह सकते हैं। यदि आपको पैसा लेना है तो उसको न्यायपूर्वक खर्च करिये। न्यायपूर्वक पैसा खर्च आप कितना भी करिये हम उसके लिये नहीं नटेंगे लेकिन भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिये या अन्यायपूर्वक पैसा खर्च करना चाहेंगे तो हम उसके लिये इन्कार करेंगे। इन बातों के साथ में यह कहूंगा कि जो खामियें बताई गई हैं उनकी ओर पूरी तरह से ध्यान दिया जाय।

(श्री मुक्तिलाल मोदी और श्री रामकिशोर व्यास दोनों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष (श्री मुक्तिलाल मोदी से)—अब मंत्रीजी बोलने के लिये खड़े हो गये हैं, इसलिये आप न बोलें तो अच्छा हो।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—माननीय उपाध्यक्षजी, सामुदायिक विकास खंड और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड के सिलसिले में यह डिमाण्ड रखी थी और इसका उद्देश्य यह था कि कुछ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों को सामुदायिक विकास खंड में परिवर्तित करना था और उसके लिये यह एक पृथक्

[श्री रामकिशोर व्यास]

अनुदान आपसे चाहा गया। इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया लेकिन जनरल तरीके पर कुछ कहा गया उसके बारे में मैं कुछ निवेदन करूंगा।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड और सामुदायिक विस्तार सेवा खंड सन् ५२ के आखिर में और सन् ५३ के आरम्भ में राजस्थान में आरम्भ हुए और उनका काम शुरू हुआ। एक वक्त था, आरम्भ के जमाने का जब बहुत से लोगों का यह खयाल था कि विकास खंड जो खोले जा रहे हैं ये एक तरह की बेकार चीज है और इस पर जो खर्चा किया जा रहा है या किया जायगा वह बिल्कुल व्यर्थ किया जायगा और उसका कोई उपयोग नहीं होने वाला है। ऐसी बहुत से लोगों की धारणा और भ्रम बहुत से लोगों का आरम्भ में था। लेकिन जब काम आरम्भ हुआ, लोगों ने काम शुरू किया और जनता ने इसमें दिलचस्पी ली, सहयोग दिया तो इसमें काफी मात्रा में काम हुआ और लोगों की जो धारणाएं थीं वे आहिस्ता आहिस्ता बदलीं और आज, सिवाय कुछ उन भाइयों को छोड़ कर जिनका कि ध्येय यह है कि वे कहें कि कोई काम नहीं हुआ, उनके अलावा आज करीब करीब सबका यह मत है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड ने देश में बहुत बड़ा काम किया है और उसके द्वारा बहुत बड़ी जाग्रति देश में की गई है और बहुत बड़ा जो गांवों का हिस्सा है उसकी बहुत बड़ी सेवा विस्तार खंडों ने की है। आज मैं उन लोगों को नहीं निवेदन करना चाहता हूं जिनकी नीति यह है कि जो काम गवर्नमेंन्ट ने किया है चाहे अच्छा हो या बुरा उसमें कुछ न कुछ त्रुटि उनको देखनी है, चाहे वह कितना ही अच्छा काम हो! आज भी उनका कहना है कि यह काम खराब हुआ। उनको मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन जो लोग रीजनएबिल तरीके से देखते हैं, सोचते हैं उनमें से यदि कोई यह कहते हैं कि राष्ट्रीय सेवा खंड में पैसा बेकार खर्च हुआ, उससे कोई फायदा नहीं हुआ तो मैं उनसे कहूंगा कि यह उनकी भ्रान्ति है, गलत है, सही नहीं है।

राजस्थान में जो विकास खंड का काम हुआ वह अच्छा हुआ। उसकी तारीफ करनी चाहिये थी लेकिन बजाय तारीफ करने के उसकी आलोचना की गई। ....

श्री मानसिंह महार--सही आलोचना की गई।

श्री रामकिशोर व्यास (जारी)--हो सकता है किसी हिस्से में कोई कोताई हो, कमी रही हो। बहुत बढ़िया भवन निर्माण करें, बहुत बड़ा भवन निर्माण करें, तो उसमें कोई न कोई छिद्र रह सकता है। आप छिद्र की तलाश करने में होशियार हैं। लेकिन हम जरूर कोशिश करेंगे कि छिद्र को दूर करें। ऐसा बढ़िया भवन बनावें कि आपको उसमें कोई छिद्र नहीं मिले। आप जहां जहां सुझाव देंगे कि फलां कोने में फलां छिद्र है उसको आपकी सलाह से मिटाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी तामीर है, बहुत बड़ा काम हुआ है। यह भी मानना चाहिये कि आज राजस्थान में विकास खंड के बारे में जो काम हुआ है उसको राजस्थान के लोग ही मानें उसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन राजस्थान के बाहर के लोगों ने भी उसको माना है। राष्ट्रीय सेवा खंड और सामुदायिक विकास खंडों में काफी अच्छा काम हुआ है। भारतवर्ष के बहुत से निष्पक्ष लोग यहां आये हैं और उन्होंने इसका निरीक्षण किया है और निरीक्षण करने के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उससे आपको प्रसन्नता होनी चाहिये कि हमारे यहां के विकास खंडों ने काफी अच्छा काम किया है।

[श्री रामकिशोर व्यास]

न केवल भारतवर्ष के रहने वाले बल्कि भारतवर्ष से बाहर के रहने वाले, यू. एन. ओ. के लोगबाग भी और दूसरे लोग बाग आये, फोरेनर्स भी यहां आये हैं और उन्होंने हमारे विकास खण्डों का निरीक्षण किया है और उन्होंने मुक्त कण्ठ से हमारे विकास खण्डों की प्रशंसा की है कि राजस्थान में बहुत अच्छा विकास खण्डों का काम हुआ है । ऐसा होते हुए भी हमारे घर के भाई कहते रहें कि कुछ नहीं हुआ, जो कुछ पया इन विकास खण्डों पर खर्च किया गया वह यों ही जाया हुआ है तो यह तो एक अच्छी बात नहीं । यह मैंने पहले ही कहा कि कुछ खामी हो सकती है, कोताई हो सकती है उसके लिये आप सुझाव दें हम उस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे, आप जो भी अच्छा सुझाव दें उसे अवश्य पूरा करना है क्योंकि आपका भी यह उद्देश्य है कि अच्छा काम हो और हमारा भी यही उद्देश्य है कि अच्छा काम हो, आपका और हमारा उद्देश्य यह है कि अच्छा काम हो,सिवाय एक-आध भाई के जो इस बात पर तुले हुए हैं कि गवर्नमेन्ट के काम अच्छे नहीं हैं बुरे हैं, तो ऐसे एक-आध भाई को छोड़ दीजिये और आप साहबान तो जो ठीक है उसको ठीक कहेंगे और जो बुरा है उसको बुरा कहेंगे ।

एक बात यह कही जाती है कि ७५ फी स दी रुपया एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च हो रहा है, बाकी २५ फी सदी रुपया सहायता कार्य पर खर्च किया जा रहा है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर ७५ फी सदी तनख्वाह पर खर्च किया जाता है तो जो इतना काम किया गया है वह कैसे हो गया ?

श्री एच० के० व्यास--आप पर्सेन्टेज बता दें ।

श्री रामकिशोर व्यास--कितना रुपया एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च होता है, इसके बारे में आपका प्रश्न है उसके उत्तर में आपको पूरा जवाब मिलेगा पर यह कह देना चाहता हूं कि शुरू में ऐसा वक्त था जब कि एस्टेब्लिशमेंट में रुपया ज्यादा खर्च हुआ है क्योंकि हमारा इलाका ही ऐसा था । पर आज ऐसा कहें वह सही नहीं है । पूरे आंकड़े में आपको फिर अर्ज करूंगा । जब से सन् १६५२ से हमने कोम्युनिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है उससे आज तक कितने परसेन्टेज से एस्टेब्लिशमेंट पर खर्चा हुआ है यह सब आंकडे में आपको अर्ज करूंगा ।

श्री एच० के० व्यास--जब आपको अपने खुद के आंकड़े मालूम नहीं हैं तो कैसे कह सकते हैं कि जो कहा गया है वह गलत है ?

श्री रामकिशोर व्यास--आपका इस बारे में सवाल है उसके उत्तर में सब आंकड़े आपको अर्ज कर दूंगा ।

श्री एच० के० व्यास--सवाल का यहां क्या सवाल है ?

श्री रामकिशोर व्यास--सवाल ही का तो सवाल है दूसरा किस बात का सवाल है । दूसरी बात आपने परचेजेज के लिये कही । मैं कहता हूं परचेजेज के लिये ग्रान्ट है, एक्सरे प्लान्ट लगा दिया, आदमियों के लिये मंजूरी हो गई और काम चालू हो गया तो इसमें क्या बुराई हो गई ? इसकी जरूर थी खरीदा गया और लगाया गया उसका उपयोग हो रहा है, जनता के काम आ रहा है ।

श्री एच० के० व्यास--काम चालू हो गया .....

श्री मानसिंह महार--साहब ये बैठे बैठे बीच में डिस्टर्ब करते हैं .....

श्री रामकिशोर व्यास--बडी खराब आदत है पर मानते नहीं क्या करें ? दूसरी बात सीकर जिले के माननीय सदस्य ने कही उनके लिये मुझे उनसे हमदर्दी है । और मुझे खेद भी है कि रामगढ़ में विकास खण्ड नहीं खोला गया, इसके लिये आयन्दा जब अवसर आयेगा तो रामगढ़ का ध्यान रखा जायगा ।

एक यह आरोप लगाया गया कि विकास खण्ड वहीं खोले जाते हैं । जहां से कांग्रेस के मेम्बर जीत कर आये हैं और उन जगहों पर उन कान्स्टीट्युएन्सीज में नहीं खोले जाते जहां से कांग्रेस के मेम्बर जीत कर नहीं आये हैं । मैं उन माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जहां जहां विकास खण्ड खोले गये हैं उन स्थानों की सूची देखिये तो आपको पता चलेगा कि आपकी बात सही नहीं है ।

सुमेरपुर जहां विकास खण्ड खोला गया वहां से कांग्रेस का मेम्बर जीत कर नहीं आया, राजसमंद में विकास खण्ड का केन्द्र खोला गया वहां से भी कांग्रेस के मेम्बर जीत कर नहीं आये ।

श्री मानसिंह महार--बाद में कांग्रेस में शरीक हो गये ।

श्री रामकिशोर व्यास--बाद में तो आप भी हो जायंगे । जिस वक्त खोला गया उस वक्त तो कांग्रेस मेन नहीं थे ।

श्री मानसिंह महार--वे इसी आश्वासन पर कांग्रेस में आये ।

श्री रामकिशोर व्यास--तो इस तरह सुमेरपुर से कांग्रेस मेन नहीं जीत कर आया, राजसमंद से भी कांग्रेस मेन जीत कर नहीं आया । मौलासर के बारे में सेठ साहब के लिये कहते हैं तो वे भी कांग्रेस के मेम्बर नहीं थे अब कांग्रेस में आये हैं ।

श्री एच० के० व्यास--मौलासर के तो आपके चीफ व्हिप हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास--जोधपुर में इतने विकास खण्ड खोले गये हैं वहां जोधपुर से तो सिर्फ चार ही कांग्रेस की सीट्स थीं । तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ऐसा सिद्धान्त जैसी कि आप कल्पना कर रहे हैं वह नहीं है, अगर आपके दिमाग में ऐसी बात है तो उसको निकाल दीजिये । विकास खण्ड किस आधार पर खोले जाते हैं इसकी तीन चार बातें माननीय मित्र ने बताईं, उसी आधार पर खोले जाते हैं । सीकर जिले में जो आधार उन्होंने बताया वह सही है और वहां लागू नहीं होता पर हमें यह उसूल अख्त्यार करना पड़ा कि जहां इर्रिगेशन की कमी है, सिंचाई के साधन नहीं हैं, वहां अगर विकास केन्द्र नहीं खोले जायंगे तो एक जिले को विकास केन्द्र मिल जायंगे और ऐसे जिले इनसे वंचित रह जायंगे । अब खास प्रिंसिपल एडोप्ट किया गया है कि राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक विकास खंड खोला जाना चाहिये । इस उसूल से सीकर में विकास केन्द्र खोला गया है ।

[श्री रामकिशोर व्यास]

दूसरा सवाल आया रामगढ़ के बारे में पहले हमारा यह उसूल था कि हर डिस्ट्रिक्ट में विकास केन्द्र खोला जाय, अब आपका यह हुक्म है कि हर तहसील में विकास खण्ड खोले जायं तो आपके इस हुक्म की भी हम तामील करने वाले हैं ।

पहली मर्तबा सीकर में खोला गया, उस समय रामगढ के लिये रिकमन्ड किया गया था, नीम के थाने के लिये नहीं किया गया था ।

श्री भैरूं सिंह--श्री माधोपुर और रामगढ के लिये रिकमंड किया गया था ....

श्री रामकिशोर व्यास--डेवलपमेंट कमेटीज़ ने जिस जगह खोलने के लिये रिकमन्डेशन भेजी वहां पर खोला गया । रामगढ़ की रिकमन्डेशन नहीं की ।

श्री भैरूं सिंह--वे करेंगे भी नहीं ।

श्री रामकिशोर व्यास--यदि वे नहीं करेंगे तो हम करेंगे । इसलिये सीकर जिले की यह बात नहीं । जो ब्लॉक खोले गये वे किसी आधार पर खोले गये । जैसा मैंने पहले अर्ज किया उन्ही कारणों के अनुसार आमेर, और बैराठ में नहीं खोले गये ।

कुछ बातें और, इररेगुलेरिटीज़ बताई गई । तकाबी के बारे में कहा गया कि लोगों को कुछ रुपया दिया गया और वह रुपया तकाबी के कार्य में खर्च नहीं किया गया और उसका उपयोग किसी दूसरे कार्य में किया गया । अगर ऐसी बात है जैसा कि आपने बताया तो इसके लिये डेफिनेटली इन्क्वायरी करेंगे क्योंकि सरकार की यह मंशा नहीं कि जो रुपया जिस काम के लिये लिया जाय उसके लिये उसको उपयोग नहीं किया जाय । इसके लिये जो कार्यवाही करने की होगी, की जावेगी इसके लिये मैं आपको इत्मीनान दिला सकता हूं ।

दूसरी बात श्रमदान की कही गई । मैं यह कहूंगा कि पब्लिक काफी संख्या में इस कार्य के लिये सहयोग दे रही है । आपने फरमाया कि यह श्रमदान नहीं शर्मदान है ऐसी बात नहीं है । लोग-बाग अपने गांवों में सहयोग देते हैं और इस श्रमदान से काफी काम हुआ है । काम नहीं हुआ हो ऐसी बात नहीं है । सैंकड़ों, हजारों कुए, तालाब आदि बनाये गये फिर वे कहां से बन गये, अगर श्रमदान नहीं दिया गया ?

श्री मानसिंह महार--वे बन कर टूट भी गये ।

श्री रामकिशोर व्यास--जो बनते हैं वे टूटते भी हैं । जो दौड़ता है वह गिरता भी है फिर उठता है और फिर दौड़ने लगता है । इसी प्रकार बनने और बिगड़ने और फिर बनने का सिलसिला जारी रहता है ।

इसके अलावा कुछ ऐसा कहा गया है कि प्रोजेक्ट में मोटरों का बहुत दुरुपयोग होता है । मगर मैं यह कहूंगा कि कमिश्नरों को यहां पर वक्तन फवक्तन काम के लिये आना पड़ता है । इसके अलावा

Page No 78

[श्री रामकिशोर व्यास]

एक डिविजन में एक जीप कार दी जाती है फिर भी यदि कोई इसका दुरुपयोग होता है तो सरटेनली उसको ठीक करने की कोशिश की जावेगी ।

श्री मानसिंह महार—मेरा मतलब स्पष्ट प्रोजेक्ट की जीपों से है । अफसर बहुत बार इसका दुरुपयोग करते हैं और ले कर आते हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास—एक ओफिसर सांगानेर से किसी काम के लिये आता है तो उसको आना ही पड़ेगा । अफसर अपने ब्लॉक से किसी काम के लिये आते हैं तो वे तो आपको यहां पर दिखाई देंगे ही । मगर जहां तक उनकी गड़बड़ी को ठीक करने की बात है उसके लिये निश्चित रूप से ठीक करने की कोशिश की जावेगी ।

दूसरी बात यह भी हो सकती है कि जीप खराब हो जाती है तो गेरेज में ठीक होने के लिये भी आती है तो ऐसी हालत में आप उसको देख सकते हैं । अगर किसी भी तरह से उसका मिसयूज़ होता है तो हम आपसे सहमत हैं ।

इसके अलावा दूसरी बातों में आश्वासन वाली बात है, वह बहुत कम आश्वासन देते हैं जब काम होगा तभी देंगे ।

श्री मानसिंह महार—वह उम्मीद है ही नहीं ।

श्री रामकिशोर व्यास—फिजूल आश्वासन देने से क्या मतलब ?

मैं निवेदन कर रहा था कि ब्लॉकों में काफी काम हुआ है और फिर भी आप लोग जो सुझाव देंगे उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे । इसकी वजह यह है कि बजट पुट अप हुआ, सेन्टर से मंजूरी नहीं आई थी इसलिये आपके सामने रखा है । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो आपने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं वापिस ले लेंगे ।

श्री एच० के० व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मुझे कुछ जवाब नहीं देना है, वोट ले लें ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री एच. के. व्यास ने रखा है स्वीकार किया जाए ।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री भैरूंसिहजो ने प्रस्तुत किया है स्वीकार किया जाए ।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि जो मांग संख्या ५०-श्री रामकिशोर व्यास ने प्रस्तुत की है वह स्वीकार की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५१-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

श्री भोगीलाल पंड्या—माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ५१, लेखे का शीर्षक ७२—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के संबन्ध में संघनित निधि में से ३१ अक्टूबर, १९५६ को समाप्त होने वाली अवधि में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रु० १००० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved. Shri H.K. Vyas.

श्री एच० के० व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, एक विचित्र स्थिति पैदा होने जा रही है। अगर इसका आप स्पष्टीकरण कर दें तो उचित होगा । चार बज गये हैं और अभी तक बहुत सी महत्वपूर्ण मांगें बाकी हैं और खास कर शिक्षा विभाग की मांग बाकी है । और तो बाकी हैं सो हैं, मगर शिक्षा विभाग के मंत्री जी को तो एक-आध बार हाउस में खटपट होने का मौका मिले । इसलिये थोडा सा समय कल के लिये बढ़ा दिया जाए । इसके पहले कि मैं अपना कटोती का प्रस्ताव इस सिलसिले में मूव करूं आप इसका स्पष्टीकरण कर दें तो उचित होगा क्योंकि आज ही गुलेटिन एप्लाई होगा ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—आज तो गुलेटिन एप्लाई नहीं होना चाहिये महाराज ।

श्री एच० के० व्यास—अभी तो बहुत महत्वपूर्ण मांगे बाकी हैं । अगर गुलेटिन लग जाएगा तो इसका मतलब यह होगा कि शिक्षा मंत्रीजी को यहां आने का कोई मौका नहीं मिलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—आप थोड़े समय म ही मांग पेश करें ।

श्री एच० के० व्यास—हर साल इसके लिये दो दिन दिये जाते हैं । इस साल सिर्फ एक ही दिन दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—दो दिनों से मांग डिस्कस हो रही है ।

श्री एच० के० व्यास—हर साल दो दिन इसके लिये निश्चित होते हैं । अब की बार विशेष स्थिति यह क्यों निर्माण की जा रही है ? ऐसी क्या बात है ?

श्री उपाध्यक्ष—ऐसी बात नहीं है ।

श्री एच० के० व्यास—अगर शिक्षा मंत्रीजी यहां पर सदन में नहीं पधारेंगे तो लोग समझेंगे कि डर कर भाग गये । तो आप उनकी मदद के लिये·········

Page No 80

श्री उपाध्यक्ष—अच्छी बात है। आप तो इसमें देरी न करें।

श्री एच० के० व्यास—तो फिर मैं दो तीन मिनट में ही अपना प्रस्ताव पेश कर देता हूं।

पांच लाख रुपया उद्योग विभाग द्वारा गंगानगर के शक्कर के कारखाने के शेअर खरीदने में खर्च कर दिये जो शेअर खरीदे हैं वे पोद्दार, बाफना प्राईवेट लिमिटेड के नाम से हैं। और वह कंपनी है श्री रामनाथजी पोद्दार की। वे शेअर्स जो हैं उनकी १४ लाख बुक वेल्यु है, उसकी मारकेट वेल्यू कितनी है यह तो उद्योग विभाग के मंत्रीजी ही बतायेंगे। उन्होंने उसकी मारकेट वेल्यू पता लगाने की कोशिश की या नहीं, यह तो वे ही बतायेंगे। यह कारखाना जिस समय सरकार ने लिया उस समय ६ लाख रुपये एग्रीगेट लोस था। उस पर भी उद्योग मंत्रालय उनको पांच लाख रुपये दे बैठा और अब ज्यादा से ज्यादा दस लाख देने का कबूल कर लिया गया है इसके लिये श्री अजीतप्रसाद जैन को मध्यस्थ मुकर्रर किया गया है जो कुछ भी वे फैसला देंगे वह मान्य होगा। ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, यह कहां तक सही है यह तो माननीय मंत्रीजी बतायेंगे। पांच लाख रुपये देन में कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया, मारकेट वेल्यू नहीं आंकी गई, रिटर्नस कितने आने वाले हैं इसकी कोई कल्पना नहीं। एक जमाना था जब इसी के तीन लाख रुपये देने की बात चल रही थी, उस तीन लाख से बढकर अब पांच लाख हो गये। यह खुद मंत्री जी के विचार थे कि इसके तीन लाख रुपये दिये जाय, एक जमाना वह भी था। इस पर मेरा निवेदन है कि इसमें जो पैसा लगाया गया उसमें खबरदारी नहीं बरती गई इसलिये मेरा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत है।

श्री उपाध्यक्ष—श्री भैरूसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भोगीलाल पंडया—माननीय उपाध्यक्षजी, जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा मेसर्स पोद्दार बाफना लिमिटेड के १४ लाख २८ हजार रुपये में ४६१ शेयर्स खरीदे हैं जिसका अनुमानित मूल्य पांच लाख रुपये कोन्टिजेन्सी फंड में से पेशगी दे दिये गये हैं। कोन्टिजेन्सी फंड में इस रकम को वापिस लेना आवश्यक है और यह रकम एप्रोप्रियेशन द्वारा चुकायी जावेगी इस दृष्टि से एक हजार रुपये की टोकन ग्रान्ट मांगी गई है।

इस संबंध में केवल एक बात बतायी गई कि पहले इस कारखाने को लेने के लिये तीन लाख रुपये की बात चल रही थी और अब पांच लाख रुपये पहले ही पेशगी दे दिये गये। मेरे मित्र ने जो बात कही वह ठीक है लेकिन जिस समय तीन लाख की बात चली उस समय वह मिल बन्द थी, उस समय तीन लाख में लेने की बात थी। लेकिन पिछले साल इसमें हमें छः लाख रुपये का मुनाफा रहा और हमें इस साल करीब आठ नौ लाख का मुनाफा होने की आशा है। वैसी सूरत में हमने पांच लाख रुपया पेशगी दिया। यह बात हमने बहुत सोच विचार के बाद तय की। गत वर्ष सरकार की तरफ से यह प्रयत्न किया गया तो काफी लाभ हुआ, तो सरकार ने सोचा शेयर्स क्यों न खरीद लें। यह बात हमने सब तरह से जांच पड़ताल करके की ताकि हमें घाटा न हो। इस जांच करने में हमें एक साल लग गया, बीच में हमें यह भय हो गया था कि कहीं तीसरा साल भी एसे न निकल जाय और जमींदारों को अपने गन्ने का पैसा न मिले और जो शक्कर का उत्पादन है उसमें कमी न हो जाय, सरकार ने हिम्मत के साथ यह कार्य किया यदि इस प्रका का कदम नहीं उठाती तो मिल भी नहीं चलती। उस मिल के चलने से सरकार को लगभग ८-९ लाख रुपये

[श्री भोगीलाल पंड्या]

का लाभ हुआ है और जमींदारों का लाखों मन गन्ना बिक पाया। जैसा कि माननीय मित्र ने बताया, किसी समय तीन लाख की वेल्यू आंकते थे उसके बाद पांच लाख पर पहुंच गये। अगर वह नहीं चलता तो तीन लाख भी देना ठीक नहीं था। आज जब कि ९ लाख की आमदनी है तो पांच लाख पेशगी दे दिया गया, यह गवर्नमेंट ने आवश्यक समझा। यह वेल्यू आपस में बातचीत करके तय हो गई थी कि पांच लाख रुपये गवर्नमेंट दे। इससे ज्यादा रुपये देना ठीक नहीं समझा क्योंकि मिल तो बन्द पड़ा था इसलिये श्री अजितप्रसाद जैन आरबिट्रेटर बनाया उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स द्वारा मालूम करके १४ लाख २३ हजार रुपये के शेअर्स खरीदे हैं। उनकी कीमत वे तय करेंगे, वे एक्सपर्ट्स जांच करवा कर तय करेंगे वह पांच लाख से तो ऊपर होंगे। इसकी बुक वेल्यू और मारकेट वेल्यू भी जानने का प्रयत्न किया है यह उसी फाइल पर है जिसका जिक्र माननीय मित्र ने किया।

तीसरी बात है उसमें हमें मुनाफा हो रहा है और वह रुपया तो हमको देना था। अगर हम ऐसा नहीं करते तो जमींदारों का नुकसान होता, मिल बन्द रहती, शक्कर का उत्पादन नहीं होता ·····

श्री मुक्तिलाल मोदी—जितना रुपया उनको दिया गया उतना रुपया लगा कर दूसरी मिल भी खोली जा सकती थी ?

श्री पंड्या—माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिये कि दूसरी मिल गंगानगर तहसील में खोली जा रही है और वह भी किसानों की सहकारी समिति बनाकर खोली जा रही है।

चौथी बात यह थी कि हमें जमींदारों के हित को भी ध्यान में रखना था, लीज का समय था वह भी दो साल में खत्म हो गया होता, अगर मिल नहीं चलाते, मिल बन्द रहती, इसमें कई नुकसान होते। मने सारी बातों का स्पष्टीकरण कर दिया है, आशा है माननीय मित्र अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस ले लगे।

श्री उपाध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं कोई जवाब देना नहीं चाहता वोट ले लिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री एच. के. व्यास ने रखा है मांग संख्या ४७ पर, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ५१, लेखे का शीर्षक ७२–औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के संबन्ध में संघनित निधि में से ३१ अक्टूबर, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रु० १००० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ४७-विविध विभाग

श्री भोगीलाल पंडया—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ४७, लेखे का शीर्षक ४७-विविध विभाग के संबन्ध में संघनित निधि में से ३१ अक्टूबर, १९५६ को समाप्त होने वाली अवधि में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रु० १०० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष—Motion Moved. Shri Hari Krishna Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I don't want to move my cut-motion.

श्री भैरूंसिंह—मैं भी अपना कटौती का प्रस्ताव मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४७ लेखे का शीर्षक ४७ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४७ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान को मांग संख्या ४६-स्वास्थ्य

श्री बद्रीप्रसाद—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४६, लेखे का शीर्षक ३९-जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ अक्टूबर, १९५६ को समाप्त होने वाली अवधि में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रुपया २००० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष—Motion Moved. Hari Krishna Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I don't want to move my cut-motion.

श्री उपाध्यक्ष—श्री भैरूंसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४६ श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने प्रस्तुत की है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४६ स्वीकार की गई।

(विराम)

मांग संख्या ४५ श्री मोहनलाल सुखाडिया।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४५-शिक्षा

श्री बद्रीप्रसाद (श्री सुखाडिया की अनुपस्थिति में)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदानों के लिये मांग संख्या ४५ लेखे का शीर्षक ३७ शिक्षा के सम्बन्ध में संघनित निधि में से ३१ अक्टूबर, १९५६ को समाप्त होने वाली अवधि में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रुपया ३००० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved. Shri Hari Krishna Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस में १००) की कटौती की जावे और इसका पहला कारण तो यही है कि मांग प्रस्तुतकर्ता महोदय यहां मौजूद नहीं हैं। उनको मालूम है कि जो मांग इतनी पोलपट्टी की है उसको पेश करने से पहले यहां से चले जाना ही श्रेयस्कर है।

चूंकि समय कम है इसलिये मुख्य मुख्य मदें ही मैं प्रस्तुत कर देता हूं।

दूसरा कारण यह है कि पाठ्य पुस्तकों के लिए एक राष्ट्रीयकरण बोर्ड नियुक्त किया गया है। उसका ऐसा अजब काम शुरू हुआ है कि उन्होंने सबसे पहले तो ओथर्स के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया कि कौन लेखक है तो जो लेखक हों वे अपना नाम हमारे यहां रजिस्टर कराएं। मेरे खयाल से हजारों लाखों नाम पहुंच गये होंगे उनके पास। फिर वह काम बन्द कर दिया गया। अब सिलेबस तय कर दिया और चन्द लोगों को कह दिया गया है कि पुस्तकें लिखो। सिलेबस पर भी एजकेशनिस्ट एक्सपर्टों की राय नहीं ली गई और अब स्थिति और चल रही है कि पिछले वाला जो टैक्स्ट बुक का स्केन्डल हुआ उससे कहीं और भारी स्केन्डल किये जाने की तैयारियां की जा रही हैं। फिर यह राष्ट्रीयकरण की बात और उसके लिये बोर्ड बनाने की बात जो है उसको तो जाने दीजिये। मुख्य मन्त्री महोदय यहां से भागे क्यों इसके पचासों कारण और हैं और वे ये हैं कि पिछली बार इस सदन में एक चर्चा हो रही थी। उस समय मुख्य मन्त्री महोदय ने बड़े जोरों से ऐलान किया, मेरा खयाल है १८ व १९ मई की वह बात है, कि सरकार ऐसी कच्ची पक्की थोड़े ही है और उसने यह तय कर लिया कि फ्रान्टियर पब्लिकेशन्स की एक किताब थी, वह क्या ? हिन्दी बाल विनोद, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है और इसका निर्णय कभी ले चुके। अब वह कभी ले चुके यह बात कही १९ मई, १९५६ को। लेकिन वह जो कभी ले चुके वह निर्णय जुलाई के महीने में जाकर एजूकेशन सेक्रेटरी महोदय शाया करते हैं। मई से जुलाई तक क्या हुआ इसका कोई पता नहीं। जुलाई के महीने में एक सीक्रेट सरकूलर शाया होता है डाइरेक्टर आफ एजकेशन को और इसके जरिये फिर और दूसरे इन्स-पेक्टरों को कि यह किताब जो है उसकी खरीददारी बन्द कर दी जावे। तो यह सीक्रेट सरकूलर क्यों शाया हुआ ? और मई से जुलाई तक क्या हुआ ? क्योंकि जून जुलाई में लड़के किताबें खरीदते हैं लेकिन तब तक तो सरकार ने कोई आर्डर जारी नहीं किया और जुलाई का आर्डर जब पहुंचा तो वह भी सीक्रेट और फ्रान्टियर पब्लिकेशन्स को इत्तला भी नहीं कि वह किताब ब्लैक लिस्ट करदी गई है। ताकि वह कार्यवाही बन्द करने की करे। वह तो बाजार में किताब लेकर चलता ही था। अगस्त में नेशनलाइजेशन बोर्ड की तरफ से उसे एक चिट्ठी मिलती है १८ अगस्त को कि तुम्हारी किताब

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

में अमुक अमुक खामियां हैं इसलिये इसका प्रिंटिंग दुरुस्त कराकर दूसरा एडीशन पेश करो । जुलाई में तो सरकार सरकूलर निकालती है कि तुम्हारी किताब नामन्जूर । और अगस्त में नेशनेलाइजेशन बोर्ड लिखता है दूसरा एडीशन पेश करो और फिर उस पब्लिशर ने दिया नोटिस सरकार को तो सितम्बर के महीने में वापिस हुक्म निकाल दिया कि इस साल वह किताब चालू रक्खो, ब्लैक लिस्ट नहीं की । अगले साल भी नहीं करेंगे । मेरा तो यह कहना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इतने दिन तो अकेले मथुरादासजी का ही मामला था पर अब ऐसी स्थिति सामने आ गई है कि हमारे माननीय मुख्य मन्त्री श्री सुखाड़ियाजी का भी मामला डवलप हो गया है इस मामले में । इस ढंग से काम किया कि हाउस में तो ऐलान कर दिया कि वह पुस्तक ब्लैक लिस्ट कर दी गई है, अब बन्द है । दूसरी ओर उस पुस्तक वाले को इस बात की सूचना नहीं दी । नेशनेलाइजशन बोर्ड को सूचना नहीं दी । मतलब उनकी नीयत तो उसे चालू रखने की थी और बाद में जब सीक्रेट सरकूलर निकाला तब भी उसकी सूचना नेशनेलाइजेशन बोर्ड को नहीं दी । वित्त मन्त्री महोदय नोट कर रहे हैं और वैरीफाई कर रहे हैं तो वे वैरीफाई कर लें ये सब फैक्ट । अगर वहां से वैरीफाई नहीं हो पाये हों सब तो मैं अपने साथ लाया हूं सब फैक्ट । मैं वैरीफाई करा सकता हूं उनको । और इसके बाद में फिर यह आता है कि वह इस साल के लिये चालू रक्खी जावे । अब एक तो किताबें बिकीं सो बिकीं ही, उसका नुकसान होने का अन्देशा था वह तो हुआ ही और अब मान लीजिये बन्द करते हैं तो पब्लिशर कह दे ऐसे कैसे भले हो जो अब एक हुक्म देते हो इतनी देर बाद जब कि इकरारनामे में काफी समय पहले सूचना देनी थी तो इसके बारे में कानूनी कार्यवाही करें तो कह देंगे कि कानूनी कार्यवाही की स्थिति बन गई थी इसलिये मजबूरन उसे रखना ही पड़ा । तो कह क्या दिया सरकार ने । नीयत क्या है इसकी ? इसके बारे में खुलासा करें । यह तो पाठ्य पुस्तकों के बारे में एक प्रकरण हो गया ।

अब दूसरा प्रकरण और सुनिये । वक्त को देखते हुए मैं मुख्य मुख्य बातें ही कहता जाता हूं, वित्त मन्त्रीजी नोट कर लें । इसी प्रकार से पिछले सत्र में प्रश्न आया कि जयपुर के डिप्टी डाइरेक्टर महोदय हैं, तिवारीजी उनका नाम है, उन्होंने अचानक एक सरकूलर निकाल दिया कि भारत सरकार का पब्लिकेशन है वह दस फी सदी कमीशन पर जय अम्बे से खरीदें । उनका सरकूलर निकलने पर इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स दादा साहब ने करीब चालीस पचास हजार की किताबें यहां खरीदीं । १० परसेन्ट के हिसाब से खरीदीं और उन के दफ्तर में ऐसे टेन्डर मौजूद थे जिसमें एक फर्म ने यह आफर दी थी कि हम १९ परसेन्ट कमीशन देने को तैयार हैं । १९ परसेन्ट देने को तैयार हैं । पर फिर भी जय अम्बे से दस परसेन्ट से खरीदी । १९ परसेन्ट में देने वाली फर्म भी यहीं की थी । वह लगभग विधान सभा में बहस हो रही थी तब यह प्रश्न यहां पर मैटर के रूप में आया । तो माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने ऐलान किया कि वह सरकूलर जो आप बताते हैं विदड्रा कर लिया गया है । और दर असल उसे विदड्रा करने की नीयत भी थी और हिदायत भी दे दी पर न मालूम किसको दी । आपने डिप्टी मिनिस्टर को भी नहीं दी क्योंकि यहां से कह कर तो चले गये दौरे पर और फिर डिप्टी मिनिस्टर महोदय के पास कागज गये तो असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, एजूकेशन, पब्लिशर के साथ जाता है दिल्ली और भारत सरकार से वहां के विभाग से एक चिट्ठी लिखवा कर लाते हैं कि हम प्राइवेट किसी पार्टी को साढ़े सत्रह परसेन्ट से ज्यादा कमीशन देने की स्थिति में नहीं हैं । उस चिट्ठी को मिसयूज करते हैं ।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

राजस्थान की स्कूलें प्राइवेट पार्टी नहीं हैं । पर प्राइवेट पार्टी के लिये जो पत्र है उसका मिसयूज करके डिप्टी मिनिस्टर साहब आर्डर देते हैं कि इस फर्म से साढ़े सत्रह परसेन्ट से खरीदली जावें । और इसके मुताबिक डिप्टी सेक्रेटरी दलेला के यहां से तार उडते हैं २२, २४ तारीख के लगभग और वे तार उडते हैं तो साढ़े सत्रह परसेन्ट में भी कोई गंगापुर और और जगह दो तीन हजार की पर्चेज और हो जाती हैं । वही भारत सरकार के पब्लिकेशन १० परसेन्ट के हुए और अब साढे सत्रह परसेन्ट के हुए । अब आगे चलिये २८ तारीख को सुखाड़ियाजी दौरे से वापिस आये और यह देखा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो मुझसे कहा था कि यह कम किया जायगा और ३० तारीख को वापिस आर्डर जाता है कि यह केन्सिल किया जाता है और अब कोई प चेजेज नहीं की जाय चाहे पैसा लेप्स हो जाय । ३० तारीख को उनसे मिलने कुछ लोग आते हैं । उस पब्लिशर को लेकर उनके घर जाते हैं, और उनके घर पर बैठकर बातचीत होती है तो ३१ तारीख को ८ बजे वापिस सुखाड़ियाजी आर्डर करते हैं कि सवा तेतीस परसेन्ट के हिसाब से वे ले ली जायं । फिर एक इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के दफतर में एक सफेद बल्ब लगता है टेबिल पर और एक दो बजे तक बिल बनाये जाते हैं फिर दलेला साहब को साढ़े तीन बजे रात को उठाकर दस्तखत होते हैं और उसी दिन पेमेन्ट होता है, क्योंकि पब्लिशर दिल्ली में चेक दे आया था । उस चेक का पेमेन्ट वहां होता । गवर्नमेंट आफ इंडिया को चेक दिया तो बैंक ने उसको यह लिखकर वापिस कर दिया कि "Refer to the drawer" । वहां से एक आदमी आया और हिन्द होटल के कमरे में ठहर गया । उसने कहा कि पेमेन्ट करो नहीं तो पहली तारीख को हथकड़ी लगने को थी । उसको हथकड़ी से बचाने के लिए यह किया गया । इस प्रकार से ६०-७० हजार रुपयों की परचेजेज होती हैं ।

इसी तरह से जोधपुर में एक इंसपेक्टर ऑफ स्कूल्स थे । उनका आर्डर नहीं था लेकिन उनको २० हजार की किताबें सप्लाई हो गई । तो ३१ मार्च, अप्रेल, मई, जून, जौलाई और अगस्त, तक इतने महीने तो वे किताबें पड़ी रहीं पेमेन्ट हुआ नहीं । श्री शंभूलाल जी यहां गये डिप्टी डाइरेक्टर होकर और उसी महीने में पेमेन्ट २२ हजार रुपयों का और होगया उन्हीं किताबों का । गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन्स के अन्दर रामकृष्ण परमहंस के सेट दिये गये हैं । यह कहां का गवर्नमेण्ट आफ इंडिया का पब्लिकेशन है ? अगर आप लोगों की सिफारिश नहीं मानने को तैयार हों तो गवर्नमेण्ट आफ इंडिया के नाम से बिल बनाये गये हैं और रामकृष्ण परमहंस के पब्लिकेशन सप्लाई होते ह, लेकिन कोई एक्शन नहीं ? १० परसेंट में वही परचेजेज, १७॥ परसेंट में वही परचेजेज और ३३-$\frac{1}{3}$ परसेंट में वही परचेजेज । एक मिडिल स्कूल में एक एक किताब के ३, ३ सेट सप्लाई किये गये हैं यानि आन्धाधुन्ध काम हुआ है, चाहे वहां पर उसकी कोई आवश्यकता हो या नहीं, लेकिन उनको एक फर्म को मदद देना है ।

आज यह स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बता दू कि वह यह कोशिश कर रहे हैं कि वह ३३-$\frac{1}{3}$ परसेंट जो कटा था उसकी भी रिफण्ड लेलें । यह इस विभाग की हालत है कि जहां पर डिप्टी एजूकेशन मिनिस्टर एक दूसरा हुक्म दे और फिर मुख्य मंत्री जो कि एजूकेशन मिनिस्टर भी हैं, दूसरा हुक्म दे देते हैं । फिर रात को एक मंत्री के घर जाते हैं और आधी रात को बिल पास होते हैं जब कि ६-६ महीने में बिल पास होते हैं । और यह सब किस लिये ? वह जो पैसा था वह तो लाइब्रेरीज के लिये

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

किताबें खरीदने के लिये था, उपाध्यक्ष महोदय, वह किताबें दूसरे लोगों से लेनी थीं। । उनके टेण्डर मंजर हो चुके थे और फरवरी में उनको आर्डर प्लेस किया हुआ था। वह तो ताकते रह गये। वह पहले मंजूर कर लिया था लेकिन उसके एप्रोप्रियेशन के लिये फाइनेंस ने सेन्क्शन नहीं दी।

अब क्या बताऊं, थोड़ा वक्त देना चाहता हूं जवाब के लिये। इसलिये मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह तो जाने दो। लेकिन गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया का "समाज कल्याण" नाम का मन्थली मेगेजीन निकलता है। उसकी २०० कापी जयपुर में, यहां से आर्डर हुआ और ८५ कापीज के लिये जोधपुर से आर्डर हुआ वह आर्डर उनके सेलिंग एजेन्सी की एक फर्म ले गई लेकिन मन्थली मेगेजीन सप्लाई नहीं किये। आप पूछिये कि 'समाज कल्याण' गवर्नमेण्ट आफ इंडिया का पब्लिकेशन है उसके सेलिंग एजेण्ट उसका आर्डर ले गये। दो इंसपेक्टोरेट्स का तो मैं आपको बताद् कि करीब ३०० कापीज का आर्डर ले गये। उनसे पूछा तो मालूम हुआ कि सप्लाई करने के लिये टेण्डर दिये मगर सप्लाई नहीं किया और उनको अरनेस्ट मनी भी वापिस दे दी और हाई रेट से वह मेगेजीन लिये। आज वे डिप्टी डाइरेक्टर उनकी मोटर में बैठ कर दनादन घूमते हैं। आप सरकार चला रहे हैं या शाक भाजी की दूकान लगा कर बैठे हैं कि दो आने वापिस किये और डेढ़ आने के पैसे में ले जाइये। यह सरकार है या बनिये की दूकान ?

वक्त में थोड़ा सा उनको देना चाहता हूं। सिर्फ एक बात कह कर मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दूंगा कि उस दूकान पर इतनी महरबानी है कि एक पाठ्य पुस्तक का मामला है। वह पाठ्य पुस्तक एजूकेशन डिपार्टमेण्ट द्वारा मंजूर की हुई है। उसमें एजूकेशन डिपार्टमेण्ट की छाप लगी हुई। यह किताब आप देख लें इसमें २८ पोण्ड का कागज उपयोग में लाया जाय यह लिखा है, लेकिन इसके पिछले ४ पेज २२ पौण्ड के कागज के हैं। इस किताब की ५-६ हजार कापियां इस फर्म ने छाप कर बांट दीं। और अधिक पैसा ले लिया। इसकी शिकायतें हुई, लेकिन क्या कार्यवाही हुई ? यह मुलाहिजा करना हो तो सदन की मेज पर यह कापी प्रस्तुत है। यह मैं सदन की मेज पर रखूंगा। इसके ऊपर लिखा है बीकानेर प्रकाशन, किसी में वही जय अम्बे प्रकाशन रखा है और किसी में दूसरा प्रकाशन करा है। नाम, पता, ठिकाने अलग अलग हैं लेकिन है वही का वही। आजकल नेशनल प्रेस नाम की एक चीज और मशहूर होगई है। उनका भी उसमें हाथ रिमोटली है, डाइरेक्टली नाम नहीं है ट्रांन्जेक्शन के नतीजे से निकलता है, दुनियां को मालूम है, उपाध्यक्ष महोदय। इसलिये मैं पूछूंगा कि इन परचेजेज के बारे में, किताब के ब्लेक लिस्ट के बारे में, कुछ जवाब देना चाहिये। जब यहां सदन में आश्वासन दिया गया था तो डिप्टी मिनिस्टर को क्या पड़ी थी कि इस प्रकार का आर्डर दे ? चीफ मिनिस्टर जो कि एजूकेशन मिनिस्टर भी हैं उन्होंने आश्वासन दिया था। उनके खुद की इन्टेग्रिटी का भी क्या भरोसा ? ३० तारीख को वे आते हैं और आर्डर दिया कि सारे परचेजेज बन्द कर देने चाहियें लेकिन फिर ३३$\frac{1}{3}$ परसेन्ट पर मंजूर कर लिया। यह गोलमाल नहीं, गड़बड़ नहीं, अन्याय नहीं, लोगों के साथ ज्यादती नहीं, तो क्या है ? मैं उनको मौका देना चाहता हूं जवाब देने का। वैसे मेरे पास बहुत से मसले हैं लेकिन समय को देखते हुए जरा अपने आप को रेस्ट्रेन करता हूं। यह किताब म सदन की मेज पर प्रस्तुत करते हुए अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। इस किताब के आखरी ४ पेजेज २२ पौंड के कागज के हैं।

Page No 87

श्री उपाध्यक्ष--श्री भेरूसिंह ।

श्री भेरूसिंह--मैं मूव नहीं करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--Reply.

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप-मंत्राणी)-उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपके सामने शिक्षा के सम्बन्ध में एक कट-मोशन रखा गया है और उसमें विभाग में हुई कुछ इर्रेगूलेरिटीज के बारे में एक सदस्य महोदय ने दृढ़ जानकारी के साथ प्रकाश डाला । मैं इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना चाहूंगी कि जिससे उनके बारे में जो सदन में बातें कही गई हैं वे साफ हो सकें ।

सबसे पहले आपने एक पुस्तक के ब्लेक लिस्ट के बारे में कहा था, और यह कहा कि इस पुस्तक को ब्लक लिस्ट कर दिया गया था लेकिन बावजूद इसके वह किताब खरीदी गई । फर्म को नोटिस नहीं दिया गया और इसका पब्लिक में नोटिफिकेशन नहीं किया गया । उसके बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह हुक्म दिया था कि इस किताब को ब्लेक लिस्ट कर दिया जाय और इसके क्लासेज में व स्कूलों में खरीद किये जाने की मनाही कर दी जाय······

श्री हरिकृष्ण व्यास--कौनसी तारीख को ?

श्रीमती बेनीवाल-मैं थोड़ा सा कह दूं, फिर बाद में आप बोल लें, या पहले सब बोल लेते तो ज्यादा अच्छा होता ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तारीख बतलादें । वह ज्यादा मैटिरियल है ।

श्रीमती बेनीवाल--तारीख याद नहीं है । फैक्ट बतला रही हूं, उसके आधार पर कन्क्लूजन निकाल लें ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तारीखें भी साथ में बतलाती जायं ।

श्रीमती बेनीवाल-उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य बीच में न बोलें तो उत्तम होगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--साफ बात कहिये ।

श्रीमती बेनीवाल-किताबों के बारे में पैसे का दुरुपयोग होने के प्रति सरकार सचेत थी इसीलिए उस किताब को रोकना चाहा था और उसके बारे में हुक्म भी दिया गया था लेकिन कानूनी पोइन्ट एक ऐसा उठा था कि जिसके कारण से इस किताब को ब्लेक लिस्ट नहीं किया जा सका क्योंकि किताब के ब्लक लिस्ट के लिए तीन महीने का नोटिस दिया जाना था, अगर इस प्रकार का नोटिस नहीं देते तो किताब वाले हाई कोर्ट में इस मामले को लेजा सकते थे । अगर नोटिस देते तो उतना टाइम नहीं था, किताब खरीद चुके थे, सेशन प्रारम्भ हो चुका था । तो कानूनी दिक्कत होने से किताब को ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया । लेकिन फर्म को जरूर ब्लेक लिस्ट किया गया । यह भी कहा जाता है कि फर्म को नोटिस नहीं दिया गया । मैं उनकी जानकारी के लिये बता दूं कि यह बात सही नहीं है । एजूकेशन डिपार्टमेंट से नोटिस

[श्रीमती कमलाकुमारी बनावाल]

दे दिया गया। यह कहा गया कि पब्लिक नोटिफिकेशन के लिए कहा गया। उसके लिये मैं यह कहना चाहूंगी कि जो पब्लिक नोटिफिकेशन के कायदे हैं उसके अनुसार इस तरह का पब्लिक नोटिफिकेशन नहीं होता, इस प्रकार की चीजों के लिए कान्फिडेन्शियल रिपोर्ट दे दी जाती है और इस प्रकार से सारा प्रोसेस कर लिया गया। इस किताब के ब्लेक लिस्ट के बारे में जो स्पष्टीकरण करना था वह मैंने कर दिया। चूंकि यह कानूनी तौर पर नहीं किया जा सकता था इसलिये इसको नहीं किया गया लेकिन फर्म को ब्लेक लिस्ट कर दिया गया। जो पीछे के एन्गेजमेंटस हैं, कानूनी तौर पर करने चाहिये थे वे कर दिये गये हैं। इस संबंध में यह मेरा स्पष्टीकरण है।

किताबों की खरीद के बारे में जय अम्बे प्रेस के बारे में कहा गया। उसके बारे में मैं यह कहना चाहती हूं जय अम्बे के पब्लिकेशन की खरीद का सवाल आखिर में आया और समय खत्म होने के वक्त यह केस मेरे सामने आया। जांच पड़ताल की तो पता लगा कि हालांकि गवर्नमेंट आफ इन्डिया से इस प्रकार का कोई सरकूलर नहीं किया हुआ था और मिसअन्डरस्टेंडिंग के आधार पर किसी इन्सपेक्टोरेट में किताबें खरीदी जा चुकी थीं। किताबें खरीदी जाने के बाद में और बीच के समय में कार्यवाही तमाम कर ली और यह हुक्म दिया गया था कि इसके आर्डर्स गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया से देने चाहिये, किसी फर्म के दिये हुए कागज को आथेन्टिकेटेड न समझें। इसलिये डिपार्टमेंट के आदमी को भेजकर लेटर मंगाया गया। लेटर में १० परसेन्ट लिखा हुआ था। इतना ही नहीं १७॥ परसेन्ट देने के लिये तैयार थे। हमने मालूम किया था कि कोई अधिक देने के लिये तैयार है। उसके बाद मेरे पास कोई इत्तला नहीं आयी इसलिये यह हुक्म दिया गया। उसके बाद राजस्थान पुस्तक मन्दिर वाले आये और कहा कि हम २५ परसेन्ट देने के लिए तैयार हैं। तो उसके बाद वह हुक्म स्टे किया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—..........स्कूल हैं, दूसरे स्कूलों में खरीदी गई हैं यह मैं आपकी सूचना के लिए निवेदन कर दूं।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जय अम्बे को १७॥ परसेन्ट पर हुक्म दिया गया था। कोई किताब नहीं खरीदी गई। दूसरे पब्लिशर का नोटिस नहीं आया था, अगर आया हो तो वह मेरी जानकारी में नहीं था। लेकिन जब यह केस मेरे सामने आया तो मैंने उस हुक्म को स्टे कर दिया था। जब मुख्य मंत्रीजी आये तो यह मामला उनके सामने पेश किया गया। गवर्नमेंट आफ इन्डिया जिस तरह स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पब्लिक रिलेशन आफिस को जिस आधार पर देती है उस आधार पर भी म समझती हूं कि ३३॥ परसेन्ट पडता है। बाकी कोई कन्सेशन नहीं दिया गया। जितनी इर्रेग्युलेरीटीज हो सकती थी उनको एवोइड करने के लिए हर एक स्टेप बरता गया। अगर उसमें कोई समय की कमी के कारण, कानूनी दिक्कत के कारण किसी चीज को पूरा नहीं उस वक्त किया जा सका था तो सदस्य महोदय को भी सोचना चाहिये था कि गवर्नमेंट का इन्टेन्शन तो हर चीज को सुधारना ही होता है। सारी चीजों को अगर शांतिपूर्वक स्टडी करें तो मैं समझती हूं कि आप यह सही समझेंगे कि जान-बूझ कर कोई इर्रेग्यूलेरिटी नहीं की गई और किस तरह से ऐसी बात कहना कि मुख्य मंत्रीजी शायद रुचि रखत हों यह आप जसे सदस्य को शोभा नहीं देता।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)--मैंने मूव किया है इसलिये मुझे भी थोड़ा कहने का हक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक पुस्तक के मामले में, ब्लेक लिस्ट करने के बारे में और जय अम्बे के लिए स्पष्टीकरण किया गया। मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जहां १० परसेन्ट कमीशन मिलता हो उसको केन्सल करके ३३॥ परसेन्ट हासिल करने में अगर कोई इर्रेग्युलेरटी की गई हो तो मैं परवाह नहीं करूंगा क्योंकि ३३॥ परसेन्ट मिला है। पहले जो मिला और उसके बाद २५ परसेन्ट की ओफर आयी और फिर ३३॥ परसेन्ट की ओफर आयी और उसके बिनाह पर पुस्तकें मिल सके तो हमने अच्छा ही किया। उसके बाद एक पुस्तक के बारे में कहा गया कि वह सदन को मेज पर रखता हूं और कहा गया कि लास्ट चार पेज स्पेसीफिकेशन माफिक नहीं जिसका ओर्डर दिया गया था। यह जो जानकारी आपने दी है तो उसकी जांच करायेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक महीने पहले रिटर्न कम्प्लेन्ट की जा चुकी है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—तो उसकी जांच जारी है। एक बात कही गई कि नेशनेलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स बोर्ड्स कोई प्रगति नहीं कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि प्रगति हो रही है। केरीकुलम सबमिट किया है। उसकी दस बारह मिटिंग्स हो चुकी हैं, नियम वगैरा बन चुके हैं जो कि गवर्नमेंट के पास मंजूरी के लिए भेजे गये हैं। उसके अलावा लिखने वालों का एक पीनल मंजूर किया है। सबसे योग्यतम लोगों को चुनकर पीनल मुकर्रर किया है। टेक्स्ट बुक लिखने की कार्यवाही अब शुरू करेंगे। बोर्ड ने काफी प्रगति की है और उससे हमको संतोष है। सदस्य महोदय को तो संतोष हो ही नहीं सकता है। इन दो बातों का स्पष्टीकरण मैंने कर दिया है। माननीय सदस्य को संतोष हो जायगा और वे कटौती का प्रस्ताव वापिस ले लेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी—यूनिवर्सिटी को या दूसरों को देदें (घंटी)·······

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री बृजसुन्दरजी को मुबारिकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। उन्होंने यह कहा कि १० परसेन्ट के बजाय ३३। परसेन्ट कमीशन मिल सका और उसकी कोशिश की गई तो वाह वाही और यह बात दरअसल होती तो मैं भी दिलोजान से कहता कि वाह वाही, वाह वाही। लेकिन पब्लिसिटी डिपार्टमेंट को ३३। परसेन्ट के हिसाब से पब्लिकेशन्स मिलते हैं उसकी एवज में उसके जरिये वो भारत सरकार से मंगाने के बजाय जहां ३३। परसेन्ट आपको एफ़्योर्ड है उसकी बजाय जय अम्बे कंपनी को दस परसेन्ट से आर्डर देना यह कहां तक उचित है और वित्त मंत्री जी शायद इस भरोसे रह गये कि वह पहले वाली फर्म और थी और दूसरी वाली और थी और तीसरी वाली और थी। बृजसुन्दर जी, जिस मामले को समझते नहीं, बीच में दखल देते हो तो गड़बड़ी में भी पड़े हो। दस परसेन्ट वाली भी जय अम्बे है, १७॥ परसेन्ट वाली भी जय अम्बे है और ३३। परसेन्ट वाली भी जय अम्बे है। पब्लिकेशन भारत सरकार का लाने वाली राजस्थान सरकार और बिल सारे ३१ मार्च को पेश हुए। सारे बिल ३१ मार्च को पास किये हुए हैं। आंखों पर पट्टी बांध कर पास किये थे क्या आपने ? ४०,००० रुपये के वे ही बिल १० परसेन्ट से पास करते हैं। मैं कहता हूं कि आप अपने रजिस्टर में जाकर देखलें। केवल १-०१५ हजार से जदपुर इंसपेक्टोरेट के बिल ३१ मार्च के बाद पास हुए हैं आफटर थर्टी फर्स्ट मार्च उप-मंत्राणीजी ने

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कहा कि मेरी सूचना में वह बात नहीं थी। यदि आपकी सूचना में यह बात नहीं थी शंभूलाल दादा जो इन्सपेक्टर थे उनको सस्पेन्ड करिये। उनके दफ्तर में सूचना थी। शाहपुरा की एक फर्म ने आकर क्या कहा था? आपके अजीज दोस्त नवयुग के संपादक, आपके नहीं तो सरकार के खास नजदीकी दोस्त हैं, जिन्होंने २५ परसेन्ट पर देने का कहा था ऐसी स्थिति में यह क्या बात हुई कि आपने इस फर्म के १० परसेन्ट पर बिल पास किये गये हैं। १० परसेन्ट पर बिल क्यों पास किये हैं उसका जवाब आप मुझे दे दें तो मैं एक क्या १० कटौती प्रस्ताव भी वापिस ले लूंगा।

पाठ्य पुस्तक के बारे में एक बात कह दूं। श्रीमती उप-मंत्राणीजी को शायद जानकारी थी या नहीं लेकिन मैं बतादूं कि १३ मई को सुखाडिया जी ने फाइल पर लिखा कि इस किताब को छापनेवाले ने गलत सर्क्यूलर इश्यू किया है इसलिये इसको ब्लेक लिस्ट किया जाय। यह १३ मई का ओर्डर है। उसके वाद हाउस में बोले १९ मई को कि बहुत दिन पहले सरकार ने उसको ब्लेक लिस्ट में करार दिया है। लेकिन यह ६ दिन पहले ही की बात थी, बहुत दिन पहले की नहीं जो आर्डर १३ मई का है उसका नतीजा कब निकलता है? एज्यूकेशन सेक्रेटरी का लैटर २६ जून को जाता है डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन के पास और २७ जून को जाता डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन से इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के पास और वह लैटर कोन्फिडेन्शियल मार्क्ड है। आप कहते हैं उस फर्म को इत्तला दी गई। मैं आपको फिर बतलाता हूं, (You will be proved wrong as always) लेकिन इस फर्म को कोई इत्तला नहीं दी गई। नेशनेलाइजेशन बोर्ड के सेक्रेटरी यहां बैठे हैं उनसे पूछें कि उन्होंने जुलाई में इस फर्म को लिखा है कि नहीं कि तुम अपनी किताब में १३ एडीशन्स करके दुरुस्त की हुई किताब पेश करो। यदि आपने इसे ब्लेक लिस्ट करने की सूचना बोर्ड को दी है तो बोर्ड के सेक्रेटरी जुलाई में उसको चिट्ठी क्यों लिखते? यदि आप नहीं मानें तो मैं ओरिजिनल चिट्ठी लाकर पेश कर सकता हूं, मेरे में यह कुव्वत है। इसके बारे में आप कहेंगे कि कानूनी कार्यवाही थी। यदि कानूनी कार्यवाही थी तो उसके बारे में पहले सोचते। उस समय तो मथुरादासजी के केस पर पर्दा डालने के लिये कह दिया कि हमने उसको ब्लेक लिस्ट कर दिया है। जिन लोगों ने खरीदी उनका क्या हुआ और जिन्होंने नहीं खरीदी उनका क्या हुआ? अब सब कुछ होजाने के बाद आपने हुक्म निकाला कि हम उसको चालू रखेंगे। तो क्या आपने पहले कानून नहीं देखा था? अब कहते हैं कि बगैर नोटिस के ब्लेक लिस्ट नहीं कर सकते थे। अब समझ आई है तो दरमियानी अर्से का वे हरजाना मांगेंगे तो क्या होगा? इतना भद्दा फैसला सरकार करे तो मैं कहूंगा कि इसमें कुछ न कुछ बात जरूर होनी चाहिये। जब तक मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि इसमें लिंकिंग होना चाहिये नहीं तो जब तक सेक्रेटरी ने इसके बारे में चिट्ठी लिखी तब तक क्या करते रहे? सारे अधिकारियों को कानून समझ में नहीं आया? नेशनेलाइजेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को कैसे मालूम नहीं हुआ कि यह किताब ब्लेक लिस्ट करदी गई है। कैसे लोगों से हालात छिपे रहे? और अब कैसे कहते हो कि चालू रहेगी। बिना गोलमाल के यह सब हो जाय यह मैं मान नहीं सकता। मैंने कहा कि किसी नोटिंग या चिट्ठी की कोपी एग्जेक्ट वर्ड्स में चाहिये तो मैं प्रस्तुत करने को तैयार हूं। नोटिंग की कोपी सुखाडिया जी के एग्जेक्ट वर्ड्स में चाहें तो अभी प्रस्तुत कर सकता हूं। चिट्ठी की कापी चाहिये तो ओरिजिनल पेश कर सकता हूं। ऐसी स्थिति में यदि वे चाहें कि कटौती प्रस्ताव वापिस ले लूं, यह कैसे हो सकता है? यदि राय लेनी हो तो इस पर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

आप मत लीजिये। लोगों के यहां से भागने की नौबत आ गई है, मुख्य मंत्रीजी भाग भी गये हैं लेकिन भाग कर कहां जायेंगे, उनके हाथ के कारनामे हैं। डिप्टी मिनिस्ट्रानी ने बहुत कोशिश की लेकिन आखिर क्या होगा वह बच सकें तो बचें। लेकिन एक में १० परसेन्ट के और दूसरे में १७॥ परसेन्ट के ओर्डर दिये हैं। मैं यह कह देना चाहता हूं कि १० परसेन्ट और १७॥ परसेन्ट के बिल ऑडिट से पास नहीं होंगे। आपकी बात जायगी और सरकार का पैसा जायगा। ये फैक्ट्स हैं। इनको देखते हुए अपना दिल टटोल लें। जो समजायश हो रही है उससे कुछ होने जाने का नहीं है। यह ३१ तारीख के बाद की बात थी इसलिये सदन के सम्मुख पहले नहीं आई। इस प्रस्ताव पर डिविजन हो जाय तो पता लग जाय कि कौन मुख्य मंत्रीजी से डरते हैं और कौन नहीं डरते हैं। मेरे कथन को कांट्राडिक्ट करना हो तो इनको उसके लिये मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री हरिकृष्ण व्यास ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हां पक्ष जीता। ना पक्ष की तरफ से तो कोई बोला नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—ना पक्ष जीता, प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो मांग संख्या ४५, लेखे का शीर्षक ३७—शिक्षा के संबंध में संघनित निधि में से ३१ अक्टूबर, १९५६ को समाप्त होने वाली वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राज-प्रमुख को रु. ३००० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत हुई।

शेष मांगों पर मतदान एवं गिलोटीन न लगाने सम्बन्धी वाद-विवाद

अब बकाया मांगों के लिये गुलेटिन लागू किया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कैसे होगा, अभी तो बहुत मांगे बाकी हैं।

श्री भैरूं सिंह—पुलिस विभाग की मांग बहुत आवश्यक है, उस पर हमें बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष—अब समय नहीं है।

श्री भैरूं सिंह—कल ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—अब निर्णय हो चुका है।

Page No 92

श्री भैरूं सिंह—पुलिस विभाग की मांग और ले लीजिये। हम ५।। या ६ बजे तक बैठने को तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष --अब समय नहीं है।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों के लिये मांग संख्या ५२ लेखे का शीर्षक ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के संबंध में संघनित निधि में से ३१ अक्टूबर, १९५६ को समाप्त होने वाली अवधि में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रु. १००० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ४३..........

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं, एक मिनिट की आज्ञा देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—इसके बाद में।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कौनसा तरीका है कि जब आप खुद बोल रहे हैं तब भी वे माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं इजाजत मांग रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान के लिये मांग संख्या ४३, लेखे का शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के संबंध में संघनित निधि में से ३१ अक्तूबर, १९५६ को समाप्त होने वाली अवधि में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रु. ३,००० तक की राशि प्रदान की जावे। यह प्रस्ताव स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब तो मुझे समय दिया जाय साहब, एक मांग पूरी हो गई।

श्री उपाध्यक्ष—गिलोटीन लग चुका है, अब बीच में बोलने की आज्ञा नहीं दी जा सकती।

श्री भैरूं सिंह—दूसरी पास कर दी जाय, पर पुलिस की मांग आये उससे पहले हमें बोलने को ५ मिनिट का समय दिया जाय क्योंकि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मांग है और इस पर हमें बहुत ही अहमियत की बातें कहनी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—अब समय नहीं दिया जा सकता। गिलोटीन एप्लाई हो चुका है। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों के लिये मांग संख्या ४४, लेखे का शीर्षक······

(शोर गुल—विरोधी पक्ष की ओर से कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

Order ! Order !!

श्री भैरूं सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांग बहुत अहमियत रखती है इसलिये इस पर हमें बोलने को समय दिया जाय। राजगढ़ के एक लड़के को इस सदन के एक माननीय सदस्य की सहमति से डाकू उठा कर ले गये, उस पर पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस की इस अकर्मण्यता पर हमें बोलना है इसलिये हमें बोलने का समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अब गिलोटीन लगा दिया गया है इसलिये समय नहीं दिया जा सकता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—५ मिनिट चाहते हैं, सिर्फ ५ मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष—और मद पर आप बोल सकते हैं। Order ! Order !

श्री भैरूं सिंह—एक पुलिस की मांग के बारे में सिर्फ ५ मिनिट बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—Order please ! गिलोटीन के बीच में बोलने का समय नहीं दिया जा सकता। आर्डर प्लीज ! आर्डर ! !

(एक साथ अनेक सदस्यों के बोलने व मेजें बजाने से अव्यवस्था)

श्री भैरूं सिंह—राजगढ़ के एक लड़के को डाकुओं द्वारा उड़ाने में कुंभारामजी का हाथ था, इसलिए हमें हाउस से मांग करनी है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाय। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार न करने में और हथकड़ियां डालने में अकर्मण्यता दिखाई है, यह पुलिस ने अन्याय किया है और यह पुलिस की मांग है इसलिये हमें मौका दिया जाय कि हम इस पर बोलें।

श्री उपाध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री मानसिंह महार—ऑर्डर ! ऑर्डर ! ! हम नहीं मानेंगे, हमें इस मांग पर बोलने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

(मेजें बजाने की आवाजें एवं पुनः शोरगुल)

श्री भैरूं सिंह—हम ऑर्डर उस समय सुनेंगे जब कि हमें पुलिस के बारे में बोलने का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष—Order please ! इसके बीच में बोलने का कोई मौका नहीं दिया जायगा।

श्री भैरूं सिंह—५ मिनिट बोलने का मौका दिया जाय।

श्री जवानसिंह—ओन ए पोइण्ट ओफ ऑर्डर, सर, जब हाउस में इस प्रकार का वातावरण पैदा होगया है और इतने सदस्यों के बोलने की मांग है तो इस पोइण्ट को प्रेस्टिज का प्रश्न न बना कर बोलने का मौका दिया जाय। जब इतने माननीय सदस्य इस पर बोलने को कह रहे हैं तो बोलने का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—नहीं, गिलोटीन एप्लाई हो गया है इसके दर्म्यान में कोई नियम बता सकें तो बता दें कि इसके बीच में बहस हो सकती है।

श्री मानसिंह महार—५ बजे से गिलोटीन एप्लाई करने का हुक्म था तो पौने पांच बजे ही गिलोटीन एप्लाई क्यों कर दिया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—This is clear disobedience to the Chair and I will appeal to my friends not to disobey the Chair.

श्री उपाध्यक्ष—यह तो चेअर के ऑर्डर को नहीं मानना है, यह बिल्कुल···· You must come to Order.

(शोर गुल व मेजें थपथपाने की आवाजें)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—On a point of Order, Sir, this is contempt of the House.

श्री भैरूंसिंह—हाउस का कण्टेम्प्ट तो उस समय होता है जब कि लड़के को डाकुओं द्वारा उड़ाने में इस सदन के माननीय सदस्य द्वारा मदद दी जाकर उसके वारिसों से ५०,००० रुपये लिये जायं।

('Shame, Shame' की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष—कोई बात आपको कहने को रह गई हो तो उसके लिये यह समय नहीं है, इसके लिये और भी समय मिलेगा।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, ओन ए पोइण्ट ओफ ओर्डर, सर,.......

श्री उपाध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री मानसिंह महार—पोइण्ट ओफ ऑर्डर को क्लियर कर दीजिये।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री अध्यक्ष—गिलोटीन के बीच में यह कहीं नहीं है कि······

श्री मानसिंह महार—मेरा पोइण्ट ओफ ऑर्डर है कि पांच बजे गिलोटीन एप्लाई करने का ऑर्डर था तो बीच में ४-४५ बजे ही हमें क्यों बन्द कर दिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसके लिये तो साहब कम से कम आधा दिन देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—But we cannot carry on the proceedings of the House, if all the Members speak.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अर्ज कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि ऐसी किसी की नीयत नहीं है, पार्लियामेण्ट सिस्टम में कहने सुनने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं, इससे किसी का कुछ बिगडता नहीं है। दो दिन सप्लीमेण्टरी डिमाण्ड्स के लिये अलोट होते हैं और दो दिनों में सप्लीमेण्टरी डिमाण्ड्स और एक्सेस डिमाण्ड्स दोनों को पूरी करने की स्थिति में हैं एक दो महत्वपूर्ण मांगें रह गई हैं तो हमने भी अपने कट मोशन्स फोरगो किये हैं। आप चाहें तो एक आध घंटा समय बढ़ा दें। एक दो महत्वपूर्ण मांगों के बारे में माननीय सदस्य इतना प्रेस करते हैं तो उनकी इस मांग को न मानना न्यायपूर्ण तरीका नहीं माना जा सकता ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, मैं तो केवल इतना ही अर्ज करना चाहूंगा कि गिलोटीन एप्लाई हो गया है और माननीय उपाध्यक्ष ने ऑर्डर दे दिया है, फिर भी चेअर के उस ऑर्डर को न मानना यह हाउस की कण्टेम्प्ट है, हमें इस पर सीरियसली डील विथ करना चाहिये। इस तरह उपाध्यक्ष के ऑर्डर की अवहेलना करना हाउस की कण्टेम्प्ट है। चेअर ने ऑर्डर दे दिया, उसकी तामील माननीय सदस्यों को करनी चाहिये ।

(श्री जवानसिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—क्या यह कोई डिबेटेबल पोइण्ट हो गया है ?

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, जहां तक गिलोटीन एप्लाई करने का सवाल है, रूल्स का सवाल है, अध्यक्ष महोदय को अधिकार है कि किसी भी रूल को किसी भी समय सस्पेण्ड कर सकते हैं। जहां तक अध्यक्ष के अधिकारों का सवाल है उनकी कोई सीमा नहीं है। अगर माननीय सदस्य किसी मांग पर बोलना चाहते हैं और मांग के बारे में कहना चाहते हैं तो माननीय अध्यक्ष उस पर निरूपण देंगे ।

श्री अध्यक्ष—यह जो एक्सेस डिमाण्ड्स और सप्लीमेण्टरी डिमाण्ड्स हैं, वे कुल मिलाकर १०-१२-२२ हैं। १७ डिमाण्ड्स को मेरिट के आधार पर डिस्कस कर चुके हैं केवल ५ बाकी रही हैं····

श्री भैरूंसिंह—कट मोशन्स तो उनके भी फोरगो किये हैं।

श्री अध्यक्ष—वह भी दो के ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं साहब चार के ।

श्री अध्यक्ष—आप यह ध्यान में रखिये कि we are providing full facilities of discussion to the Hon'ble Members of the Opposition and if it does not satisfy them, than we will not pass the Appropriation Bill. The members can discuss it today, tomorrow; but once guillotine has been applied, I do not think it is just for the members to go back. I cannot pass a censure on my Deputy Speaker

[श्री अध्यक्ष]

by going back and giving a decision cancelling the guillotine applied by him under the rules. So I have full trust that the members will try their best in maintaining dignity and will not create noise in this way. We are prepared to give every facility for discussion to the Oppositon. The Opposition may be thin, but I do not think it has lost the grace that it has. There would be Appropriat on. These demands are not going to be discussed now.

श्री मानसिंह महार—कल हमको ...... थ्रोटेड

श्री अध्यक्ष—Who has throttled the Opposition? Nobody has throttled the Opposition. There are rules. There is every facility of discussion, but then it is not the only opportunity. There are so many opportunities to discuss this. But once guillotine has been applied, no particular demand can be discussed. If the members want, they may take the opportunity of the Appropriation Bill. There are so many opportunities of raising discussion, while the Assembly is going on, but what is this creating noise at the fag end of the day? This does not befit this august House and the members of this august House.

श्री मानसिंह—एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने की छूट दी जावेगी ।

श्री अध्यक्ष—But then what more can the Opposition expect? Out of 22 demands 17 have been discussed, though two or three might have been discussed in a hurry, but 17 have been discussed, and now before five minutes to 5 we are going to apply guillotine. The Deputy Speaker had ordered guillotine to be applied and then 3 demands had been passed. Then making noises is not justified.

श्री भैरूंसिंह—पास हुआ है या नहीं, यह आप देख लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—The record is more complete with me than with the Hon'ble Mamber. So I go on.

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों के लिये मांग संख्या ४४, लेखे का शीर्षक २९—पुलिस के संबंध में संघनित निधि में से ३१ अक्तूबर, १९५६ को समाप्त होने वाली अवधि में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रु. २,००० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों के लिये मांग संख्या ४८, लेखे का शीर्षक ५४ ता—भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते के संबंध में संघनित निधि में से ३१ अक्तूबर, १९५६ को समाप्त होने वाली अवधि में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रु. १,००० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(मतदान के पश्चात् हां पक्ष जीता)

कुछ माननीय सदस्य—Noes have it , Sir.

श्री अध्यक्ष—What is intended.

श्री मानसिंह महार—Division !

(हंसी)

श्री अध्यक्ष— The record of the Opposition is there !

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानों के लिये मांग संख्या ४९, लेखे का शीर्षक ५७—विविध के संबंध में संघनित निधि में से ३१ अक्तूबर, १९५६ को समाप्त होने वाली अवधि में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को रु. ३,००० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५६

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५६ को पुरःस्थापित करने के लिये प्रस्तावित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(विराम)

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको विचारार्थ लिया जावे।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—यह एक्सेस डिमाण्ड का है। There is no point in resisting this. प्रश्न यह है कि यह विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, यह विधेयक पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५६ को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नम्बर ३) बिल को पारित किया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५६

(पुरःस्थापन)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५६ को पुरःस्थापित करने के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष—Consideration के लिये कल।

So we adjourn till to-morrow at 11 A.M.

(मध्यान्होत्तर ५-१० बजे सदन की कार्यवाही दिनांक २७ सितम्बर, १९५६ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक २६ सितम्बर, १९५६

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट

(कृपया प्रश्न संख्या २२ का उत्तर देखिये)

फहरिस्त कार्य जो वर्तमान बोर्ड टोंक के कार्यकाल १-५-५४ से ३१-८-५६ में सम्पन्न हुए

नाम कार्य १	सर्फा २	किस समय में काम हुआ ३
वर्ष १९५४-५५		
१. तामीर पुख्ता फुटपाथ बाजार सदर हर दो जानिब ।	१५४८३-०-३	२८-५-५४ से ३१-३-५५ तक
२. तामीर सरदार पटेल स्मारक सर्किल सिविल लाईन्स पर	३९४-८-३	२२-७-५४ से ३१-३-५५ तक
३. दुरुस्ती वार्डवाईज सड़कें तीनों वार्ड व खुर्रे आदि	८१९-७-९	६-९-५४ से ३१-३-५५ तक
४. तैयारी गांधी उद्यान एवं किदवई पार्क जदीद	७२४०-१०-०	२८-५-५४ से ३१-३-५५ तक
योग ..	२९९३७-१०-३	
वर्ष १९५५-५६		
५. दुरुस्ती सड़कें रास्ते व गलियां व खुर्रे आदि	७७८८-१-६	दौराने साल ५५-५६
६. फुटपाथ अज दुकान सिन्धी ता दरवाजा दीवानजी बाजार काफला	४५७१-३-६	९-५-५५ से ३१-३-५६ तक
७. तैयारी पटेल सर्किल स्मारक सिविल लाईन्स	११०९९-२-९	५-९-५५ से ३१-३-५६ तक
८. तैयारी गांधी उद्यान पार्क	१५५५९-११-९	२१-४-५५ से ३१-३-५६ तक
९. मस्जिद हट्टों के चौराहे पर जयपुर की पांच बत्ती के समान मकराने की लाठ पर चौराहे के बीच में एक पांच बत्ती लगाई गई है जिससे बाजार की सुन्दरता काफी बढ़ गई है	२२४-८-६	
योग ..	३५२४२-१२-०	

१	२	३
वर्ष १९५६-५७		
१०. तैयारी श्री सरदार पटेल स्मारक सर्किल	६७६५-१-०	१-४-५६ से ३१-८-५६ तक
११. तैयारी गांधी पार्क	९९५-१४-६	१-४-५६ से ३१-८-५६ तक
१२. मरम्मत आदि	२८०-१०-६	१-४-५६ से ३१-८-५६ तक
१३. तैयारी फुटपाथ बाजार सदर व पांच बत्ती तल्ला खास	६२८-१२-६	१-४-५६ से ३१-८-५६ तक
१४. तैयारी सड़क आदि वार्डवाइज शहर	७४-५-६	१-४-५६ से ३१-८-५६ तक
१५. तैयारी नामाकरण पत्थर पटेल सर्किल	१०-०-०	१-४-५६ से ३१-८-५६ तक
योग ..	८७८४-१२-६	

मालपुरा:—आर्थिक संकट के कारण कोई विशेष जनहित का कार्य नहीं हो पाया है।

टोडारायसिंह:—४० लालटनें लगाई गई हैं जिनमें ८०० रुपये व्यय हुये हैं तथा और दूसरे जनहित के कार्य शीघ्र ही चालू किये जाने वाले हैं। जिनमें रेंगरों की कोठी के रास्ते का निर्माण व १२ पेशाबघर शामिल हैं।

शुद्धि-पत्र

कार्य-विवरण दिनांक २६ सितम्बर, १९५६

१. इस कार्य विवरण के पृष्ठ कृपया १६५ से २६४ न पढ़े जाकर १६४ से २६३ पढ़ें ।

२. पृष्ठ १८२ से १८८ तक शीर्षक व शीर्षों में 'मांग संख्या ६८-का' मुद्रित हुआ है उनके स्थान पर कृपया 'मांग संख्या ८१-का' पढ़ें ।

३. पृष्ठ २१५ के शोर्ष पर 'भ-राजस्व' के स्थान पर कृपया 'भू-राजस्व' पढ़ें ।

———